राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ५] विधान सभा के पंचम् सत्र, १९६४ का ४०वां दिवस [संख्या ३१

मंगलवार, दिनांक ३१ मार्च, १९६४

विधान सभा की बैठक म० पू० ८ बज कर ८ मिनट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[शक्ति, यातायात, सार्वजनिक निर्माण, निर्वाचन, शिक्षा, नागरिक रसद, समाजकल्याण एवं उद्योग—विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

कृषि के लिए कम दर पर बिजली

७५७. श्री केसरीसिंह (पाली) : Will the Minister for Power please say:—

(1) Whether Government has fixed any special low rate for the consumption of power for purposes of agriculture ? If so, what is the rate at which power is to be made available to agriculturists ?

(2) Has there been any marked increase in the demand and utilisation of power for agricultural purposes as a result of this lowered rate ?

(3) Does this rate leave any profit for the Board or is it really lower than even the cost of generation of power and therefore quite an unprofitable proposition for a commercial concern which the Board is supposed to be ?

(4) Is the Government to make good the loss that may thus accrue to the Board by way of paying subventions ? If so, what amount has been paid by the Government to the Board for this purpose upto the present time?

उप-मंत्री, विद्युत् (श्री चन्दनमल बैद) : (१) कृषि सम्बन्धी कार्यों के लिए पावर की दर १२ नये पैसे निश्चित की गई है । यह दर ता० १-४-६३ से लागू की गई है ।

(२) जी हां ।

Page No. 2

(श्री चन्दनमल बैद)

(३) स्टीम व डीजल क्षेत्रों में उत्पादन मूल्य प्रति यूनिट उपरोक्त दर से अधिक होने के कारण आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं है।

(४) जी नहीं।

श्री केसरीसिंह : आपने अभी इन कृषि सम्बन्धी कार्यों के लिए पावर की दर १२ नये पैसे निश्चित की है क्या यह कुछ ऐसे एरिया के लिये ही है या स्टीम व डीजल क्षेत्रों में भी यह फेसिलिटी है ?

श्री चन्दनमल बैद : यह सब जगह एक सी होनी चाहिये और किसानों को प्रोत्साहन मिलना चाहिये कि वे अपनी प्रोडक्शन बढ़ावें।

श्री केसरीसिंह : चाहिये यह अलग बात है। आप देते हैं या नहीं यह पूछना चाहता हूँ। वेस्टर्न राजस्थान में जैसे जोधपुर, पाली, जालोर, बीलाड़ा और दूसरे एरियाज़ हैं जहां डीजल से बिजली या स्टीम से बिजली तैयार होती है वहां पर क्या यह दर आपने पिछले १२ महीनों में कार्यान्वित की है या नहीं ?

श्री चन्दनमल बैद : आप इसके बारे में निश्चित रूप से पूछते तो बता सकता था।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : इसका क्या आधार है, क्या प्रोग्राम है इसके बारे में कुछ बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री चन्दनमल बैद : आधार तो सदन में कई बार बता दिया गया है। यह कई बार बताया जा चुका है।

श्री केसरीसिंह : मगर उन आधारों को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है।

उद्योग मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : इसके लिये फार्मूला तैयार हो रहा है और सिन्सीयरली तौर से यह फार्मूला तैयार हो जाय तो माननीय सदस्यों से कहा जाय। अगर फार्मूला बन जाता है तो भी हम इतने कुओं को बिजली सप्लाई नहीं कर सकेंगे। इस साल करीब १५०० कुओं पर पहुंची है। माननीय सदस्य ने बताया। डीज़ल और स्टीम एरिया में जनरेटिंग केपेसिटी है उस पर अधिक खर्च होता है इस वास्ते यह विद्युत्-मंडल, फाइनेंस मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट के बीच बातचीत चल रही है कि किस तरह से इन्ट्रैस्ट माफ कर सकें तो कॉस्ट ऑफ जनरेशन में फायदा हो सकता है और किसानों को बिजली सस्ते दरों से दी जा सकती है।

श्री केसरीसिंह : क्या यह सही है कि बोर्ड ने बराबर सरकार से यह कहा है कि हमें १२ नये पैसे की दर से यह बिजली पूरवती नहीं है। अगर इसके लिये कुछ सब्सीडी दी जाए तो हम इस रेट पर सिप्लाई कर सकते हैं।

श्री हरिश्चन्द्र : मैंने अभी अर्ज किया कि गवर्नमेंट को लिख कर भेजा है और मैं समझता हूँ कि जल्दी ही इस पर कोई निर्णय लिया जावेगा।

श्री केसरीसिंह : क्या पांच सात दिन पहले बोर्ड को इस प्रकार का कोई आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया है कि either by a morotarium on interest, हम जो लोन दे रहे हैं उसका इन्ट्रेस्ट नहीं लेंगे और लाइन खेंचेंगे उसका खर्चा देंगे।

श्री चन्दनमल बैद : जी नहीं।

श्री केसरीसिंह : क्या गवर्नमेंट यह चाहेगी कि इससे भी लो रेट गवर्नमेंट को रखना चाहिये ?

श्री हरिश्चन्द्र : जी हां। जितना नीचे जाने की गुंजाइश होगी, जावेंगे।

श्री केसरीसिंह : इससे यह होता है कि किसानों को बिजली नहीं मिलती है। यह परिस्थिति पैदा हो रही है कि पिछले एक साल में जहां डीज़ल से बिजली पैदा होती है उस एरिया को बिजली नहीं मिलने से उस एरिया का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ।

श्री हरिश्चन्द्र : तीन जगह टरबाइन एरियाज, जोधपुर, आबू और भरतपुर को दिये गये हैं। यह हो सकता है कि जितना आप चाहते हैं नहीं दिये गये हैं। इसका कारण आर्थिक अभाव भी है। पैसा नहीं है तो नहीं है। अगले साल से ५ करोड़ एल० आई० सी० या प्लानिंग कमीशन से मिल जाते हैं।

श्री विजयसिंह झाला : जिस प्रकार आपने पॉपुलेशन का आधार बिजली के लिये बनाया है कि ५००० की पॉपुलेशन जहां की होगी तो उनको बिजली दी जावेगी। क्या इसी प्रकार का कोई आधार आपने मुकर्रर किया है कि इतने कुओं के पम्प होंगे तो बिजली दी जावेगी ? इस प्रकार का कोई एश्योरेन्स दिया जावेगा ?

श्री हरिश्चन्द्र : एश्योरेन्स का फार्मूला आपके सामने आ चुका है। यह तो नहीं हो सकता कि सारे राजस्थान में उसके अनुसार चला जावे। कितनी धनराशि उसके लिये चाहियेगी उसका ध्यान रखते हुए किया जायगा; it may be eight crores, it may be five crores, I cannot give you the figures now. लेकिन जब तक यह मालूम न हो जावे कि कितनी धनराशि चाहिये और उतनी धनराशि इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड के पास है या नहीं।

श्री केसरीसिंह : बिजली नहीं मिलने का एक ही कारण है जिसकी वजह से लोगों को बिजली नहीं मिलती है वह यह कि आपकी तरफ से सबवेन्शन नहीं दिया है। आप बतावें कि by way of making good that loos of the Board आपने क्या पेमेंट किया है ? बोर्ड कहता है कि कुछ नहीं दिया गया है इस लिये हम कन्सेशनल रेट से नहीं दे सकते।

श्री अध्यक्ष : सबसीडियरी के रूप में दिया जावे।

श्री हरिश्चन्द्र : जहां तक हो सकता है हम १२ नये पैसे में देते हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कहता है कि ये १२ नये पैसे भी ज्यादा हैं। इसमें डिजल में और भी दिक्कत आ रही है इसलिये हम फाइनेन्स डिपार्टमेंट से लिखापढ़ी कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि जल्दी ही इसका निर्णय होगा।

प्रश्न संख्या ७५८

श्री अध्यक्ष : श्री हरिराम चौहान।

(अनुपस्थित)

श्री हरिप्रसाद शर्मा।

ग्राम लाखेरी को बिजली

Page No. 4

७५९. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि लाखेरी जिला बूंदी में पावर हाउस का सब-स्टेशन गरमपुरा में बनाया गया है ?

(२) क्या यह सही है कि गरमपुरा पंचायत ने नयापुरा क्षेत्र में व लाखेरी नगर-पालिका व वहां की जनता ने बिजली लेने की मांग कर रखी है ?

(३) यदि हां, तो सबस्टेशन से गरमपुरा, नयापुरा कितनी दूरी पर है और लाखेरी ग्राम की दूरी कितनी है ?

(४) क्या यह सही है कि यह औद्योगिक क्षेत्र है और बिजली सप्लाई की अत्यन्त आवश्यकता है ?

(५) क्या यह सही है कि लाखेरी की जनता ने नगरपालिका के द्वारा बिजली लेने के प्रार्थना-पत्र सम्बन्धित इन्जीनियर को भेजे जिसमें ३०० प्राइवेट कनेक्शन, ५० नगर-पालिका के सार्वजनिक स्थान, २० सिंचाई के कुओं के प्रार्थना-पत्र व कितने ही फ्लोर मिल व अन्य निजी उद्योग में बिजली लेने की प्रार्थना हैं ?

(६) क्या यह सही है कि ग्राम में बिजली देने हेतु निर्णय लेकर आदेश दे दिये गये थे, लेकिन खम्भे रोड पर खड़े करके काम बन्द कर दिया ?

(७) अब बिजली का कार्य कब तक प्रारंभ किया जावेगा ?

उप-मंत्री, विद्युत् (श्री चन्दनमल बैद):
(१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) सब-स्टेशन से गरमपुरा ४ फर्लांग, नयापुरा १ फर्लांग तथा लाखेरी ग्राम एक मील है।

(४) बिजली की आवश्यकता सब जगह है।

(५) कुछ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं।

(६) जी हां। परन्तु कार्य बन्द नहीं है।

(७) कार्य चालू है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आप इसका टालमटोल उत्तर देते हैं। आपने कहा कि बिजली की आवश्यकता है और काम चल रहा है। यह कब तक पूरा हो जावेगा और कब तक बिजली दे दी जावेगी ?

श्री चन्दनमल बैद : सामान नहीं था। वह भेजा जा रहा है। दो महीनों में यह काम पूरा हो जावेगा।

प्रश्न संख्या ७६०

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया।

(अनुपस्थित)

श्री तेजाराम गहलोत।

जोधपुर रेन्ज में बिना परमिट चलने वाली बसें

७६१. श्री तेजाराम गहलोत (सोजत):

(श्री तेजाराम गहलोत)

क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सच है कि आर. टी. ओ. जोधपुर रेन्ज का एन्फोर्समेन्ट स्टाफ व आर. एस. आर. का स्टाफ अपने कर्त्तव्य को निभाने में बहुत ही असावधान है ?

(२) क्या यह भी सच है कि जोधपुर, पाली, सोजत, ब्यावर मार्ग पर चलने वाली बसों से पिछले परमिट ३०-६-६२ तक ही थे ?

(३) क्या यह भी सच है कि उक्त मार्ग पर चलने वाली बसों के परमिट का जुलाई ६२ तक नवीनीकरण नहीं किया गया ? यदि किया गया तो किस तारीख को ?

(४) क्या यह भी सच है कि उक्त अर्से में जिन गाड़ियों के परमिट्स की मियाद समाप्त हो चुकी थी वे बिना परमिट ही चलती रहीं ?

(५) क्या यह भी सच है कि मोटर विहिकल्स एक्ट व रूल्स की तहत बिना परमिट गाड़ी चलाना जुर्म है ? यदि हां, तो आर. टी. ओ., जोधपुर के स्टाफ ने उक्त मार्ग पर उक्त अधिनियम व नियमों की अवहेलना करने पर क्या कार्यवाही की और नहीं की तो क्यों नहीं ?

(६) क्या यह भी सच है कि बसे टेम्परेरी परमिट्स से भी जिन मार्गों का परमिट नहीं होता है वहां चल सकती हैं ? यदि हां, तो फी बस एक ट्रिप की क्या फीस देनी पड़ती है और उक्त रूट पर अगर आर. टी. ओ. का एन्फोर्समेन्ट स्टाफ सतर्क होता तो जनता को बगैर असुविधा पहुंचाये क्या बसें टेम्परेरी परमिट से नहीं चलाई जा सकती थीं ? यदि चलाई जा सकती थी तो उससे सरकार को कितने रुपये की आमदनी होती ? तथा आर. टी. ओ. द्वारा ऐसा न करने का क्या कारण था ?

(७) क्या यह भी सच है कि जोधपुर से पाली का मार्ग जोधपुर–सिरोही के मार्ग की वजह से नेशनेलाइज्ड कर दिया गया है व जोधपुर–ब्यावर बसों के परमिट्स का नवीनीकरण भी पाली से ब्यावर तक ही किया है ? यदि हां, तो उक्त गाड़ियें पाली से जोधपुर तक क्यों चलती हैं ? व उनको रोकने की कोशिश कब–कब की गई व नहीं तो क्यों नहीं ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : (१) जी नहीं। आर० टी० ओ० जोधपुर रेन्ज का इन्फोर्समेंट स्टाफ व आर०, एस० आर० का स्टाफ अपना कर्त्तव्य निभाने में असावधान नहीं है।

(२) यह सच है कि जोधपुर–पाली, सोजत, ब्यावर मार्ग पर चलने वाली प्राईवेट ऑपरेटर्स के पिछले परमिट ३०–६–६२ तक ही थे।

(३) जी नहीं, आर० टी० ए० ने अपनी बैठक में ता० २६, २७, २८ जुलाई को रिजोल्युशन नं० ८० द्वारा उक्त परमिट का नवीनीकरण कर दिया था।

(४) जी नहीं। जोधपुर, पाली, बर, ब्यावर ऑपरेटर्स को आर० टी० ए० द्वारा १–७–६२ से ३१ अगस्त १९६२ तक के अस्थाई परमिट दिये गये जिसके तहत ये गाड़ियां चलती रहीं।

Page No. 6

(श्री भीमसिंह)

(५) जी हां। मोटर व्हीकल्स एक्ट व रूल्स की तहत बिना परमिट गाड़ियां चलाना जुर्म है। चूंकि गाड़ियां परमिटों के तहत चलती रहीं अतः इस तरह का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(६) कोई भी बस बिना परमिट के किसी मार्ग पर नहीं चल सकती है। टेम्परेरी परमिट पर चलने वाली बसों को १० रुपये रोजाना टेक्स व परमिट फीस रूल ८६ व शिड्यूल ८ राजस्थान मोटर व्हीकल्स रूल्स १६५१ के अन्तर्गत एक रीजन के लिए पहले दो दिनों के ५ रुपये और बाद में दो रुपये प्रति सप्ताह के देनी पड़ती है। इस मार्ग पर जोधपुर, पाली, ब्यावर कोई गाड़ी बिना परमिट नहीं चली। अतः यह प्रश्न ही पैदा नहीं होता कि आर० टी० ओ० द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया व एन्फोर्समेंट स्टाफ ने बिना परमिट गाड़ियां चलने दी।

(७) जी नहीं। जोधपुर से पाली का मार्ग जोधपुर-सुमेरपुर के मार्ग के नेशनेलाइज्ड करने के अन्तर्गत कर दिया गया था। परमिट का नवीनीकरण भी पाली से ब्यावर तक का ही किया गया था। उक्त रूट की गाड़ियां (जोधपुर से ब्यावर तक की) हाईकोर्ट, जोधपुर से स्टे हो जाने से चलती रहीं उक्त रूट के बस ऑपरेटर्स ने नवीनीकरण से असंतुष्ट होकर हाईकोर्ट में आर० टी० ए० की आज्ञा के विरुद्ध रिट पेश कर दी और उस पर हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया।

श्री तेजाराम गहलोत : प्रश्न के भाग ३ में आपने बताया कि उक्त परमिट्स का नवीनीकरण २६, २७ और २८ जुलाई को किया गया। ३०-६-६२ तक ही इन परमिट्स की मियाद थी तो क्या ऐसा प्रोविजन है कि बगैर परमिट्स को रिन्यू कराये ही बस ऑपरेटर्स को आर० टी० ए० द्वारा आज्ञा दी जा सकती है कि ३१ जुलाई तक वे बसेज को प्लाई कर सकते हैं?

श्री भीमसिंह : इसमें परिस्थिति ऐसी थी कि जिन-जिन की एप्लीकेशन्स थीं वे गजट में शाया करा दी गई थीं। किसी का ऑब्जेक्शन नहीं आया था। २६, २७ और २८ को मीटिंग थी। उसमें यदि इनको रोका जाता तो वे कम हो जातीं, कोई बसेज नहीं चलती। बाद में मीटिंग हुई तो १-७-६२ से से सेंक्शन दे दी। हमने अमेंड कर दिया है कि बाई सर्कुलेशन सेंक्शन ले ली जाय यदि मियाद खत्म हो गई है तो।

श्री तेजाराम गहलोत : क्या यह आर. टी.ए. की असावधानी नहीं है कि ऑब्जेक्शन नहीं मांगा? बिना परमिट्स को रिन्यू कराये ही बस ऑपरेटर्स प्लाई कर सकते हैं इस प्रकार की आज्ञा दे दी गई तो सरकार को क्या असुविधा थी कि उनको टेम्परेरी परमिट्स ले कर बसेज प्लाई करने के लिए कहा जाता?

श्री भीमसिंह : टेम्परेरी परमिट्स तो ब्याह शादी के लिये, किसी पार्टी, टूरिस्ट्स वगैरह के लिए दो चार दिन के लिये दिये जाते हैं। जो बसेज रेगुलर प्लाइ करती आ रही हैं उनके लिए टेम्परेरी परमिट लेने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री तेजाराम गहलोत : उनकी मियाद खत्म हो गई थी तो टेम्परेरी परमिट दे देते।

श्री भीमसिंह : टेम्परेरी परमिट के लिए तो निवेदन किया कि दो-तीन दिन के लिये विवाह शादी के लिए दिया जाता है। यदि हम कम्प्लीटली बन्द करते तो आप ही शिकायत करते कि बसेज़ बिल्कुल ही नहीं चल रही हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : यह गलती तो सरकार की ही है।

श्री अध्यक्ष : श्री बालूराम चौधरी !

नवलगढ़-लक्ष्मणगढ़ बस मार्ग का विस्तार

७६२. **श्री बालूराम चौधरी** (फतहपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) कस्बा नवलगढ़ से सालासर वाया मुकन्दगढ़, लछमनगढ़ का कच्चा बस मार्ग कितने मील लम्बा है ?

(२) क्या यह सही है कि यह बस मार्ग कस्बा लछमनगढ़ एवं मुकन्दगढ़ के बीच में तो इतना ज्यादा तंग है कि मोटर गाड़ी के बराबर में दूसरी गाड़ी तो क्या कहीं कहीं मीलों तक पैदल आदमी भी नहीं गुजर सकता यदि हां, तो सरकार इस मार्ग को चौड़ा करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

सार्वजनिक निर्माण-मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) बस मार्ग की विभाग को जानकारी नहीं है।

(२) यह बस मार्ग इस विभाग की मरम्मत सूची पर नहीं है। केवल लछमनगढ़ से डून्डलोद, मुकन्दगढ़ रेल्वे स्टेशन तक सड़क निर्माण का कार्य योजना में स्वीकृत है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

वेस्पा स्कूटर्स

७६३. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि वेस्पा स्कूटर्स की एजेंसी कमल एण्ड कम्पनी को मिली है ?

(ख) क्या यह सही है कि पहला कोटा मिलने पर कम्पनी की ओर से निर्धारित समय पर क्यू सिस्टम के आधार पर प्राथमिकता निश्चित करने का निर्णय लिया गया था ?

(ग) क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री महोदय ने इस कम्पनी द्वारा इन स्कूटर्स के उद्घाटन के अवसर पर क्यू सिस्टम के एवज में लाटरी से प्राथमिकता निश्चित करने की सलाह दी थी ?

(घ) क्या यह सही है कि क्यू सिस्टम की अव्यवस्था को ध्यान में रख कर लाटरी सिस्टम से प्राथमिकता तय करने के लिए निर्धारित दिन स्थगित कर दिया गया ?

(ङ) यदि हां, तो फिर क्यू सिस्टम के आधार पर ही प्राथमिकता का निर्णय क्यों किया गया ?

(च) अब तक ये स्कूटर्स किन–किन को मिल चुके हैं और अब प्रथम ३० किनको मिलने वाले हैं ? कृपया पूरे पते सहित नामों की तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(श्री भैरोंसिंह)

(छ) उन स्टकूर्स के को टे में से कितना कितना किस–किस श्रेणी के व्यक्तियों के लिए कोटा निर्धारित किया गया है ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। कमल एण्ड कम्पनी ने ऐसा निर्णय लिया था।

(ग) इस प्रकार का अनौपचारिक सुझाव मुख्य मंत्रीजी ने दिया था। परन्तु नियम के अनुसार न होने पर इस पर अमल नहीं किया जा सका।

(घ) जी हां। शांति और व्यवस्था को ध्यान में रख कर कमल एण्ड कम्पनी को तारीख बदलने के लिये लिखा गया था।

(ङ) नियमों में प्रथम आने वाले को प्रथम सुविधा देने का आधार ही रखा गया है।

(च) सूची संलग्न है।

(छ) नियन्त्रण आदेश के अन्तर्गत निर्धारित कोटे को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित करने का कोई प्रावधान नहीं है, और उसका वितरण पहले आये सो पहले पाये के आधार पर किया जाता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भैरोंसिंह : मुख्य मन्त्रीजी ने लाटरी से प्राथमिकता निश्चित करने का आश्वासन दिया था वह किस तरह कानून-संगत नहीं था ?

श्री भीमसिंह : सेंटर से इन्स्ट्रक्शन्स आई कि 'फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड' के बेसिस पर ही प्राथमिकता का निश्चय होना चाहिये। लाटरी सिस्टम किया था उसमें यह था कि जिसके तकदीर में लिखा है उसका नम्बर आ जायगा और इसमें यह है कि पहले आये सो पहले पाये।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि कमल एण्ड कम्पनी को पहली बार कोटा मिला था 'फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व' के सिद्धान्त के अनुसार जो पहला आता वह लॉटरी में भी पहला आ सकता था तो इसमें कानूनी बाधा किस प्रकार होती है ?

श्री भीमसिंह : जिसका नाम लाटरी में पहले नहीं निकलता, बाद में निकलता और संभवत: वह आदमी सबसे पहले खड़ा होता तो वह कहता कि मुझे भाग्य के भरोसे छोड़ दिया लाटरी सिस्टम से नहीं तो मैं सबसे पहले आया था, मुझे सबसे पहले मिलता।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री ने सुझाव को भारत सरकार को भेजा था ?

श्री भीमसिंह : भेजने का प्रश्न नहीं आता। उनका मेन्डेट आया हुआ था, उसकी तीन लाइनें पढ़ कर सुनाता हूं। उन्होंने लिखा है : "To remove any ambiguity in the matter of compiling of the register therefter all the dealers may please be instructed to register orders received on a particular day according to the time of receipt in consonance with the frist-come first-served principle."

श्री भैरोंसिह : क्या सरकार यह उचित नहीं समझती थी कि 'फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व' इस व्यवस्था को जिन व्यक्तियों ने सिक्योरिटी बैंक में जमा कराई थी उसीके आधार पर ले लिया जाय ?

श्री भीमसिंह : बैंक में सीक्योरिटी एक ही दिन में जमा हुई है तो उस दशा में प्राथमिकता निश्चित नहीं की जा सकती, क्योंकि बैंक में यह टाइम नहीं लिखा था कि किस टाइम किसने जमा किया है। एक दिन में सैंकड़ों सिक्योरिटीज़, जमा हो सकती हैं इसलिये उसके आधार पर करना असम्भव था।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिन लोगों को स्कूटर मिले हैं उनमें २० गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स, कुछ की वाइव्ज और कुछ के सन्स हैं ?

श्री भीमसिंह : मैंने यह तो नहीं छांटा कि कितना फीगर है पर कुछ गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स, उनकी वाइव्ज और सन्स जरूर हैं।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या पुलिस अधिकारियों के बीबी-बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिये और दूसरे लोगों को हटाने के लिए पुलिस को वहां खड़ा किया गया ?

श्री भीमसिंह : नहीं, जनता को प्रोटेक्ट करने के लिये खड़ा किया गया था।

श्री भैरोंसिंह : खुद की बीबी का सवाल आता था।

श्री भीमसिंह : बीबी भी जनता में ही है।

श्री भैरोंसिंह : बीबी तो जनता में है पर मियांजी ने बीबी को आगे बैठाने के लिये जनता को हटाया।

श्री अध्यक्ष : लाटरी के सुझाव को ठीक तरह से सोचेंगे। भारत सरकार से सम्पर्क करें तो ठीक व्यवस्था हो सकती है।

श्री भीमसिंह : शुरूआत के वक्त का था, अब तो रजिस्टर मेन्टेन होता है।

श्री अध्यक्ष : वह लिस्ट लम्बी-चौड़ी लिस्ट है। दो चार साल नम्बर नहीं आयेगा तो उसकी क्या वेल्यू है। दिल्ली में तो मकानों के प्लाट्स भी लाटरी सिस्टम पर देने का विचार कर रहे हैं।

श्री भीमसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपके आदेशानुसार सेंटर को सुझाव लिख कर भेज देंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : किसके आदेश से पहले तारीख तय हुई थी? डायरेक्टर, ट्रान्सपोर्ट ?

श्री भीमसिंह : डाइरेक्टर, ट्रान्सपोर्ट ने नहीं, कम्पनी ने की थी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह तारीख निश्चित होती है, उस दिन डाइरेक्टर साहब नहीं थे तो उसको आपने तब्दील किया क्या ?

श्री भीमसिंह : वहां इतना क्राउड इक्ट्ठा हो गया कि होम डिपार्टमेंट ने वह तारीख चेंज की भीड़ ने पत्थर फेंके, शीशे तोड़ दिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वहां भीड़ इकट्ठी हो गई थी, इतनी अव्यवस्था थी कि

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मेरा क्वार्टर वहां से पास ही में पड़ता है इसलिये लोग मेरे पास आये। मैं स्वयं वहां गया। मैं जब तक वहां गया न कोई शीशा टूटा था न कोई पत्थर फेंके थे। साढ़े सात बजे तक निर्णय नहीं कर पाये कि क्या व्यवस्था की जाय। पौने आठ बजे तब तक यही था कि लॉटरी सिस्टम से तय होगा। करीब करीब सारे लोगों को कह दिया गया था कि लॉटरी सिस्टम से ही तय होगा। इसके १५-२० मिनिट बाद लाउड स्पीकर से आवाज आई कि तारीख पोस्टपोन करदी गई है। तो आपका कहना कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई यह गलत है। मैं स्वयं वहां था। गवर्नमेंट को तारीख चेंज करने का क्या राइट था ?

श्री भीमसिंह : कहीं भी लॉ एण्ड आर्डर का सवाल आता है, आदमी की जान को खतरा होने को संभावना होती है तो गवर्नमेंट, लॉ डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस प्रकार के कार्य को रोक सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि सिटी मजिस्ट्रेट वहां मौजूद थे? क्या उनकी इस सम्बन्ध में इस प्रकार की रिपोर्ट है ?

श्री भीमसिंह : मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है। स्पेसिफिक क्वश्चन में होता तो मैं जानकारी करके रखता।

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल।

नगर परिषद कोटा के चुनाव

७६४. **श्रीकृष्णकुमार गोयल** (कोटा): क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) नगरपालिका, कोटा का अवधिकाल कब समाप्त हो रहा है ?

(२) समय से पूर्व परिषद के चुनाव कराए जाने के लिए सरकार ने अब तक क्या व्यवस्था की ?

(३) क्या अवधि समाप्त होने से पूर्व कोटा नगर परिषद के चुनाव संभव हैं ? अगर नहीं, तो सरकार किस व्यवस्था से वहां पर काम चलावेगी ?

उपमंत्री, चुनाव (श्री परसराम मदेरणा) : (१) दिनांक १५-५-६४।

(२) कोई नहीं।

(३) नहीं, व्यवस्था का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या कलेक्टर, कोटा ने कोटा नगरपालिका के क्षेत्रों का निर्धारण कर के गवर्नमेंट के पास प्रोपोजल लिखकर भेज दिये हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : कलेक्टर ने प्रोपोजल गवर्नमेंट के पास भेज दिये हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि इन वार्ड्स की दुबारा जांच करने के लिये कलेक्टर, कोटा के पास सूची भेजी है ?

श्री परसराम मदेरणा : कोटा के म्युनिसिपल वार्ड्स के प्रोपोजल्स राज्य सरकार के पास आये, उनमें कुछ डिस्क्रिपेनसी राज्य सरकार को मालूम हुई, उनको रिमूव करने के लिये कलेक्टर कोटा के पास भेजा है

श्री कृष्णकुमार गोयल : उस डीलिमिटेशन में ऐसी कौनसी खामियां थीं ?

श्री परसराम मदेरणा : यह अलग सा प्रश्न है। आपने पूछा है कोटा नगरपालिका की टर्म एक्सपायर होने के संबंध में। आपने यह तो पूछा नहीं है कि उसमें डीलिमिटेशन क्या है। जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी वह दे दी। इस तरह के प्रोपोजल्स कलेक्टर्स से आगे। जब राज्य सरकार को मालूम हुआ कि कुछ डिस्क्रपेन्सीज हैं तो उनको रिमूव करने के लिए...

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सत्य है कि कोटा कांग्रेस ने निर्णय करके सरकार के पास भेजा था कि जो वार्ड्स का निर्माण किया गया है वह इन्कन्वीनियन्ट है।

श्री परसराम मदेरणा : पार्टी के आधार पर जो आब्जेक्शन करता है उस पर निर्णय नहीं होता है। हरेक को अधिकार है कि डीलिमिटेशन पर आब्जेक्शन कर सकता है। मुझे ऐसी जानकारी नहीं कि कोटा कांग्रेस पार्टी ने ऑब्जेक्शन किया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि सरकार ने कोटा नगरपालिका को यह सूचित कर दिया है कि उसका टर्म दिसम्बर तक एक्सटेंड कर दिया गया है ?

श्री परसराम मदेरणा : राज्य सरकार ने राज्य भर की सभी नगरपालिकाओं के चुनाव एक ही पेटर्न पर और एक साथ कराने का निर्णय लिया है। इसलिए इन नगर पालिकाओं की जिनकी अवधि जनवरी, १९६५ तक समाप्त होने वाली है उनके चुनाव दिसम्बर के आसपास एक साथ एक ही दिन कराए जायेंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मेरा स्पेसीफिक सवाल है कि क्या सरकार ने कोटा नगरपालिका को सूचित कर दिया है कि उनका टर्म दिसम्बर तक एक्सटेंड कर दिया गया है।

श्री परसराम मदेरणा : मैं निवेदन करूं कि सूचित किया या नहीं वह तो मुझे पता नहीं लेकिन राज्य सरकार ने पॉलिसी डिसीजन लेकर राजस्थान के सभी कलेक्टर्स को २६ फरवरी, १९६४ के एक लेटर में इस बात की सूचना भेज दी है कि जिन नगर पालिकाओं के इलेक्शन्स जनवरी, १९६५ तक ड्यू होने वाले हैं उन सब का इलेक्शन दिसम्बर के आसपास एक साथ एक ही दिन करवाया जाय।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : वह तो आपने इलेक्शन्स के बारे में लेटर लिखा है लेकिन टर्म एक्स्टेंड करने के बारे में आपने लिखा है या नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : यह प्रश्न इलेक्शन डिपार्टमेंट का है। अवधि बढ़ाने की कार्यवाही तो स्वायत्त शासन विभाग द्वारा की जाती है।

जयपुर-कोटा रूट की बसों का निर्धारित समय

७६५. **श्रीमती नगेन्द्रबाला** (छबड़ा): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(श्रीमती नगेन्द्रबाला)

(१) क्या कोटा से जयपुर तक और जयपुर से कोटा तक चलने वाली रोडवेज बस के समय निश्चित हैं ?

(२) यदि हां, तो कोटा से जयपुर के लिए रवाना होने वाली आखिरी बस कितने बजे कोटा से रवाना होती है और जयपुर कितने बजे पहुंचती है ?

(३) दिनांक ६-३-६४ को कोटा से जयपुर आने वाली आखिरी बस कितने बजे रवाना हुई और जयपुर कितने बजे पहुंची ?

(४) यदि यह बस निश्चित समय पर नहीं रवाना हुई और निश्चित समय पर नहीं पहुंची तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री परसराम मदेरणा) : (१) जी हां।

(२) कोटा से आने वाली अन्तिम बस ४ बजे शाम को रवाना होकर ११ बजे रात को जयपुर पहुंचती है।

(३) और (४) दिनांक ६-३-६४ को कोटा से आखिरी बस ५ बजे रवाना होकर ११. १५ बजे रात को टोंक पहुंची। गाड़ी में यन्त्रिक त्रुटी होने के कारण वह गाड़ी टोंक से आगे नहीं जा सकी। सवारियों को दूसरी गाड़ी में बिठाकर भेजा गया जो टोंक से १२ बजे रात्रि को रवाना होकर ७-३-६४ को प्रातः ३ बजे जयपुर पहुंची।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : यह जो कहा गया कि यन्त्रिक खराबी होने की वजह से टोंक में गाड़ी रुक गई, यह बिल्कुल गलत है।

श्री परसराम मदेरणा : डिपार्टमेंट के पास जो सूचना है वह यह है कि उसमें टेक्नीकल खराबी थी। ड्राइवर के पास पोथी रहती है। अगर कहीं स्टॉपेज हो जाता है तो वहां वे बुकिंग क्लर्क से या यदि बीच में इन्स्पेक्टर मिल जाता है तो उस पर सिग्नेचर्स करवाता है। हमें इत्तला मिली है कि गाड़ी में मेकेनिकल खराबी हो गई थी।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : आपको मालूम है कि यात्रियों ने कम्प्लेंट की थी ?

श्री परसराम मदेरणा : यात्रियों ने कम्प्लेंट की उसकी मुझे सूचना नहीं है।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : दो-दो दफे कम्प्लेंट हुई, जहां-जहां गाड़ी रुकी कम्प्लेंट बुक में लिखा गया। ड्राइवर ने कहा कि उनको ओवर टाइम नहीं मिलता है।

श्री परसराम मदेरणा : मैं जांच करूंगा, जांच करके आपको कह सकता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : कम्प्लेंट बुक में जो यात्रियों ने कम्प्लेंट लिखी वह तो रोलेवन्ट मैटर था। वह मन्त्री महोदय को देखना चाहिए कि यह मेकेनिकल डिफेक्ट कौन सा है, वह भी नहीं बताया। इससे साफ जाहिर होता है कि दरअसल जो माननीय सदस्या कह रही हैं वही बात ठीक है और इसलिए इस बात का इन्तजाम सरकार करेगी। एश्योरेन्स यह देते हैं या नहीं कि अगर इस प्रकार से किसी को ओवरटाइम ड्यूटी देनी पड़े तो उन ड्राइवर्स को ओवर

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

टाइम वेजेज मिलेंगे और जनरल इन्स्ट्रकशन्स भी निकाले जायंगे कि कहीं भी ब्रेकडाउन हो जायगा और ओवर टाइम काम करना पड़े तो उनको ओवर टाइम चार्जेज मिलेंगे ताकि ब्रेकडाउन न हो।

श्री परसराम मदेरणा : वह ड्राइवर ओवर टाइम के लिए एन्टाइटल्ड था या नहीं, यह कहने की स्थिति में मैं नहीं हूं। जो जानकारी मेरे पास है वह है कि मेकेनीकल डिफेक्ट था और उसकी वजह से गाड़ी रोक दी गई। वह गाड़ी ११ बजे टोंक पहुंची और पौन घंटे के बाद दूसरी गाड़ी में यात्रियों को बिठाकर जयपुर लाया गया।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : मंत्री महोदय ने कहा कि मेकेनीकल डिफेक्ट था इसलिए ड्राइवर ने टोंक में आने के बाद गाड़ी रोक दी। मैंने जो बात कही है वह कम्प्लेंट बुक में लिखी हुई है। इसके अलावा आए दिन कोटा को जाने वाली गाड़ी रोक दी जाती है। पूछने पर यह जवाब दिया कि डीजल कम दिया जाता है। यह ड्राइवर की शिकायत थी; आप जांच करिए।

श्री परसराम मदेरणा : कम्प्लेंट बुक की जानकारी मेरे पास नहीं है और मैं जानकारी करके बता सकता हूं। अगर ड्राइवर ने जानबूझकर गाड़ी नहीं चलाई है और मेकेनीकल डिफेक्ट की बात अपने आप ही की गई है तो निश्चित ही उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

जहां तक डीज़ल का प्रश्न है हम इस तरह से ड्राइवरों पर उतना विश्वास नहीं कर सकते। क्योंकि हमें मालूम है कि कुछ मार्जिन रख कर डीज़ल देते हैं इसलिए कि कहीं किसी वक्त ज्यादा कन्ज़म्पशन हो जाय। लेकिन यह बात नहीं है कि डीज़ल कम दिया जाता है। विश्वास ड्राइवर पर उतना कर सकते हैं जितना करने की जरूरत है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : ड्राइवरों की यह कम्प्लेंट रहती है कि कोई डिफेक्ट हो जाय उसके लिए कोई मार्जिन नहीं रखा जाता है। इसलिए आपको सोच कर कुछ मार्जिन रखना पड़ेगा।

श्री परसराम मदेरणा : कितनी मार्जिन देते हैं गैलन के अन्दर, उस हिसाब को देखकर कुछ ज्यादा देते हैं चूंकि कहीं डिफेक्ट हो जाय, कन्ज़म्पशन बढ़े। इस मामले में सतर्कता बरतना बहुत जरूरी है।

श्री रामानंद अग्रवाल : मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से ऐसी स्टेंडिंग इन्स्ट्रक्शन्स हैं या नहीं कि कभी भी ब्रेकडाउन की वजह से अगर ड्राइवर्स को ओवर टाइम काम करना पड़े, तो उनको ओवर टाइम वेजेज़ मिलेंगे? इस तरह की सरकार की इन्स्ट्रक्शन्स हैं या नहीं?

श्री परसराम मदेरणा : जनरल इन्स्ट्रक्शन्स हैं।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : आपने जैसा कहा डीज़ल उतना ही देते हैं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सवाल ओवर टाइम का नहीं है। जिन बसेज में महिलायें ट्रेवल करें और वे गाड़ियां इस प्रकार रास्ते में ही मेके-

Page No. 14

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

निकल डिफेक्ट के कारण पड़ी रहें....

श्रीमती नगेन्द्रबाला : आप उनका विश्वास नहीं करते हैं। एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, तीन दिन नहीं, आये दिन इस प्रकार की शिकायतें आती रहती हैं।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : यह कम्पलेन्ट इस तरह दूर हो सकती है कि जहां-जहां रोडवेज जाती हैं उनमें मिनिस्टर्स को ले जाया जाय और उनकी कारों को जब्त किया जाय ताकि उनको मालूम हो कि क्या डिफिकल्टी है। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि मिनिस्टर्स रोडवेज में ही सफर करें और कारें न ले जायें।

श्री परसराम मदेरणा : मिनिस्टर्स सारे राजस्थान में घूमते हैं। कार वगैरा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। रोड्स को क्या कन्डीशन्स है यह आप हम सब जानते हैं। आप अपोज करते हैं और चाहते हैं कि टार रोड्स बनें।

श्री विजयसिंह झाला : आप कम से कम दो महीने सफर करिये तब मालूम पड़ेगा।

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : हम सब सफर करते हैं।

श्री गोविन्दसिंह (पिंड़ावा) : प्राइवेट बसेज़ में स्पेयर पार्ट्स दिये जाते हैं। रोडवेज़ की बसेज़ को नहीं दिये जाते हैं।

श्री विजयसिंह झाला : सामान लेकर हमको चढ़ना पड़ता है। खुद मिनिस्टर चढ़ें तो पता चले।

श्री परसराम मदेरणा : रोडवेज़ के जनरल मैनेजर की यह इन्स्ट्रक्शन्स हैं कि ड्राइवर मैकेनिकल एक्स्पर्ट तो नहीं, इसलिए गाड़ी में यदि कोई मेजर खराबी हो जाय तो वह उसमें कोई हेरफेर नहीं करे क्योंकि अक्सर यह देखा गया है कि ड्राइवर मैकेनिक न होने के कारण और उसमें अधिक डिफेक्ट कर देता है इसलिए ये इन्स्ट्रक्शन्स हैं। छोटी-मोटी डिफेक्ट हो तो उसको ठीक कर लिया जाय। बड़ी डिफेक्ट जब गाड़ी में हो जाती है तो उसको रिप्लेस करने के लिए स्पेयर गाड़ी रहती है और मौके पर भेज दी जाती है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर): क्या यह सही है कि आपकी रोडवेज़ की गाड़ियों में जेक तक नहीं होता है। मामूली लीड निकल जाने के कारण गाड़ी तीन दिन तक खड़ी रही है। गाड़ी जो जोधपुर जाती है वह ब्यावर में लीड निकल जाने के कारण तीन दिन तक पड़ी रही है।

श्री परसराम मदेरणा : यह आपकी बात सत्यता से मीलों दूर है। गैराज से हरएक बस में टूल बॉक्स दिया जाता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं चैलेन्ज करके कहता हूं कि आपकी गाड़ी में बैटरी का लीड निकल जाने के कारण वह तीन दिन तक खड़ी रही है वहां पर।

श्री परसराम मदेरणा : मैं आपका चैलेन्ज एक्सेप्ट करता हूं। मैं आपको काउन्टर चेलेन्ज करता हूं कि टूल बॉक्स और अन्य रिक्वायर्ड चीजें जो रखी जानी चाहिये वे सब बस में रखी जाती हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अभी आप मेरे साथ चलिये, मैं आपको बताता हूं कि आपकी रोडवेज़ की बसेज में जेक तक नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय ऐसे आदेश देंगे तो मैं जरूर चलने के लिए तैयार हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जरूर आपको आदेश देने चाहिये, अध्यक्ष महोदय। आपको रोडवेज़ की गाड़ी में जेक तक नहीं मिलेगा टूल्स की बात तो दूर रही।

(शोरगुल–व्यवधान)

(समय–समप्ति–सूचक घंटी)

श्री विजयसिंह झाला : ऐसी व्यवस्था हो जानी चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह ...

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु०) : माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि बसेज़ के स्टीरिंग की क्या हालत है? ड्राइवर जयपुर से कोटा जाता है इस तरह की हालत है कि घरघर हिलता रहता है। स्टिरिंग से सारा बदन हिलता रहता है। आप अभी जाकर देख लीजिये। इससे ड्राइवर बेचारा दिन भर परेशान होता है। उस ड्राइवर को बेचारे को ड्यूटी देनी पड़ती है, वह कहता है कि ऐसी हालत है। इसको ठीक करो मैं नहीं जाऊंगा। जाना पड़ेगा, यह हालत उसके साथ होती है।

श्री परसराम मदेरणा : इन्फॉर्मेशन जो चाही गई थी मैंने दे दी। माननीय सदस्य मेकेनिक हैं नहीं। किसी चीज़ पर रेस्ट्रिक्ट कर दें यह संभव नहीं है। स्टीरिंग कोई इलेक्ट्रिक तो नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप बताइये कितना हिलता है?

श्री परसराम मदेरणा : आपकी और मेरी नॉलेज बराबर है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह खेद है कि माननीय मंत्री जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वह उनके डिपार्टमेंट के द्वारा सप्लाई की गई इन्फॉर्मेशन के आधार पर है और जो माननीय सदस्य इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वह उनका अपना तजुर्बा है, आज तक गाड़ियों में सफर करते रहने के कारण। हम यह तो नहीं कहते हैं कि हरएक गाड़ी में टूल्स नहीं होते होंगे। लेकिन मेरा अपना भी पर्सनल एक्स्पीरियन्स जरूर है। मैंने किन्हीं गाड़ियों में सफर किया है और जब ब्रेक डाउन हुआ है तो उनके अन्दर उनको ठीक करने के लिए टूल्स तक नहीं मिले हैं। यह बात पूरी तरह सही है कि ड्राइवर मेकेनिक नहीं होता है। प्राइवेट गाड़ियों में टूल्स बॉक्स होते हैं। इमरजेन्सी में जितना ड्राइवर उसको ठीक कर सकता है उसके लिए उतना प्रबन्ध तो गाड़ियों में गवर्नमेन्ट की ओर से करना चाहिये। लेकिन अफसोस की बात है कि इतना प्रबन्ध नहीं होता है। मैं अपना निजी अनुभव बताता हूं। यहां से मैं भरतपुर गया। जेक उस गाड़ी में नहीं था। ड्राइवर के पास स्लिप मौजूद था कि स्टोर कीपर इस वक्त नहीं है इसलिए इस वक्त जेक नहीं दिया जा

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सकता। आप गाड़ी को ले जाओ। गाड़ी यहां से जाकर दौसा तक खड़ी रह गयी और उसको तीन घंटे तक खड़ी रहना पड़ा। ऐसी घटनायें कई बार होती हैं तो चेकिंग होना चाहिये और टूल्स कम हैं तो पूरा करना चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह बिलकुल ठीक है।

वित्त मंत्री (श्री बालकृष्ण कौल) : यह आपने जिन्दगी में एक ही सही सुझाव दिया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : 'जिन्दगी ने वफा की तो और भी आगे मौके आयेंगे'।

श्री परसराम मदेरणा : टूल्स दिये जाते हैं। और नहीं भी दिये जाते होंगे तो आदेश हुए होंगे। अभी ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। यह तो आप सब ही जानते होंगे कि पेसेन्जर्स को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिये और टूल्स बॉक्स की वजह से ही यह होती है तो I will see that all the tools are provided.

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : मिनिस्टरों के घरों पर चले जाते हैं और बसों में नहीं मिलते हैं।

श्री विजयसिंह झाला : बहुत सी गाड़ियों का बुढ़ापा दा साहब जैसा है, इसलिए उनको रिप्लेस करिये।

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा।

बैंकों के मार्फत बिजली के बिलों का भुगतान, बीकानेर

७६६. **श्री मानिकचंद सुराणा**(कोलायत) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि आर० एस० बी० बीकानेर ने उपभोक्ताओं को विभिन्न बैंकों के मार्फत बिलों का भुगतान करने की सुविधा प्रदान नहीं कर रखी है ?

(२) क्या बीकानेर की आबादी व फैलाव को देखते हुए उक्त प्रकार की सुविधा दी जानी आवश्यक है ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त सुविधा के अभाव में उपभोक्ताओं को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या उक्त असुविधा को दूर करने के लिए बैंकों के मार्फत सलेक्शन की सुविधा प्रदान करने पर विचार किया जा रहा है ?

उपमंत्री, विद्युत् (श्री चन्दनमल बैद) : (१) जी हां। यह सुविधा अभी तक दुबारा प्रदान नहीं की जा सकी।

(२) जी हां।

(३) जी हां। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या आप अब पेमेन्ट शुरू करवाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री चन्दनमल बैद : मैं सुन नहीं सका। कृपया दुबारा पूछें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जयपुर और दूसरे सिटीज़ में बिजली के बिलों की बैंकों के लेने की व्यवस्था है। क्या बीकानेर में एक दो महीने में इस प्रकार की व्यवस्था की जा सकती है ?

श्री चन्दनमल बैद : मैंने निश्चित रूप से बताया है 'जी हां' आवश्यक सुविधा प्रदान की जा रही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या बीकानेर के लिये ही यह व्यवस्था है या तमाम सिटीज़ में जहां जहां बैंकों की सुविधायें है वहां पर भी इस प्रकार की व्यवस्था करने की सरकार की मंशा है ?

श्री चन्दनमल बैद : बीकानेर के लिए पूछा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जहां जहां जिन सिटिज़ में बैंकों की फेसिलिटीज़ हैं वहां वहां पर इसकी व्यवस्था करने की गवर्नमेंट की पॉलिसी है या नहीं ?

श्री चन्दनमल बैद : धीरे २ यह कोशिश की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री फूलचन्द जैन।

गंभीरी नदी पर पुल

७६७. **श्री फूलचन्द जैन** (सुजानगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि श्री महावीरजी के पास गंभीरी नदी पर पुल बनाए जाने के लिये तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से लगभग एक लाख रुपयों की धनराशि राज्य सरकार के पास जमा कराये कई वर्ष हो गई हैं ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त धनराशि राज्य सरकार द्वारा पुल बनाये जाने का निश्चित आश्वासन मिलने पर जमा कराई गई थी ? यदि हां, तो अब तक पुल बनाने का काम शुरू नहीं होने का क्या कारण है ? और यदि नहीं, तो धनराशि किस आधार पर जमा की गई ?

(३) राज्य सरकार कब तक पुल बनाने का कार्य शुरू करने का निश्चित इरादा रखती है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री, (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) जी हां।

(२) जी हां। डिजाइन में परिवर्तन होने के कारण। टेन्डर की स्वीकृति विचाराधीन है।

(३) आशा है ६४–६५ में।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

ग्रेजुएट अध्यापकों की नियुक्ति

७६८. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : Will the Education Minister please state :—

(1) Is it a fact that appointments of fresh teachers who are graduates are being made as substitutes or on temporary posts in the non-trained matric grade, i.e., Rs. 75 plus Rs. 10 as dearness allowance ?

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(2) Is it a fact that the same kinds of appointments were made during the year 1961-62 in the Intermediate grade, i. e., Rs. 70 plus Rs. 40 D. A. = 110 ?

(3) Why has the Government reduced the emoluments for these fresh appointments ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) शिक्षा विभाग में न्यूनतम थर्ड ग्रेड ७५–१६० का है जिसमें इन्टर या हायर सेकेन्डरी की योग्यता वालों की नियुक्ति की जाती है। नान-ट्रेन्ड मेट्रिक ग्रेड कोई नहीं है। अगर इस ग्रेड में कोई ग्रेज्युएट नियुक्ति के लिये आवेदन पत्र देता है और वह उसमें चयन कर लिया जाता है तो उसको उस ग्रेड की न्यूनतम तनख्वाह ७५) रुपया व १०) रु० मंहगाई दी जाती है।

(२) जी हां ३१ अगस्त, १६६१ तक ट्रेन्ड इन्टर ग्रेड में की गई थी और उनको ७०) रुपया तनख्वाह व ४०) रुपया मंहगाई दी गई। १ सितम्बर, १६६१ के बाद यह ग्रेड समाप्त कर दिया गया और इस तारीख के पश्चात् नियुक्त होने वालों को ७५–१६० के ग्रेड में ६१) रु० तनख्वाह तथा १०) रु० मंहगाई दी गई है।

(३) सरकार ने रिवाइज्ड पे रूल्स १६६१ के अनुसार थर्ड ग्रेड को १–६–६१ से लागू कर दिया और पुराने ग्रेडों को समाप्त कर दिया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, जो पुराने टीचर्स थे जिनको ११०) रुपया वेतन मिल रहा था उनको रिवाइज्ड पे स्केल के अनुसार इमोल्यूमेन्टस कम कर दिये हैं। जनरल एश्योरेन्स इस प्रकार का है इस प्रकार जो इमोल्यूमेंटस मिल रहे हैं उनमें कमी नहीं होगी। मेरा यह निवेदन है कि जो पुराने एम्प्लाईज हैं कम से कम उनको जो इमॉल्यूमेन्ट्स मिल रहे हैं उनमें कमी नहीं होनी चाहिये। नये ग्रेड में उनको फिक्स किया जाता है तो कम से कम उनका वेतन ११०) तो रखा जाता।

श्री निरंजननाथ आचार्य : थर्ड ग्रेड में हायर सेकन्डरी, हाई स्कूल और इन्टरमीडियेट परीक्षा में सफल व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है। एक्जीस्टिंग टीचर्स जो अनक्वालिफाइड हैं उनको थर्ड ग्रेड में फिक्स कर दिया गया है। थर्ड ग्रेड की तनख्वाह वह उनके लिए एप्लीकेबल है। जो ट्रेन्ड हैं उनको कुछ इन्क्रीमेन्ट्स देकर ६० और १० देकर फिक्स अप किया है। किसी के लिये डिस-एडवान्टेजियस पोजीशन हो, यह मालूम नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जिनको पहले ११० मिल रहे थे उनको अब नये ग्रेड के अनुसार ८५ मिल रहे हैं हालांकि वे टेम्परेरी हैं पहले भी टेम्परेरी ही थे उस समय भी ७० और ४० मिलता था नये रिवाइज्ड पे स्केल के अनुसार उनके ८५ रह गये ७५ और १०। आप इस ग्रेड में उनको फिक्स अप करें किन्तु उनका मूल वेतन तो ११० रहना चाहिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह संभव नहीं है। थर्ड ग्रेड के लिए जैसा कि मैंने निवेदन किया हायर सेकन्डरी, मैट्रिक और इन्टरमिडियेट पास इनको लिया जाता है। इनके अलावा दूसरों को नहीं लिया जाता।

Page No. 19

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

इनको थर्ड ग्रेड में नियुक्त करते हैं और उसी की तनख्वाह इनको दी जाती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा तो उन टीचर्स के लिये निवेदन है जिनको रिवाइज्ड पे-स्केल्स लागू होने से पहले नियुक्त किया गया था, जिनको ११०) रुपया मिलता था। आप इनको भी ग्रेड थर्ड में नियुक्त करें किंतु इमॉल्यूमेन्ट्स में तो कमी न करें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : थर्ड ग्रेड ७०) से १५०) तक का है। उस ग्रेड में एडजस्ट करना पड़ता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप किसी भी ग्रेड में फिक्स अप करें किन्तु इमॉल्यूमेन्ट्स तो ११० दें। जो कि वे एक्चुअल पा रहे हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसको मैं एक्जामिन करा लूंगा। किस स्थिति में यह बैठ सकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल।

छमाही परीक्षा, गर्ल्स स्कूल, हिन्डौन

७६६. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन) [श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि सन् १९६३ में हिन्डौन गर्ल्स स्कूल में ली गई छमाही परीक्षा में जो पेपर दिये गये थे उनमें पूरे वर्ष की पढ़ाई के प्रश्न पूछे गये थे जिस कारण लड़कियां अधिक संख्या में फैल हुईं ?

(२) क्या यह भी सच है कि कुछ पेपर कम हो जाने के कारण टाइप करके दिये गये थे ?

(३) यदि हां, तो सरकार इसके लिये उत्तरदायी कर्मचारियों व अध्यापकों के बारे में क्या कदम उठा रही है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर संतोषजनक प्राप्त नहीं हो सका, अतः इसको पोस्टपोन किया जाय।

श्री भैरोंसिंह : आपको खुद को संतोष है या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मुझको ही सन्तोष नहीं है। तभी तो पोस्टपोनमेन्ट के लिए प्रार्थना की है।

श्री भैरोंसिंह : जिन अधिकारियों ने यह असन्तोषजनक जवाब दिया है उनके प्रति असन्तोष नहीं है क्या आपको ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : उतना असन्तोष नहीं है। संभवतः जो उत्तर आया है वह पूरा नहीं। या तो मैं समझ नहीं पाया या वे समझा नहीं सके, इसलिये पोस्टपोनमेन्ट चाहा है।

प्रश्न सं० ७७०

श्री अध्यक्ष : श्री सांवलियाराम।

(अनुपस्थित)

श्री भैरवलाल।

हाई स्कूल, खानपुर का भवन

७७१. श्री भैरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु०) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

क्या जिस समय माननीय मुख्य मंत्री के पास शिक्षा विभाग था उस समय उनके द्वारा खानपुर, जिला झालावड़ के हाई स्कूल का उद्घाटन किया गया था ? यदि हां, तो क्या उस समय हाई स्कूल की बिल्डिंग जो जनता द्वारा बनाई गई थी, सरकार को संभला दी गई थी और इमारत के शेष काम को पूरा करने का आश्वासन मुख्य मंत्री द्वारा दिया गया था ? यदि हां, तो अब तक हाई स्कूल, खानपुर की कितनी प्रगति हो पाई है व कितनी शेष है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : हाई स्कूल, खानपुर, जिला झालावाड़ के भवन का उद्घाटन सन् १९५८ में माननीय मुख्य मंत्री द्वारा किया गया था। ऐसी कोई सूचना कि मुख्य मंत्री ने उस समय कोई आश्वासन दिया था उपलब्ध नहीं है। यह भवन निर्माण विभाग की भवन सूची पर नहीं है परन्तु यह शिक्षा विभाग की सरकारी भवन सूची पर है। इसकी वार्षिक मरम्मत के लिए सत्र ६२-६३ व ६३-६४ में १२५) रुपये प्रत्येक सत्र के लिए स्वीकृति दी गई है। इस स्कूल में २ कमरे व १ विज्ञान कक्ष के बनाने के लिए १०,०००)रु० की धन राशि सन् १९५९-६० में सरकार द्वारा प्रदान की परन्तु अर्थाभाव व संकट-कालीन स्थिति के कारण निर्माण कार्य सरकार द्वारा नहीं किया जा सका। इसके बारे में निर्माण विभाग से पत्र व्यवहार किया जा रहा है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : जिस समय उद्घाटन किया गया था, इस समय जो पब्लिक वर्क्स मिनिस्टर महोदय हैं जो उस समय एम. एल. ए. थे वहां मौजूद थे। उस समय जनता के सामने यह कहा था ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर): वक्त बदल गया, बातें बदल गई, जगह बदल गई।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल': आज के सार्वजनिक निर्माण मंत्री उस समय थे वहां ?

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : वह चुनाव का समय होगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : पिछली जानकारी उपलब्ध नहीं है। अगर वहां आश्वासन देने के बाद वहां के प्रतिनिधि मुख्य मंत्री को लिखते तो वे सरकार को लिख देते। उस आधार पर जानकारी मिल सकती थी। मुझे इस प्रकार के आश्वासन की कोई जानकारी नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जब भी मुख्य मंत्री उद्घाटन करने जाते हैं या किसी पब्लिक मिटिंग को एड्रेस करते हैं वहां जो वे जनता को आश्वासन देते हैं, क्या उनको नोट नहीं किया जाता। यदि नोट किया जाता है तो क्या गवर्नमेंट उसके अनुसार कार्य नहीं करती ?

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : आज मंत्री महोदय कहते हैं कि वहां के प्रतिनिधि को मुख्य मंत्री को लिखकर पूछना चाहिये था।

(श्री भैरवलाल कालाबादल)

अध्यक्ष महोदय, आप विधान सभा की प्रोसीडिंग को उठाकर देख लीजिये पहले भी, मैंने यह प्रश्न पूछा था। उस समय भी यह कहा गया कि मुख्य मंत्री के बिना यह जानकारी नहीं दे पायेंगे। दुबारा जब प्रश्न पूछा गया था तो अब यह कहा जाता है कि आप पत्र लिखकर पूछ लेते ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : पहले भी ऐसा ही जवाब दिया गया ऐसी मुझे जानकारी नहीं है ....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : और अभी भी जानकारी नहीं है क्यों नहीं है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आश्वासन में कोई कमिटमेंट नहीं है। और मुख्य मंत्री स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया नहीं करते तथ्यों के अभाव में।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री और मुख्य मंत्री के बोलचाल नहीं है तो करवा दीजिये।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या आपके शिक्षा विभाग को इस बात की जानकारी है या नहीं कि इस प्रकार का आश्वासन दिया गया था या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : स्मरण नहीं है। जानकारी से ऐसा प्रतीत नहीं होता कि इस प्रकार का आश्वासन दिया गया हो, यदि दिया भी गया है तो कमिटमेंट नहीं था कि यह हो ही जायगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या आपने यह शिक्षा विभाग से जानकारी की है कि इस प्रकार का आश्वासन नहीं था ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने स्वयं ने जानकारी की है और प्रयत्न यह किया गया है कि साइन्स ब्लॉक्स का निर्माण कराया जाय। दस लाख रुपया पचास ब्लॉक्स के लिए मन्जूर भी हुआ था। उसमें यह भी स्कूल था। लेकिन बाद में अर्थाभाव की स्थिति पैदा हो गई। मुख्य मंत्री ने यदि आश्वासन भी दिया है तो अर्थाभाव के कारण वह नहीं हो सका। जब उचित धन-राशि ही नहीं थी तो विश्वास पैदा नहीं होता।

(९.०० म० पू०)

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

(अश्रव्य)

श्री मानिकचन्द सुराणा : जानकारी मुख्य मन्त्रीजी से की या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जी हां। उन्होंने यह कहा कि दस लाख रुपया इसके लिए मुकर्रर हुआ है, और इस स्कूल के लिए भी दस हजार मुकर्रर है। पर बाद में अर्थाभाव के कारण सारा काम बन्द कर दिया गया।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : यह कहा था माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कि १५ हजार देकर करा दिया जावेगा। अब उनसे नहीं पूछकर ये बीच-बीच में ही अपनी बात कर लेते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : ये ढपोल-

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

शंखी जवाब बन्द होने चाहिये अध्यक्ष महो- महोदय ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अर्थाभाव समाप्त होते ही इसे वापिस ले लिया जावेगा।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयों के आश्वासनों को लेकर सदन में वाद-विवाद खड़े होते हैं और हर बार यह कहते हुए उनको सुना जाता है कि फलां मन्त्रीजी ने आश्वान दिया या नहीं दिया, इसकी जानकारी फलां को नहीं है। तो क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कर लेती कि मन्त्री-मण्डल के सदस्य और उप-मन्त्री गण भी जहां-जहां जावें और जहां जो-जो भी आश्वासन दें पब्लिक ग्रीवान्सेज़ को लेकर तो उनका एक रेकॉर्ड मेंटेन किया जावे ताकि उसको देखकर जानकारी कर ली जाया करे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपका यह सुझाव मैं मुख्य मंत्रीजी तक पहुंचा दूंगा ताकि बाद में ऐसा प्रश्न पैदा न हो, इस पर हम भी विचार करेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : ऐसा आश्वासन जब कोई मिनिस्टर जनता को दे तो उसे लिखित में जनता को भी दे दिया जावे ताकि जनता के पास रसीद रहे।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : यह प्रश्न ५८ से चल रहा है तो क्या तब से ही अर्थाभाव चल रहा है। क्या सरकार अब भी बजट में कोई प्रोवीजन इसके लिए रखने को तैयार है ?

वित्त मंत्री (श्री बालकृष्ण कोल) : बजट तो बन गया।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : चाहें तो उसमें से भी खर्च कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक मन्त्री विशेष को ही यह अधिकार दिया जावे कि वह ही आश्वासन दे सकता है, दूसरे नहीं और फिर उस मन्त्री का इसके सिवाय कोई काम नहीं हो। ताकि इस तरह की गड़बड़ी आगे पैदा न हो।

श्री विजयसिंह झाला : फिर तो ऐसा कर दिया जाना चाहिये कि चुनावों के दिनों में इन मिनिस्टरों को एक कमरे में बन्द कर दिया जावे ताकि वे रोज नये-नये आश्वासन देने से रुकें जो वे कभी पूरे नहीं कर सकते।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हरिभाऊजी को केवल आश्वासन मन्त्री नियुक्त कर दिया जाय।

श्री मानिकचन्द सुराणा : रिकार्ड करा लिया जावे साहब इसको।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

सुजानगढ़ में पोलिटेकनिक कॉलेज खोलने की मांग

७७२. **श्री फूलचन्द जैन** (सुजानगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि सुजानगढ़ में पोलिटेकनिक कॉलेज की मांग कई वर्षों से बराबर की जा रही है ?

(२) क्या यह सही है कि इसके लिये

(श्री फूलचन्द जैन)

जन-सहयोग द्वारा आवश्यक धनराशि स्थानीय नगरवासी देने को तैयार हैं ?

(३) क्या यह भी सही है कि इसके लिए राज्य सरकार ने इसके लिये लम्बे अरसे से आश्वासन दे रखा है और भारत सरकार से इसके लिए सिफारिश भी अपनी ओर से काफी समय पूर्व की जा चुकी है ? अगर हां, तो फिर इसमें विलम्ब क्यों हो रहा है, विलम्ब होने का क्या कारण है ?

(४) राज्य सरकार सुजानगढ़ में कब तक पोलिटेकनिक कॉलेज खोले जाने का इरादा रखती है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी हां, परन्तु भारत सरकार ने सुजानगढ़ में पोलिटेकनिक खोलने के लिये स्वीकृति नहीं दी।

(४) जी नहीं।

श्री फूलचन्द जैन : प्रश्न के भाग चार के उत्तर में कहा गया कि जी नहीं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने अपनी ओर से क्या लिखा, जब कि स्पेसिफिकली आपने उनको इसके लिये रिकमण्ड किया था और लिखा था।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उसने कहा कि वहां खोले जाना उपयुक्त नहीं है।

श्री फूलचन्द जैन : यह बिलकुल गलत बात है, अध्यक्ष महोदय। मैं कहना चाहता हूं कि उप-शिक्षा मंत्रीजी, कृपया पूरी सही जानकारी प्राप्त करके फिर उत्तर दें। जो प्रश्न मुख्य मंत्रीजी के आश्वासन से और शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है उसकी जानकारी पूरी प्राप्त किये वगैरह ही उप मंत्रीजी जवाब दे देते हैं। यह स्थिति अच्छी नहीं है, कई दिनों से मैं यह स्थिति देख रहा हूँ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऐसा एली-गेशन बिना जानकारी के ही लगा दिया जाता है। मैं पूरी जिम्मेदारी से निवेदन कर रहा हूं कि एग्रीएबल नहीं है सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट को। और इसके अतिरिक्त राजस्थान सरकार भी ५० पर्सेन्ट इसके लिए खर्चा अपनी ओर से दायित्व लेने को तैयार नहीं थी।

श्री फूलचन्द जैन : आपने फरमाया कि भारत सरकार वहां खोलने को तैयार नहीं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि राजस्थान सरकार ५० पर्सेन्ट खर्चा देने को तैयार नहीं अर्था-भाव के कारण तो दोनों में कौनसी बात सच है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : दोनों बातें सही हैं। स्थान की उपयुक्तता से केन्द्रीय सरकार सहमत नहीं है। अब यह तो डिफि-कल्टी हमने अपनी प्रकट की है।

श्री फूलचन्द जैन : क्या सरकार तैयार है कि भारत सरकार का वह उत्तर सदन की मेज पर रख दिया जावे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने उत्तर में निवेदन किया और यह उत्तर भारत सरकार का ही तो है। इसे सदन की टेबल पर क्या

Page No. 24

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

रखा जाय। यह तो सदन की प्रोसीडिंग्स में है।

श्री फूलचन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्रीजी कुछ जवाब देते हैं, और उप-शिक्षा मन्त्रीजी कुछ देते हैं। अब किसका जवाब सही मानें।

(उत्तर नहीं दिया गया)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : शिक्षा मत्रीजी अगर सदन में बैठें और उप-शिक्षा मत्रीजी के जवाब को ठीक करते रहें तो अच्छा हो।

वित्त मंत्री (श्री बालकृष्ण कोल) : परिस्थितियां बदलती रहती हैं।

श्री फूलचन्द जैन : आप भी बदल जाइये न।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार का उत्तर आया है, वह एक्चुअली क्या है ? एक माननीय सदस्य कहते हैं वह ऐसा नहीं है जैसा उप-शिक्षामंत्रीजी कह रहे हैं और उप शिक्षा-मंत्रीजी कह रहे हैं कि जो वह बता रहे हैं वही है। तो उप-मंत्रीजी जबानी कह रहे हैं कि उसमें ऐसा लिखा है। तो ऐसी स्थिति में कि जब एक माननीय सदस्य उसे चैलेन्ज कर रहे हैं तो वह भारत सरकार का जवाब टेबल पर रखवा दिया जाय ताकि सही जानकारी मिल सके कि वास्तव में भारत सरकार का क्या उत्तर है।

श्री फूलचन्द जैन : वहां पर मुख्य मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी ने सुजानगढ़ के नागरिकों से कहा था कि वे अगर इसके लिए रुपया दे सकते हों कुछ तो इस पर विचार कर सकते हैं। नागरिकों ने आवश्यक रुपया देने की बात को स्वीकृति दे दी। इस पर राजस्थान सरकार ने भारत सरकार को लिख दिया। अब भारत सरकार ने यह कहा बताया है, जहां तक जानकारी मुझे दी गई है मुख्य मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी द्वारा कि भारत सरकार इस स्थिति में नहीं है कि पूरी धन-राशि दे सके और राजस्थान सरकार इसके लिए प्रावधान नहीं कर सकती इसलिये यह प्रश्न विचाराधीन है। और आप कहते हैं कि स्थान के औचित्य के प्रश्न पर ही भारत सरकार ने इन्कार कर दिया है। पता नहीं यह आपने कहां से जवाब दिया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : हम भारत सरकार से मिले हैं। स्पष्टतया उन्होंने यह कहा है कि वे स्थान से एग्रीएबल नहीं हैं। डिपार्टमेंट में यह जानकारी मौजूद है।

श्री फूलचन्द जैन : डिपार्टमेंट से तो आप पूछते ही नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : क्या आप भारत सरकार का पत्र पढ़ने की कृपा करेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : फूलचन्दजी, आप इतना जोर से न बोलें, डिसिप्लिनेरी एक्शन ले लिया जावेगा।

जयपुर में स्कूल भवन, क्रीडास्थल, एवं खेल के मैदान

७७३. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या दिनांक २५–६–६० व १२–१०–६० को हुई मंत्री-मण्डल की बैठक में जयपुर नगर में नवीन पाठशाला भवन, बाल क्रीडास्थल, एवं खेल के मैदानों के लिए स्थानों का सुझाव दिया गया था ?

(२) यदि हां, तो क्या वे सुझाव स्वीकार किये गये ?

(३) यदि सुझाव स्वीकार किये गये तो उन पर क्या अमल हुआ है ? और कहां किस-किस स्थान पर स्कूल भवन, क्रीडा स्थल एवं खेल के मैदान बनाये गये हैं ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) (क) चौगान में १० ६० × ४३०' फीट मैदान में तार लगा दिये गये हैं। बरसात के पानी के बहने के लिए नगरपालिका पक्का नाला बनाने के लिए निश्चय कर चुकी है और काम चालू है।

(ख) सरस्वती कुण्ड के पास १२० × १०० गज जमीन स्कूल भवन के लिए सुरक्षित रखने को पत्र-व्यवहार नगरपालिका से किया जा रहा है।

(ग) ब्रह्मपुरी गेट के पश्चिम में स्कूल भवन व खेल के मैदान के लिए भूमि शिक्षा विभाग के लिए सुरक्षित है। प्लान बनाये जा रहे हैं।

(घ) हकीम मार्टिन का चौराहा : इसका कुछ भाग प्राइमरी स्कूल बनने के लिए प्लान बनवाकर नगरपालिका के पास भेजने हैं।

(ङ) चार दरवाजे के पास खेल के मैदान के लिये भूमि नगरपालिका ने सुरक्षित कर दी है।

(च) न्यू कॉलोनी के पास सिटीवाल के पास खाली स्थान के लिए तथा-

(छ) गन्दे नाले सी स्कीम के पास की जमीन के लिए पत्र-व्यवहार अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से चल रहा है।

(ज) राम बाग चौराहे के पास की भूमि में बच्चों के लिये पार्क बनाना नगरपालिका के अधिकार में है।

(झ) राजामल तालाब में स्कूल के सामने की भूमि स्कूल बनाने हेतु १२०×१०० गज भूमि शिक्षाविभाग को देने के लिये पत्र-व्यवहार नगरपालिका से हो रहा है। इसका प्लान बनवा कर नगरपालिका को भेजना है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह नवीन पाठशाला भवन कहां पर बनाया गया है इस निर्णय के बाद ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : इस जवाब में यह नहीं आया क्या ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पत्र-व्याहार आपका चलता है। मैं पूछता हूं

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

पत्र-व्यवहार के अलावा जो निर्णय ६० में आपने ले लिया तो इन नक्शों को छोड़ कर आप यह बताइये कि ६० से आज ६४ आ गया अब तक नवीन पाठशाला का आपने कोई निर्माण कार्य शुरू किया क्या कागजों के अलावा ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : निर्माण तो नहीं हुआ है लेकिन इसका प्लान बनवाकर नगरपालिका को भेजना है ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि राजापार्क में जिस जमीन का उल्लेख किया है या नगरपालिका को लिखा है वह अर्बन इम्पूवमेंट ट्रस्ट के नीचे है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : राजापार्क के लिए आपने क्या फरमाया जरा फिर से कहें ?

श्री भैरोंसिंह : आपनें राजापार्क के लिए क्या कहा था ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने यह कहा था राजामल के तालाब में स्कूल के सामने की भूमि स्कूल बनाने की हेतु १२० बाई १०० गज भूमि शिक्षा विभाग के देने के लिए पत्र-व्यवहार नगरपालिका से हो रहा है । इसका प्लान बनवाकर नगरपालिका को भेजना है ।

श्री भैरोंसिंह : राजामल का तालाब नहीं आपने राजापार्क के लिए कहा है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : (प्रश्न के उत्तर को धीरे-धीरे धीरे पढ़ने लगे)

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आप तो दुबारा पढ़ दो । सब मतलब निकाल लेंगे ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : राजापार्क का इसमें जिक्र ही नहीं आया है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह लास्ट में आया है ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह तो राजामल का तालाब के लिए है ।

श्री रामानंद अग्रवाल : लास्ट बट वन ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह राजामल है । राजापार्क का कहीं जिक्र नहीं है ।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : यह प्लान बन भी रहे हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : प्लान प्रोसेस में है और बन भी रहे हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या नगरपालिका की चारदीवारी के अन्दर जो स्थान उपलब्ध हैं क्रीडास्थल की दृष्टि से उन सब को क्रीड़ास्थल डिक्लेयर करने के लिए तैयार हैं और उनके ऊपर किसी प्रकार का हक दूसरों का नहीं है इस दृष्टि से विचार कर रहे हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : सरकार वहां म्युनिसिपैलिटी से पूछ कर और आपस में मिल कर कुछ सुझाव दे सकती है अकेले कुछ नहीं कर सकती ।

Page No. 27

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो चारदिवारी के बाहर जो एरिया है वह यू० आई० टी० का है तो आपका कौन सा एरिया है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : एक तरफ तो म्युनिसिपलिटी का एरिया है और दूसरी तरफ यू०आई०टी का है इसलिए कोआॅ-र्डिनेशन के प्रश्न पर तो दोनों से ही पूछ सकती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सुझावों को स्वीकार किया तो आपने क्या कार्यवाही की ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : हमने प्लान बनवाने की कार्यवाही शुरू कर रखी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह तमाम क्रीड़ास्थल कीड़ास्थल बन रहे हैं। यहां कूड़ा पड़ा है और कीड़े ही कीड़े हो रहे हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : जिस जमीन के लिए आपने नगरपालिका को लिखा है........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लिखा कहां है, लिखने का प्लान है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जिस जमीन के लिए आप नगरपालिका को लिख चुके हैं या विचार कर रहे हैं लिखने का तो क्या यह सही है कि उस जमीन को बेचने का अधिकार यू. आई. टी. को है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसमें अध्यक्ष महोदय, कई प्रश्न हैं। कुछ प्राईमरी स्कूल बनवाने के लिए नगरपालिका के पास प्लान भेजे हैं और खेल के स्थानों के लिए चौगान में तार लगा दिये हैं, चार दरवाजे के पास खेल के मैदान के लिए भूमि भूमि नगरपालिका ने सुरक्षित कर दी है, न्यू कॉलोनी के पास, गंदे नले के पास की जमीन और रामबाग चौराहे के पास की भूमि बच्चों के लिए पार्क बनाना नगरपालिका के अधिकार में है। हम इस तरह से अलग-अलग लिख रहे हैं। ट्रस्ट से भी बातचीत कर रहे हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या स्थिति ऐसी है कि अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और नगरपालिका चाहे तो आपके प्रस्ताव को स्वीकार करें और चाहे तो अस्वीकार कर दें ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह तो क्वश्चन ऑफ लॉ एन्ड रूल है। उनके और हमारे क्या अधिकार हैं ? सम्भवत: वह अस्वी-कार भी कर सकते हैं अन्डर दी रूल्स और नहीं भी कर सकते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : कानूनी स्थिति यह है कि जितनी भी जमीन अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और म्युनिसिपलिटी की है उनकी ओरीजिनल प्रोप्राइट्रीशिप सरकार की है। यदि सरकार चाहे कि कोई पर्टीक्युलर स्थान क्रीड़ास्थल के लिए रखा जाये या स्कूल के लिए रखा जाय तो सरकार के जो भी प्रोप्राइट्री राइट्स हैं उनके अन्तर्गत उन जमीनों को अपने पास सरकार रख सकती है। यह स्थिति नहीं है कि यू. आई. टी. उसको अस्वीकार कर दे या नगरपालिका उसको अस्वीकार कर दे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह प्लान यू. आई. टी. का है। यदि सरकार को ऐसे अधिकार हैं तो सरकार को जनहित की दृष्टि

Page No. 28

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

से ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या मंत्री महोदय कह सकते हैं कि सन् ६० के आश्वासन के बाद अब तक कोई नवीन पाठशाला भवन का निर्माण नहीं हुआ और क्रीड़ास्थल का निर्माण नहीं हुआ ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : चीफ सेक्रेटरी की बाल भारती बनी है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : बाल भारती जैसी महान संस्था का निर्माण हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : नवीन पाठशाला भवन का निर्माण हुआ है या नहीं और क्रीड़ास्थल कोई भी तैयार हुए हैं क्या ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने जैसा पहले निवेदन किया कि आपका प्रश्न था कि जयपुर नगर में नवीन पाठशाला भवन, बाल क्रीड़ास्थल एवं खेल के मैदानों के लिए स्थानों का सुझाव दिया गया था मैंने कहा कि हां इस तरह का सुझाव है। इससे प्रतीत होता है कि नहीं बने हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : राज्य सरकार ने नवीन पाठशाला भवन के निर्माण की दृष्टि से कोई धनराशि अलॉट की थी क्या ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह अलग से प्रश्न है। मेरे पास इसकी जानकारी नहीं कि कोई धनराशि अलॉट की थी या नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सवाल इस बात का है कि आपने क्रीड़ास्थलों के लिए तो अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का बहाना लगा दिया लेकिन नवीन पाठशाला का भवन तो सरकार को बनाना था तो जहां तक भवन का प्रश्न है उसके सुझाव को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसकी जानकारी नहीं है कि गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेरा सवाल ही यह है कि "(१) जयपुर नगर में नवीन पाठशाला भवन, बाल-क्रीड़ास्थल एवं खेल के मैदानों के लिए स्थानों का सुझाव दिया गया था ? (२) यदि हां, तो क्या वे सुझाव स्वीकार किए गए ? (३) यदि सुझाव स्वीकार किए गये तो उन पर अमल हुआ है ? और कहां किस किस स्थान पर स्कूल भवन, क्रीड़ास्थल एवं खेल के मैदान बनाये गये हैं ?" सारा प्रश्न ही यह है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने कहा कि 'हां' स्वीकार किये हैं। 'स्वीकार किये' का अर्थ यह नहीं है कि वहां बन ही गये हों। अगर स्वीकार किये गये तो क्रीड़ास्थल बनाये गये हैं या नहीं, उसका स्टेटमेंट दे दिया कि कहां-कहां क्या-क्या प्रगति है।

श्री अध्यक्ष : श्री सुराणा, स्थगित प्रश्न ६३३।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चून्डावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न के पूछने की भी इजाज़त दे दी जाय।

राजस्थान साहित्य अकादमी का कार्यालय

७७४. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान साहित्य अकादमी के कार्यालय को उदयपुर से हटा कर जयपुर लाया जा रहा ?

(२) क्या यह भी सही है कि जयपुर में उसे किराये के भवन में स्थापित किया जायेगा जबकि उदयपुर में सरकारी भवन स्थित है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : बेकार का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : यहां उत्तर नहीं दिया गया तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसका उत्तर नहीं आया।

(विराम)

प्रश्न संख्या ६३३

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : ७७४ बहुत इम्पॉर्टेन्ट है, अगर उत्तर दे दिया जाय तो अच्छा है।

(तारांकित प्रश्न ७७४ के उत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट—१ देखिये)

स्थगित प्रश्न

(२४–३–६४)

तहसीलों में हायर सेकन्डरी स्कूल

६३३. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) राज्य में ऐसी कितनी तहसीलें हैं जहां हायर सेकन्डरी स्कूलें नहीं हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) सरकार का उक्त तहसीलों में हायर सेकन्डरी स्कूलें खोलने का कब तक विचार है ?

(३) यदि अर्थाभाव के कारण नई हायर सेकन्डरी स्कूलें खोलना सम्भव न हो तो क्या ऐसे जिलों में जहां अनुपात से ज्यादा हायर सेकन्डरी स्कूल खुल चुके हैं उनका स्थानान्तरण उपरोक्त तहसीलों में करने का सरकार का विचार है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) शिव, आसपुर, अनूपगढ़, आमेर, पचपहाड़, शेरगढ़, किशनगंज, दीगोद, पीपलदा, सोजत, बामनवास, रेवदार, सराड़ा, लसाड़िया, कुम्भलगढ़।

(२) सन् १९६४–६५ के बजट में माध्यमिक शालाओं का हाई व हायर सेकन्डरी स्कूल बनाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(३) ऐसा कोई प्रपोज़ल सरकार के पास नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : नम्बर ३ का आपने जवाब दिया है कि ऐसा प्रपोज़ल सरकार के विचाराधीन नहीं है। इस तरह का कोई प्रपोज़ल जनता की तरफ से आने की आवश्यकता नहीं है क्या ? क्योंकि हमारी स्टेट के रिसोर्सेज़ बहुत कम हैं और फिर भी डिस्प्रपोर्शनेट तरीके से कुछ तहसीलों में ८-८ हायर सेकन्डरी स्कूल खोले गये हैं और किसी किसी तहसील में एक भी नहीं खुला है इसलिए जितने भी हायर सेकन्डरी स्कूलों का बजट में

Page No. 30

(श्री मनिकचन्द सुराणा)

प्रावधान है उसको सारी तहसीलों की आवश्यकता को देखते हुए रि-एलोकेशन का क्या सरकार विचार रखती है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : रि-एलोकेशन का सरकार विचार नहीं रखती है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यदि सरकार विचार नहीं रखती है तो नये हायर सेकन्डरी स्कूल खोलने में और जूनियर हायर सेकन्डरी स्कूल खोलने में, जिन तहसीलों में एक भी नहीं है क्या उनको प्राथमिकता देने का सरकार का विचार है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऐसा सरकार का विचार है कि जिन तहसीलों में हायर सेकण्डरी जुनियर स्कूल या हाई स्कूल खुले हुए नहीं हैं उन तहसीलों को पहला प्रिफरेन्स दिया जायगा।

श्री फूलचंद जैन (सुजानगढ़) : क्या यह सही है कि जहां हायर सेकण्डरी स्कूल जुनियर और हाई स्कूल पहले से बने हुए हैं वहां नहीं खोले जायेंगे ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : कितनी ऐसी तहसीलें हैं जिनमें हायर सेकण्डरी स्कूल नहीं खुले हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : १५ हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इसमें आपने जैसलमेर जिले की तहसीलें नहीं बताई हैं।

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : जैसलमेर जिले की सब तहसीलें टूट गई हैं और जैसलमेर जो खुद एक तहसील है उसमें है। नाचना के अन्दर जो एक तहसील है उसमें हायर सेकण्डरी स्कूल है और पोकरन में है।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि जिन तहसील हैडक्वार्टर्स पर हाई स्कूल नहीं हैं और जो सरकार हायर सेकण्डरी स्कूल खोलेगी उनमें उनको प्राथमिकता दी जायगी तो इसका मतलब मैं यह पूछना चाहती हूं कि यही है कि जहां पहले से १-२ हैं वहां पर नहीं खोलेगी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने निवेदन किया है कि तहसील हैडक्वार्टर का मतलब यही है कि जिस तहसील में हायर सेकण्डरी स्कूल नहीं हैं उस तहसील को प्राथमिकता दी जायगी। इसका मतलब हैडक्वार्टर से नहीं है।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : जिस तहसील में कहीं भी हायर सेकण्डरी स्कूल नहीं है वहां पर खोलेंगे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जी हां।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपकी लिस्ट में कोलायत का नाम नहीं है जब कि वहां कोई हायर सेकण्डरी स्कूल नहीं है।

वित्तमंत्री (श्री बालकृष्ण कौल) : कोलायत में सब पढ़े-लिखे हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, कोलायत का इसमें नाम नहीं है।

Page No. 31

श्री अध्यक्ष : और सोजत का नाम है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : जहां पर स्कूल है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जहां पर कि हायर सेकण्डरी स्कूल है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पहले जब जवाब दिया गया था तो ५ तहसीलों का जिक्र किया था। अब जो जवाब दिया गया है वह. ट्रिबल के करीब-करीब आगया है। मैंने इस सम्बन्ध में एन्क्वायरी सेट अप कर दी है कि मुझे और सदन को मिसगाइड क्यों किया जाता है इन्फॉर्मेशन रॉंग देकर। मैं फिक्स अप रेस्पान्सिबिलिटी कर रहा हूं। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि तहसीलें और रह गई हैं। मैं सीरियस एक्शन लूंगा जिन्होंने रॉंग इन्फॉर्मेशन दी है।

श्री अध्यक्ष : अगले सप्ताह पूरा जवाब देंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, जो यह....

श्री निरंजननाथ आचार्य : कोलायत में जुनियर हायर सेकण्डरी स्कूल है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैंने हायर सेकण्डरी स्कूल का पूछा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अनूपगढ़ तहसील में हायर सेकण्डरी स्कूल है उसका नाम मौजूद है और पदमपुरा और रायसिंहनगर में नहीं है उसका नाम गायब है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : हायर सेकण्डरी स्कूल का प्रश्न पैदा नहीं होता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, जो भी उत्तर मंत्री महोदय देते हैं वह जैसा कि डिपार्टमेंट के द्वारा सप्लाई कर दिया जाता है क्या उनकी ड्यूटी वैसा ही उत्तर देने की यहां पर है या खुद चेक करके उसकी वेरोसिटी को देखकर फिर यहां उत्तर देने की है? यह व्यवस्था आपको देना है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : एक ही प्रश्न था कोलायत का जिसको कि तोड़-मरोड़कर पूछा गया और मैंने उन पर विश्वास कर लिया कि दरअसल नहीं है। हायर सेकण्डरी स्कूल में जुनियर हायर सेकण्डरी स्कूल भी सम्मिलित हो गया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, अनूपगढ़ में फुल फ्लेज्ड हायर सेकण्डरी स्कूल है और श्री केदारनाथजी के बड़े भाई वहां पर हैडमास्टर हैं। इनसे पूछकर देख लें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरे द्वारा एनेलेसिस करने की बात कही गई तो वह यदि मेरे स्थान पर होते जो कि सम्भव नहीं है तो ऐसा ही कहते। कहां—कहां और किन—किन तहसीलों में हैं यह आंकड़े तो डिपार्टमेंट ही दे सकता है। यह कोई मेथेमेटिकल प्रश्न नहीं हैं कि मैं उसको वापिस देखूं। जो डिपार्टमेंट से सूचना मिलती है उस पर पूरा विश्वास किया जाता है।

श्री रामानंद अग्रवाल : बाकायदा लिस्ट आपके डिपार्टमेंट में नहीं हैं?

श्री फूलचंद जैन (सुजानगढ़) : आपने स्वयं ने स्वीकार किया है कि डिपार्टमेंट मिसलीड करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वह गलत है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : पहले प्रश्न में दरअसल में इन एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन दी है यह मैंने स्वीकार किया है। इस बात को मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इन्फॉर्मेशन पर्याप्त नहीं है।

श्री रामानंद अग्रवाल : यह बात इससे जाहिर हो गई है कि मंत्री महोदय ने सारे प्रान्त का दौरा नहीं किया है इसलिए न तहसील का मालूम है और न उन जगहों का मालूम है वहां पर कि पहले से हायर सेकण्डरी स्कूल हैं वर्ना जैसी भी इन्फॉर्मेशन दी जाती उस जगह का नाम लिखा जाता तो उस जगह को चेक करके फौरन देख लेते।

श्री निरंजनाथ आचार्य : तो दूसरी तरफ आप कहते कि टी०ए०, डी०ए० का हजारों रुपया खराब हो गया, टायर खराब हो गये, मशीनें खराब हो गई, मोटरें खराब हो गईं।

श्री रामानंद अग्रवाल : पैसा तो अब भी आप वसूल कर रहे हैं। ८१७ रुपये माहवार तो यहां से कर रहे हैं। आप हजारों रुपये वसूल कर रहे हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपको फिर मैं आलोचना नहीं करने दूंगा। इन्फॉर्मेशन टेलीफोन से आ सकती है, पत्रों से आ सकती है और कोई गड़बड़ हो गई तो मैं एक्शन ले रहा हूं। आप कहें तो मैं दौरे करता रहूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : केवल लिस्ट लेने के लिए दौरा नहीं करेंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : तो बजट के मौके पर वह नहीं पूछने दूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वैसे काम के लिए दौरा करें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : हम बहुत सहमे हुए हैं।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा निवेदन करना है कि जिन तहसीलों के नाम सदन में पेश किये हैं उनमें कई तहसीलें ऐसी हैं जो कि टूट चुकी हैं उनके नाम भी लिस्ट में आगये हैं।

श्री अध्यक्ष : अगले सप्ताह पूरी लिस्ट आ जायगी।

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

Order please !

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तरों के लिये कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्रधान मन्त्री के दौरे पर व्यय

२४३. **श्री रामकिशन (वैर)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) भारत के प्रधान मन्त्री ने गत पांच वर्षों में प्रान्त में कितनी बार दौरा किया है ?

(२) क्या प्रधान मन्त्री के दौरों के समय कहीं कुछ नये मार्ग या स्वागत भवन और हवाई अड्डे आदि बनवाये गये हैं ?

(श्री रामकिशन)

यदि हां तो कहां-कहां और उन पर कितना कितना रुपया खर्च हुआ ?

(३) क्या प्रधान मन्त्री के आगमन पर किन्हीं मार्गों या स्वागत भवनों आदि की मरम्मत आदि कराई गई है ? यदि हां, तो कहां २ और उस पर कितना रुपया खर्च हुआ ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

सुमेरगंज मंडी से लाखेरी तक सड़क

२४४. श्री लक्ष्मीचन्द (पीपल्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि कोटा जिला सब-तहसील इन्द्रगढ़ में सुमेरगंज मण्डी से लूणवा वाया लाखेरी तक कोई कच्ची सड़क है ?

(२) क्या यह सच है कि इस सड़क को पक्की बनाने की स्वीकृति दूसरी पंचवर्षीय योजना में हो चुकी थी ?

(३) अगर हां, तो इसका कार्य अब तक प्रारम्भ क्यों नहीं किया गया और कब तक इसका कार्य प्रारम्भ किया जाकर कब तक पूर्ण कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(१) जी हां सुमेरगंज मंडी से लूणवा तक एक कच्ची सड़क है। लेकिन एक पक्की सड़क सुमेरगंज से लाखेरी वाया लूणवा बनी हुई है।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता।

गिरवा क्षेत्र के गांवों को बिजली

२४५. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) गिरवा क्षेत्र में कौन २ गांवों में बिजली लग चुकी है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) क्या यह सही है कि सरकार साकरोदा, कुरावड़, बम्बोरा व जगत ग्रामों में बिजली शीघ्र देने का विचार कर रही है ?

(३) क्या यह सही है कि कई गांवों की मांग है कि बिजली शीघ्र पहुंचाई जाय ?

उत्तर

(१) गिरवा क्षेत्र में केवल देबारी और साविन्दा खेड़ा गांव में बिजली लग चुकी है।

(२) अभी ऐसी कोई योजना नहीं है।

(३) जी हां।

समाज कल्याण विभाग में आदिवासी कर्मचारी

२४६. श्री भैंरवलाल 'कालाबादल' (अकलेरा) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) इस विभाग में आदिवासी वर्ग के कितने व्यक्ति किस-किस पद पर नियुक्त हैं ?

(२) जितने व्यक्ति सर्विस पर हैं उनमें भील कितने है और मीणे कितने ?

(श्री भैरवलाल 'कालाबादल')

(३) क्या यह भी सरकार की जानकारी में है कि अब तक आदिवासियों में मेट्रिक से अधिक योग्यता प्राप्त कोई व्यक्ति नहीं है ?

(४) यदि यह सच नहीं है, तो कितने व्यक्ति बी० ए० व एम० ए० पास हैं, उनके नाम बतायें जायं ?

उत्तर

(१) समाज कल्याण विभाग में अनुसूचित जन-जातियों के व्यक्ति निम्न पदों पर नियुक्त हैं:—

(१) गजेटेड १
(२) नॉन गजेटेड ६
(३) मिनिस्ट्रियल ४
(४) च० श्रे० कर्मचारी ४७

कुल ५८

(२) जाति के अनुसार जानकारी नहीं रखी जाती है।

(३) जी नहीं।

(४) सेन्सेज विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार २२ व्यक्ति बी० ए० व एम० ए० पास हैं।

आदिवासी छात्रावासों में हरिजन छात्र

२४७. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) जिला सवाई माधोपुर में कितने हरिजन व कितने आदिवासी छात्रावास हैं और कहां-कहां पर ?

(२) क्या यह सही है कि आदिवासी छात्रावासों में हरिजन छात्रों को दाखिल नहीं किया जाता है ? यदि नहीं, तो प्रत्येक छात्रावास के अन्दर कितने–कितने हरिजन छात्र रहते हैं ? और यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जिला सवाई माधोपुर में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जन–जातियों के लिये सवाई माधोपुर एवं महुवा में दो छात्रावास चलाये जा रहे हैं। अनुसूचित जातियों के विभाग द्वारा करौली में एक छात्रावास चलाया रहा है।

(२) नियमानुसार अनुसूचित जन-जाति, अनुसूचित जाति व विमुक्त जातियों के छात्रावासों में अन्य जातियों (पिछड़े वर्गों में से) के छात्रों को प्रवेश देने का प्रवाधान है। महुवा एवं सवाई माधोपुर स्थित अनुसूचित जन-जातियों के छात्रावासों में अनुसूचित जाति के किसी छात्र ने प्रवेश के लिये आवेदन पत्र नहीं दिया अत: उनमें इन वर्गों के छात्र भर्ती नहीं किये जा सके। अब इन छात्रावासों में स्थान रिक्त नहीं है।

(६.२६ म० पू०)

फूडग्रेन्स लाइसेंसिंग ऑर्डर, १९६४ को प्रभावशील बनाने सम्बन्धी स्थगन–प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना माननीय सदस्य श्री मुरलीधर व्यास

(श्री अध्यक्ष)

ने दी है जिसका सम्बन्ध फुडग्रेन्स लाइसेंसिंग आर्डर, १९६४ से है। उनका यह कहना है कि ९० पर्सेन्ट छोटे व्यापारी हैं जो कि एक हज़ार या पांच सौ रुपयों से अपना धन्धा करते हैं उनको लाइसेन्स की सिक्योरिटी के रूप में जमा कराने से दिक्कत होगी और इससे भी सम्बन्धित कई मामले हैं। मैं आशा करता हूँ कि मंत्री महोदय आज या कभी इन सब बातों की जानकारी करके सदन को सूचित करेंगे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि एक मोशन भी दिया हुआ है २–३ माननीय सदस्यों ने इसके बारे में; तो इसके लिए बहस का दिन निर्धारित किया जाय तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह बात सही है कि फुड-ग्रेन्स लाइसेंसिंग आर्डर, १९६४ जो जारी किया गया है इसके कारण मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके कारण स्थिति बहुत विकट हो गई है और मैं समझता हूँ कि व्यापारियों की स्थिति और छोटे व्यापारियों की खास तौर से बड़ी भयंकर स्थिति है और जयपुर में कम से कम सारे छोटे व्यापारी इस उद्योग को करने वाले हैं वे आज से अपनी दुकानें बन्द करने वाले हैं। यह कोटा में भी हो रहा है। सारे व्यापारियों में खास तौर से छोटे व्यापारियों में भयंकर असन्तोष व्याप्त है। इस सम्बन्ध में आपसे डेप्युटेशन मिला होगा या मिलेगा और इसके बारे में अपनी जानकारी देगा कि यह जो ऑर्डर ड्राफ्ट किया गया है वह बड़ा डिफेक्टिव, और स्टिफ है। इसके इम्प्लीमेन्टेशन से मैं समझता हूँ कि बड़ी भारी दिक्कतें आयेंगी। इसलिए उसका किसी तरह से उद्देश्य पूरा हो जाय और अनावश्यक रूप से संकट पैदा नहीं हो और अनावश्यक रूप से लोगों को तकलीफ न हो इसको ध्यान में रखकर जारी किया जाय। कल आप वक्तव्य देंगे तो मोशन भी दिया हुआ है उसको स्टडी करके सरकार को सुझाव दे सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : कल या फिर कभी।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : ३१ मार्च को उसकी आखिरी डेट है और उस समय के अन्दर संक्षेप में उत्तर मिल जाता तो सरकार की नीति मालूम पड़ जाती। आज के बाद में वह डेट निकल जायगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उसको सरकार एक्स्टेन्ड कर सकती है।

श्री मुरलीधर व्यास : मंत्री महोदय जो कुछ भी वक्तव्य आज दे दें और उसके बाद में कोई चर्चा का विषय हो तो उसको फिर उठाया जा सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : १ अप्रेल तक एक्स्टेन्ड करने का सरकार को निवेदन कर दिया।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ बातें अभी कहना पसन्द करूंगा जिससे कि कुछ गलतफहमियां व्यापारियों में या सदन के माननीय सदस्यों में कुछ न हों और सही तौर से क्या मकसद है और कैसे हम आगे प्रोसीड करना चाहते हैं, इसके बारे में मैं कुछ बातें आज निवेदन करना चाहता हूँ। जब कुछ बातें फाइ-

(श्री नाथूराम मिर्धा)

नल रूप में सूचित करके तय करने के बाद होंगी। इन मुद्दों में उसके बारे में और सदन के माननीय सदस्य जानना चाहेंगे तो दो-चार दिन में उसके बारे में जानकारी दे दूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आज आपकी मार्फत सदन के माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह फूड कंट्रोल ऑर्डर, १९६४ जो जारी किया गया १८ मार्च को गजट में पब्लिश हुआ और १ मार्च से इसको लागू किया गया....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : २४ फरवरी को पब्लिश हुआ।

श्री नाथूराम मिर्धा : १ मार्च से लागू किया गया और १८ मार्च को पब्लिश किया गया।....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब कि आप इसे १ मार्च से लागू करते हैं तो १८ मार्च को कैसे पब्लिश होगा २४ फरवरी को पब्लिश हुआ।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसको लागू १ मार्च, ६४ से किया है। इस बारे में जो व्यापारियों को दिक्कत है उस बारे में क्या आगे सोचना है उसकी जानकारी देनी है। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि जो कानून लागू किया है यह केवल राजस्थान के अकेले लिये ही बनाया गया हो, इस दृष्टि से नहीं बनाया है। सदन में समय समय पर बहस खड़ी हुई कि खाद्यान्न की कीमतें काफी ऊंची जा रही हैं, किसानों और गरीबों को परेशानी हो रही है इसलिये सरकार को मंहगाई रोकने के लिये कदम उठाना चाहिये। मैंने समय समय पर माननीय सदस्यों से निवेदन किया था कि सरकार इस सारी चीजों को रोकने के लिये जो कदम उठाये जाने आवश्यक हैं उनके बारे में विचार कर रही है और कुछ कदम उठाये हैं। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि कुछ धान की दुकानें बड़े पैमाने पर सभी इलाकों में राजस्थान में खोली गईं, कुछ दूसरे प्रान्तों में भी खोली गई। तो सरकार को यह कदम उठाना पड़ा। कुछ लोग दूर दूर के इलाकों में जाकर धान का वितरण करने को तैयार नहीं थे इसलिये सरकार ने निर्णय किया कि सरकार की तरफ से दुकानें खाली जायं और जो कीमतें बढ़ रही हैं उसे रोका जाय। एक कदम यह उठाया गया। उसके बाद मैंने निवेदन किया था कि सारे देश के खाद्य मंत्रियों की बैठक दिल्ली में हुई थी उन्होंने सामूहिक रूप से विचार करके कुछ कदम और उठाये। जो कानून और ऑर्डर आपके सामने मौजूद है यह उसी की कड़ी है जिसके अन्दर यह कानून प्रान्तों में लागू हुआ। एक मूल ढांचा तैयार करके सारे देश में भारत सरकार ने भेजा और कहा कि जल्दी से जल्दी इसको लागू करना चाहिये। कई राज्य सरकारों ने इसे लागू कर दिया है और कई सरकारें इस कानून पर विचार कर रही हैं, सारे देश में लागू होगा। क्योंकि खाद्यान्न के भावों का नियंत्रण करना, मूवमेन्ट का नियंत्रण करना अनिवार्य है और करना पड़ेगा। मैंने कुछ दिन पहले जानकारी दी थी कि व्हीट के एक्सपोर्ट के लिये जोन्स बने हैं। राजस्थान भी उसमें शामिल है। खाद्यान्न नियंत्रण के बारे में जो यह कानून लागू किया गया, माननीय सदस्यों की जानकारी में आ गया होगा कि जब से इसको लागू किया गया है, व्यापारियों के

(श्री नाथूराम मिर्धा)

दिमाग में काफी असंतोष बढ़ रहा है क्योंकि कोई आदमी आसानी से पसन्द नहीं करता कि उनके ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण हो, उनको असुविधा हो। यह स्वाभाविक है उनके दिमाग में इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं होना, लेकिन जैसा कि माननीय सदस्यों को स्वीकार होगा कि कुछ लोगों को कठिनाई होने के बाद भी यदि देश में ज्यादा लोगों को लाभ होता है और ऐसी परिस्थिति होती है देश की तो इस प्रकार का कानून बनाना आवश्यक होता है। तो इस कानून के मूल भूत सिद्धान्तों के अनुसार यह मानकर चलना होगा कि इस कानून के नीचे लाइसेन्स लेना जरूरी है तो लेना है तो लेना पड़ेगा। यदि हम इस प्रकार की व्यवस्था करना चाहते हैं कि खाद्यान्न सब को देना है तो उसका नियंत्रण रखना पड़ेगा, पूरे स्टॉक का हिसाब रखना पड़ेगा, आवश्यकता पड़ने पर सर्च भी की जा सकती है। व्यापारियों को सीक्योरिटी की रकम भी जमा करानी पड़ेगी। यदि लाइसेन्स लेना चाहते हैं तो। हमने यह कहा था कि जिस तारीख से यह कानून लागू है उस ऑर्डर के नीचे तुरन्त लाइसेन्स ले लें। जिन्होंने दरख्वास्तें दे रखी हैं वे भी लें लें और जिन्होंने दरख्वास्तें नहीं दी हैं वे भी तुरन्त दे दें और लाइसेन्स ले लें। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह कानून और इसकी सभी धाराएं रहने वाली हैं। यह ऑर्डर रहने वाला है और लाइसेन्स लेना है व लेना पड़ेगा। व्यापारियों की अलबत्ता कुछ भूल भूत असुविधाएं भी हैं इन धाराओं के नीचे। उन्होंने सिक्योरिटी के बारे में कहा कि यह बिल्कुल नहीं रहनी चाहिये। यह हमारे पर स्लर है क्योंकि हम ऐसे महाजन हैं कि किसी भी वक्त गवर्नमेन्ट हम पर पेनल्टी करे तो हम उसे चुकाने की क्षमता रखते हैं इसलिये सिक्योरिटी का प्रोविज़न नहीं रहना चाहिये। सिद्धान्त रूप में मैं इसको नहीं मानता। सिक्योरिटी लेनी पड़ेगी। लोग यह कह सकते हैं कि कुछ लोग जो छोटे तौर पर व्यापार करते हैं उनको अमाउन्ट ज्यादा होने से तकलीफ होती है, तो सिक्योरिटी की अमाउन्ट में किस तरह से, क्या परिवर्तन किया जा सकता है इस पर सरकार विचार कर रही है और निर्णय लिया जायगा और चार-पांच दिन में फैसला करने की पोज़ीशन में होंगे कि सिक्योरिटी की अमाउन्ट कितनी रखें। लेकिन प्रिन्सिपल से सिक्योरिटी लेनी पड़ेगी, रुपये जमा कराने पड़ेंगे, इसे इन्कार नहीं कर सकते। इसके बारे में भारत सरकार से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि इस प्रावधान से विमुक्त नहीं किया जा सकता। इसलिये छोटे लोगों को असुविधा होने पर सिम्पेथेटिक विचार करके कितना अमाउन्ट हो इसका फैसला तीन-चार दिनों में करेंगे।

इसके अलावा, एक दो प्रावधान और हैं जिन पर सोच रहे हैं। इसमें लिखा है कि होलसेलर रिटेलर को बेच सकेगा। इसका खास मकसद है। मैं इस धारा के बारे में निवेदन करूंगा कि जो होलसेलर किसी को माल बेचता है फूडग्रेन्स का जो डीलर है उसको बेचदे तो हमें मालूम होना चाहिये कि किस आदमी को बेचना चाहता है। पहले लिखा हुआ था कि जिन जिन लोगों को माल बेचा है उनकी लिस्ट देनी पड़ेगी। पहले 'रिटेलर' वर्ड था उसके बजाय अब 'डीलर' रख देंगे। चाहे वह डीलर होलसेलर हो, रिटेलर हो, उसको माल बेचने की सुविधा होगी। 'रिटेलर'

(श्री नाथूराम मिर्धा)

की जगह "डीलर" रख दें तो उसमें दोनों आ जायेंगे। इसमें आशंका है होलसेलर रिटेलर को बेच सकता है तो इस शब्द को रखने से क्लेरिफिकेशन हो जायगा और किसी को असुविधा नहीं होगी। लेकिन इस धारा की मंशा यह है कि जो अनाज का धंधा करना चाहते हैं वे किस एरिया में बेचेंगे उसकी सूची सरकार को मालूम होनी चाहिये ताकि जिनको माल बेचा उनका प्रोफोर्मा चेक कर सकें। जो व्यवहारिक कठिनाइयां है एक दो, उनको ठीक करने की स्थिति में होंगे। उसका निर्णय दो चार रोज में सदन में आयेगा। सही तौर से जो खाद्यान्न रखना चाहते हैं उनके लिये इसकी धाराओं में किसी प्रकार की कमी बेशी नहीं करना चाहते हैं। कार्य-प्रणाली में जो कठिनाइयां आती हैं वाजिब तौर पर सुधार कर सकते हैं उसे करने में हमें आपत्ति नहीं है। वह सदन और व्यापारियों के सामने आ जायेगा। इसलिये मैं आपकी मार्फत माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि बुनियादी तौर से लाइसेन्स ले लेना चाहिये। १ अप्रेल आने वाला है। जिन लोगों ने लाइसेन्स ले लिया है उनको नये साल का लाइसेन्स लेने के लिये दुबारा मजबूर नहीं करेंगे क्योंकि एक बार जिसने फीस दे दी है उसको इस साल की हम मान लेंगे। जिन्होंने एप्लाई कर दिया है, वह टीक है, जिन्होंने एप्लाई नहीं किया है वे भी एक दो दिन में एप्लाई कर दें क्योंकि यदि वे एप्लोकेशन नहीं देंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करनी आवश्यक होगी वह की जायगी....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : फिक्स्ड डेट दे दें।

श्री नाथूराम मिर्धा : अप्रेल के फर्स्ट वीक में सबको अपना लाइसेन्स ले लेना चाहिये। यदि उन्होंने नहीं लिया और खाद्यान्न बेचते रहे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही, जैसी इन धाराओं के नीचे आवश्यक होगी वैसी करनी पड़ेगी। इसलिये व्यापारियों को अपना लाइसेन्स तुरन्त फर्स्ट वीक आॅफ अप्रेल तक ले लेना चाहिये। जिन्होंने एप्लाई किया है वे ले लें। और जिन्होंने एप्लाई नहीं किया है वे एप्लाई करदें। यदि नहीं लेंगे तो फूडग्रेन्स कंट्रोल आॅर्डर के अंतर्गत जो चार्जेज़ उन पर लगेंगे उनको फेस करना पड़ेगा। इस तरह से प्रेक्टीकल रूप में जो डिफीकल्टीज़ हैं और जो गलतफहमी चल सकती है इस सदन के बाहर और इस सदन के अन्दर उस कारण सदन के माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए प्रिलिमिनरी तौर पर जरूरी सोचता था कि उन्हें इसके सम्बन्ध में बताऊं। यह प्रश्न खड़ा हो गया तो सदन के माननीय सदस्यों को जानकारी दे दी। अब डिटेल्स में क्या होगा वह सदन के माननीय सदस्यों और जनता के सामने दो तीन दिन में साफ हो जायगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, जो स्थगन प्रस्ताव रखा था उसमें मूल मन्शा यह थी, जिस तरीके से यह लाइसेन्स बनाने का सवाल है और उसमें सीक्योरिटी जमा कराने का सवाल हैं—उसमें खास तौर पर छोटे व्यापारी जो गांव से लेकर शहर तक ६० प्रतिशत इस प्रकार के हैं, जो रोजाना दो चार बोरी खरीदते हैं और बेचते हैं और उससे अपना निर्वाह करते हैं, उनके पास इतना ही रुपया है कि हजार दो हजार में व्यापार करते हैं,—उनके लिए भी टर्नओवर

(श्री मुरलीधर व्यास)

हो जाता है वह इतना हो जाता है कि जिससे एक हजार रुपया जमा कराना पड़े सिक्योरिटी का, उस पर विचार करने के लिए यह स्थगन प्रस्ताव रखा था। क्या सरकार इस मामले में इस प्रकार का निर्णय लेना चाहती है कि छोटे व्यापारी के लिए कम से कम सिक्योरिटी हो, सौ रुपया हो—मैं नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, उनको लाइसेन्स लेना चाहिए क्योंकि राज्य सरकार के ऊपर जिम्मेदारी है कि जब कभी मंहगाई आ जाती है तो वह सब बातों पर नियंत्रण करे। जब नियंत्रण करने का सवाल आता है तो उसके लिए कोई न कोई प्रावधान करके, नियंत्रण करके, जिससे सबको अनाज दे सके, भावों का नियंत्रण करना पड़ता है। तो मैं नियंत्रण करने का विरोध नहीं करता हूं लेकिन उसके साथ-साथ चाहता हूं कि कोई इस प्रकार की बात भावावेश में न हो जाय जिसके कारण जो छोटे छोटे लोग, जो हजारों और लाखों की तादाद में हैं, इस प्रकार व्यापार करके जीवन निर्वाह करते हैं, वे कम से कम अपने रोजगार से वंचित न हो जायं। आप कहते हैं कि तीन चार दिन के अन्दर लाइसेन्स नहीं लें तो हम कार्यवाही करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि लाइसेन्स के साथ में यह शर्त है कि सिक्योरिटी जमा करानी है, उस सिक्योरिटी के सम्बन्ध में इस प्रकार का निर्णय नहीं दे दें क्योंकि उनकी आर्थिक हालत ऐसी नहीं है कि हजार रुपया जमा करा दें और उसके बाद धन्धा कर सकें। इसलिए इस सम्बन्ध में स्पष्ट प्रावधान डालना चाहिए था कि छोटे छोटे लोग हैं उनके लिए इसके प्रोवीजन्स में यह कहें कि ढाई सौ, या सौ रुपया सिक्योरिटी होगी। इन प्रोवीजन्स में कम से कम इस प्रकार का निर्णय दें।

दूसरे, जहां तक इस मामले का सवाल है, इसके प्रोवीजन्स का सवाल है, गांवों में व्यापारी चार छः बोरी बेच देते हैं, शहरों में बेचते हैं, छोटे छोटे कस्बों में बेचते हैं—आपने उनके लिए प्रोवीजन रखा है कि उनको हिसाब-किताब रखना पड़ेगा, जो छोटे छोटे आदमी हैं, अनपढ़ आदमी हैं वे भी हिसाब-किताब रखें। आप उनकी स्थिति को किस प्रकार की करना चाहते हैं। मैं इस सिलसिले में कहना चाहता हूँ कि सरकार इस मामले के अन्दर एक मार्च से पहले स्थिति स्पष्ट कर दे तो उन लोगों को राहत मिल सकती है।

इसमें कुछ इस प्रकार के प्रोवीजन्स हैं जिससे केवल भ्रष्टाचार पनप सकता है। जो लोग इन्स्पेक्टर वगैरह हैं वे इस मामले में भ्रष्टाचार को ज्यादा प्रोत्साहन दे सकते हैं। इस प्रकार की चीजों पर सोचना चाहिए कि इसमें ऐसे प्रोवीजन्स न रह जायं जिससे जनता को दिक्कत हो और भ्रष्टाचार बढ़ सके। ऐसे जो प्रोवीजन्स हैं इन पर आप विचार करलें।

इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले आप इस प्रकार का डिक्लेरेशन कर दें कि जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनके लिए सिक्योरिटी का सौ रुपया रखेंगे जिससे उनको राहत मिले। और जो सरकार की नीति है, जैसा माननीय मंत्री के कहने से मालूम पड़ता है, वह इसके लिए विचार कर रही है उसके लिए वह धन्यवाद की पात्र है, लेकिन इसमें इस प्रकार का अमेंडमेंट कर दें कि जो दो-चार बोरी

(श्री मुरलीधर व्यास)

बेचे उसको सिक्योरिटी जमा कराने की आवश्यकता नहीं है तो उसको राहत मिलेगी, और अगर लें भी तो नॉमीनल, आर्डिनेरी अमाउन्ट लें । इस प्रकार का लाइसेंसिंग आर्डर में सिक्योरिटी का प्रावधान रख दें । इसलिए मैंने यह रखा है ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि लाइसेंसिंग आर्डर के मातहत जो प्रावधान होते हैं, उनमें यह एसेंशियल पार्ट रहता है कि ये व्यापारी कितना मुनाफा ले सकते हैं, मार्जिन आफ प्रॉफिट क्या हो सकता है-उसको निर्धारित करें । इन रूल्स के मातहत यह भी घोषणा की है कि जो व्यापारी अनाज बेचेगा वह बतायेगा कि कितनी कीमत में उसने अनाज खरीदा था और कितनी कीमत में बेचा है । इसमें सरकार की मन्शा है कि मार्जिन आफ प्रॉफिट ज्यादा नहीं होना चाहिये-इसको मानने से कोई इन्कार नहीं कर सकता । अभी तक, मार्जिन आफ प्रॉफिट क्या होगा, इसका निर्णय नहीं किया है । इसके साथ-साथ यह एसेंसियल पार्ट है, हो सकता है इस समय आपको कठिनाई महसूस नहीं हो रही हो लेकिन जब इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे उस समय कठिनाई उपस्थित होगी क्योंकि अधिक से अधिक प्राइसेज क्या हो सकती है और कम से कम क्या हो सकती है इसका आपने निर्णय नही किया है । इस स्थिति में आपके सामने फिर यह कठिनाई पैदा होगी मार्जिन आफ प्रॉफिट के क्वेश्चन को लेकर ।

दूसरा, जैसा आपने फर्माया कि स्माल ट्रेडर्स हैं उनको रिलीफ देना चाहते हैं । अभी तक गवर्नमेंट उसके बारे में डेफिनेट आफि-नियन नहीं बना सकी है कि कितना किस प्रकार का रिलीफ देना चाहिए । आपको यह जानकारी भी होगी कि राजस्थान में होलसेल ट्रेडर्स की संख्या कम है और रिटेल सेल ट्रेडर्स की संख्या ज्यादा है जिनके सामने आर्थिक संकट पैदा होता है । इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रश्न के ऊपर सदन में विचार करें, उसके बाद गवर्नमेंट जो भी निर्णय लेना चाहे वह ले और जिस समय तक यह चीज फाइनल न हो जाय तो जैसा आपने फर्माया कि दो तीन दिन में लाइसेन्स जिसने नहीं लिया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायगी-वह आप पन्द्रह दिन के बाद भी कर सकते हैं, उसके अन्दर दिक्कत आने वाली नहीं है । इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि इस मसले पर विचार किया जाय । उसके बाद गवर्नमेंट निर्णय ले और जब तक फाइनल निर्णय न हो जाय, जब तक पूर्ण निर्णय न हो तब तक इसके इम्प्लीमें-टेशन को पोस्टपोन किया जाय ।

दूसरी जानकारी में यह कहना चाहूंगा कि जो सिक्योरिटी की व्यवस्था की है उसके लॉजिक क्या है ? आप यह कह सकते हैं कि आपको जुर्माना वसूल करना है । तो जुर्माना, जिस प्रकार और लोगों से वसूल करते हैं जो बाकी की कॉमोडीटीज का व्यापार करते हैं जो सिक्योरिटी जमा नहीं कराते हैं । जैसे सैल्स टैक्स है, इन्कम टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, इनके लिए बिजनेसमेन के लिए शर्त है कि वह रुपया जमा नहीं कराता है तो उस पर फाइन इम्पोज किया जाता है और वह वसूल किया जाता है । तो इसके बारे में कौनसी लाजिक है, जबकि बाकी तमाम चीजों में नहीं

(श्री भैरोंसिंह)

है तो केवल फूड ग्रेन्स के व्यापारी की सिक्योरिटी जमा कराने को मजबूर होना पड़ेगा ? मैं समझता हूं कि लॉजिक के अभाव में यह शर्त लगाई गई हो ऐसी चीज नहीं है। फिर सरकार की मन्शा क्या है ? क्या सरकार रुपया क्लेक्ट करना चाहती है ? अगर ऐसा है तो सरकार स्पष्ट रुप से कहे कि व्यापारियों से लाइसेन्स की सिक्योरिटी के रूप में रुपया कलेक्ट करना चाहती है। अगर नहीं करना चाहती है तो इस प्रकार का बिजनेसमैन के बीच में यह डिस्क्रिमिनेशन क्यों रख रहे हैं। सिर्फ अनाज के भाव बढ़े हों-ऐसी बात नहीं है। बाकी की चीजों के भी भाव बढ़े हुए हैं। आज जब किसान अनाज लेकर आने वाला है उस समय सरकार का एटीट्यूड इस प्रकार का हो जाय जिससे किसान मुनाफा नहीं ले सके, इस प्रकार की सरकार कर सकती है। लेकिन किसान की मेन्टेलिटी होती है उसके अनुसार चूंकि कन्ट्रोल रेट के ऊपर सरकार द्वारा निर्धारित दर पर उसे अनाज बेचना है इसलिए वह बचने की कोशिश करेगा क्योंकि जो एसेंसियल कामोडीटीज हैं, जो उसकी लाइफ के लिए जरूरी हैं, वह उसे सस्ते दामों में मिल सकें -ऐसी व्यवस्था नहीं हुई है। तो इस प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन क्यों है और इसके पीछे क्या लॉजिक है-इस प्रश्न पर विचार करने के लिए, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार के दृष्टिकोण से विचार करें। इस पर सदन में विचार हो जाय तब तक इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए इस पन्द्रह तक के लिए पोस्टपोन कर दिया जाय। निर्णय तो आपको लेना है, लेकिन सदन के सदस्य, राजनैतिक नेता और व्यापारी इस पर अपने विचार रख सकें, किसान अपने विचार रख सकें। उसके बाद निर्णय ले लें इसमें हमें आपत्ति नहीं होगी।

श्री दलपतसिंह (आबू) : अध्यक्ष महोदय, सिक्योरिटी के बारे में एक जानकारी दी है कि सिक्योरिटी के लिए उनको हजार, पांच सो रुपये जमा कराने पड़ेगे। जहां तक मेरे डिस्ट्रिक्ट का ताल्लुक है, मैं जिस तरफ से आता हूं, वहां मैं देखता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और कुम्हार, गरीब गरीब आदमी जिनका आउट अनइकानामिक है और अधिक से अधिक हजार पन्द्रह सौ हो जाता है। वैसी परिस्थिति के अन्दर, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अगर उनको सिक्योरिटी के रूप में इतनी रकम जमा करानी पड़ती है तो उनका बिजनेस चौपट हो जायगा। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि चाहे सो, पचास की नोमीनल फीस लगा दी जाय तो कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : वह काश्तकार है या ट्रेडर्स ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ट्रेडर्स हैं, छोटा छोटा व्यापार करते हैं।

श्री दलपतसिंह : ट्रेडर्स हैं। उनकी पोजीशन ऐसी नहीं है कि एक हजार की सिक्योरिटी देने के काबिल हों। इसलिए इसके अनुसार अगर एक हजार की सिक्योरिटी लेने के लिए जायेंगे तो गांवों में कितने छोटे छोटे व्यापारी हैं वे सब डीलर की कैटेगरी में आ जायें और एक हजार रुपया

Page No. 42

(श्री दलपतसिंह)

नहीं दे सकेंगे और उनके आजीविका के साधन खत्म हो जायेंगे ।

दूसरी बात यह है कि जो जोन्स कायम किये हैं, उसके अनुसार राजस्थान को एक जोन बनाया है फूड ग्रेन्स का और सप्लाई की लोकल आथोरिटीज हैं उन्होंने यह आदेश कर दिया है । राजस्थान में जो इन्टरडिस्ट्रिक्ट फूड ग्रेन्स का ट्रान्जेक्शन होता है, मुझे जैसी इत्तला मिली है व्यापारियों से, उसे बन्द कर दिया है....

श्री नाथूराम मिर्धा : कहां ?

श्री दलपतसिंह : Inter district.

एक माननीय सदस्य : जी नहीं ।

श्री दलपतसिंह : मंत्री जी जानते हैं । मैं गांव के आदमियों से मिला था, उन्होंने कहा था । आप कोशिश कर रहे हैं इस प्रश्न को हल करने की, इसलिए जो इम्प्लीमेंटेशन होता है जिन लोगों पर, उनमें गलतफहमियां पैदा होती हैं, इसलिए इनका स्पष्टीकरण करने की बहुत जरूरत होती है । राजस्थान से बाहर नहीं जाना चाहिये, आबू रोड से बम्बई नहीं जाना चाहिये मगर आबू रोड से जोधपुर या जोधपुर से आबू तो भेजा जा सकता है । इस पर रोक नहीं लगनी चाहिये । इससे बहुत बड़ी भारी व्यापारियों को आपत्ति हो जावेगी । इसके अतिरिक्त मैं यह बताना चाहता हूं कि जो शिडयूल्ड कास्ट के लोग व्यापार करते हैं उनसे इतनी बड़ी रकम ली जावेगी तो यह रकम मैं समझता हूं कि १२ महीनों में भी वे शायद कमाते होंगे ।

श्री अध्यक्ष : अब इस बारे में ज्यादा बहस नहीं होगी । माननीय मंत्री उत्तर दें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत गंभीर है और इसके दोनों पहेलू हैं । इस सदन में अनाज की बढ़ती हुई कीमतों के बारे में गंभीर दृष्टिकोण माननीय सदस्य लाये हैं और वास्तव में जिस तेजी से भाव बढ़े उससे बहुत ही संकट हमारे सामने पैदा हुआ और स्थिति में बराबर सरकार से मांग की है । इस संबंध में सरकार ने जो कदम उठाये हैं वे किस प्रकार के हैं, इसमें क्या खामियें हैं, ऑरडिनरी ट्रेडर्स को इससे क्या तकलीफ होगी ये तमाम प्रश्न इससे संबन्धित हैं जो सदन में प्रदर्शित होने चाहिये । इसलिये मैं अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न पर विचार करने के लिये अलग से समय निर्धारित करके बहस के लिये रखा जावे ताकि फिर इस पर पूरे एस्पेक्ट को सामने रखे जावें । बहुत जल्दबाजी में कदम उठाया जाए तो इसका नतीजा गलत हो सकता है ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा व्यापारी जो गांवों के अन्दर होते हैं वे १० बोरी लेकर अपने यहां काम करते हैं । अगर उनको एक हजार रुपया सिक्योरिटी का देना पड़े तो यह उनके लिये बहुत भारी होगा और उस व्यक्ति की हिम्मत नहीं हो सकती कि वह व्यापार करें । इसलिये मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि बड़े व्यापारियों की सिक्योरिटी बैंक के थ्रू होनी चाहिए और बैंक की गारन्टी होनी

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

चाहिये। छोटे व्यापारियों पर कोई सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिये। जहां तक ज्यादा मुनाफा लेने का प्रश्न है, मैं कहूँगा कि छोटे व्यापारी ज्यादा मुनाफा नहीं ले सकते। बड़े डीलर्स ही गड़बड़ी करते हैं। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि छोटे व्यापारियों के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं रखी जावे। आपने इसके अलावा १० क्विन्टल का रखा है उसके बजाय २० हो जावे ताकि रोज उसको लाने में खर्चा करना पड़ता है और डिफिकल्टी होती है उसका बर्डन उस पर कम हो जाए। इसलिये १० के बजाय २० कर दिया जाना चाहिये। इससे उनको बहुत राहत मिलेगी और होल सेल डीलर्स भी ज्यादा भाव नहीं बढा सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : अब आगे बहस नहीं होगी।

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न उठाये गये हैं उसके संबन्ध में मैं थोड़ी सी बातें सक्षेप में कहूंगा। खास तौर से छोटे व्यापारियों के लिए काफी कहा गया है। मैं इसके लिये पहले ही कह चुका हूं कि छोटे व्यापारियों के बारे में सिक्योरिटी का अमाउन्ट कम किया जावे, यह विचाराधीन है और इस पर विचार कर रहे हैं। सिक्योरिटी को लेने का क्या महत्व है और व्यापारी इसको पसन्द नहीं करते। मगर यह भारत सरकार की मंशा है और हम भी इसमें सहमत हैं। इससे छोटे मोटे ओफेन्स होंगे उनको हम रोक सकेंगे अन्यथा हमारे पास कोई रास्ता नहीं रहता। यदि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं होती है तो हमारे पास सिवाय केन्सीलेशन आफ लाइसेन्स के कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता। और इसके अलावा और भी कई तरह के मुकदमें उनके खिलाफ लाने पड़ते हैं। यदि सिक्योरिटी रखेंगे तो हमको उन मुकदमों में नहीं जाना पड़ेगा। इसके अलावा, दूसरी बात यह है कि हमारी इच्छा है काफी अमाउन्ट राज्य के एक्सचेकर में आवेगा। अगर १००) रु० एक व्यापारी का भी मान कर चलें तो करोड़ों रुपये आवेंगे और जो मेन्टेलिटी ओफ होल्डिंग है वह भी किसी हद तक कम होगी क्योंकि कुछ पैसा हमारी सरकार के पास आयेगा तो उससे होल्डिंग के पैसों का भी चैक कर सकेंगे। इसके अलावा पेनल्टी क्लाज रहेगा। मैं यह कहूँगा कि छोटे व्यापारियों के लिये तो हम विचार कर रहे हैं। व्यापारी इस इन्तजार में बैठे हैं कि सरकार कुछ रद्दो-बदल करे और इसी इन्तजार में उन्होंने कोई लाइसेन्स नहीं लिये हैं क्योंकि वे यह समझते हैं कि कुछ कम करेंगे उस पर सोचेंगे। मैं यह कहूँगा कि उनको एक सप्ताह में इस कार्यवाही को कर लेना चाहिये अन्यथा उनको इसके कोन्सीक्वेन्सेज भुगतने पड़ेंगे। अगर सिक्योरिटी का रूपया कम कर देंगे तो जो रुपया उनका ज्यादा जमा होगा उनको वापिस लौटा दिया जावेगा। इसलिये यह कहना छोटे और बिना पढे लिखे लोगों को इसमें तकलीफ होगी और वे व्यापार नहीं कर सकेंगे। डीलर की डेफिनिशन के बारे में भी कहा गया कि इसको चेन्ज कर दिया जावे, और १० क्विन्टल के बजाय २० कर दिया जावे, मैं यह कहूँगा कि डीलर्स की डेफिनिशन यही रहेगी। इसके अन्दर कोई रद्दोबदल नहीं होगा। अगर उनके पास स्टाफ है या नहीं, वे पढ़े लिखे हैं या नहीं इन सारी बातों को कानून के नीचे कोई

(श्री नाथूराम मिर्धा)

गुंजायश नहीं है जो इसका धन्धा करेंगे उसको कानून को मानना पड़ेगा। उनके मार्जिन आफ प्रोफिट देखना पड़ेगा। इनडिविजुअल से क्या लेते हैं वह भी देखना होगा। हमें यह भी देखना होगा कि यह मार्जिन आफ प्रोफिट वाजिब है या नहीं। इन्डिविज्युअल के लिए वाजिब है या बिजनेस एसोसियेशन की तरफ से किया है, वह ठीक है। इसलिये हमको कार्यवाही करनी है और जो हालत देश में पैदा हो गई है उसको ठीक करनी होगी। यह कन्ट्री के हित में है। इसके अलावा जैसा मैंने दो तीन, चार धाराओं की तरफ संकेत किया है उसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया गया है, उसके लिये फर्स्ट वीक ओफ अप्रेल के पहले पहले तय कर दिया जावेगा। इसलिये मैं यह कहूंगा कि सबके दिमाग साफ रखने चाहिये। यह कानून देश के हित में है और इसमें किसी को कठिनाइयां होंगी तो वे उठानी पड़ेगी और इसको मानना पड़ेगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : On a point of Order, Sir, ये करोड़ों रुपये सरकार इकट्ठे करेगी। क्या सरकार ने इन्ट्रेस्ट देने का कोई निर्णय किया है। क्योंकि एक हजार रुपये या ५००) रू० कोई रखता है आप उनको लेकर बैंक में रखते हैं तो आपको उसका चार प्रतिशत ब्याज मिलता है और डीलर्स को फूड ग्रेन लाइसेन्सिग ऑर्डर के तहत ब्याज से भी आपने महरूम रख दिया है मैं समझता हूँ कि यह जो आपने निर्णय लिया है उस पर पुनः विचार किया जावे। रिटेलर्स जो छोटे छोटे व्यापारी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है जो १०००) या ५००) रु० नहीं दे सकते। वे व्यापारी भी अभी व्यापार करते हैं। उनको रुपया ब्याज पर लाकर देना होगा। इसके लिए आप पुनः विचार करें।

(घंटी)

श्री नाथूराम मिर्धा : इसके लिये मैंने कह दिया है।

(१०.०० म० पू०)

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसलिये इनको इन्ट्रेस्ट देने पर, बैंक सीक्योरिटीज लेने पर सरकार को विचार करना चाहिये।

राजस्थान टीनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १९६४ (विचारार्थ)

श्री अध्यक्ष : राजस्थान टीनेन्सी संशोधन विधेयक, १९६४।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान टीनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १९६४ विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

श्री कृष्ण कुमार गोयल।

फूडग्रेन्स लासेंइसिंग ऑर्डर, १९६४ को प्रभावशील बनाने विषयक स्थगन प्रस्ताव

(पूर्व क्रम से)

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : एक क्लेरिफिकेशन और कर दें। सहकारी

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

समितियां, कोऑपरेटिव सोसायटीज काम करती हैं उनको भी एक रुपये की ५०० रुपये की सीक्योरिटी देनी होगी, इस प्रकार का निर्णय किया है, यदि इस प्रकार का निर्णय लिया गया है तो यह हमारे सहकारी आन्दोलन की प्रगति में बाधक होगा।

श्री नाथूराम मिर्धा : जो सरकार का इम्पोर्टेड व्हीट है उसका रिटेल का या होल सेल का धंधा करें चाहे कोऑपरेटिव सोसायटीज से करें चाहे सरकारी दूकानें करें, उनको इस सीक्योरिटी के नीचे लाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार इनसे सीक्योरिटी लेने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है और न इसकी जरूरत है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : हिन्दुस्तान में पैदा होने वाले व्हीट और इम्पोर्टेड व्हीट में काम करने वाली कोऑपरेटिव सोसायटीज़ में कोई फर्क नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : आपकी दृष्टि में नहीं है, मेरी दृष्टि में है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : फूडग्रेन्स का व्यापार सहकारी समितियों द्वारा किया जाय, चाहे वे इम्पोर्टेड व्हीट का व्यापार करें या हिन्दुस्तान में पैदा होने वाले व्हीट का करें उनमें फर्क करने की आवश्यकता नहीं है इसलिये इन सहकारी समितियों को एग्जेम्प्ट करने पर सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : विचार कर लिया और जवाब दे दिया।

श्री मानिचन्द सुराणा : आप विचार नहीं करेंगे तो राजस्थान की जनता विचार करेगी?

श्री नाथूराम मिर्धा : राजस्थान की जनता विचार कर ले।

श्री मानिकचन्द सुराणा : तब सदन के बाहर होंगे, अन्दर भी नहीं होंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा : वह तो देख लेंगे, अभी झगड़ा क्यों कर रहे हो! देख लेंगे, देखें आप होंगे या हम होंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपकी सहकारिता के प्रति निष्ठा को भी देख लिया है।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : इतना जोर से कहने से निष्ठा नहीं बनती, निष्ठा और तरह से होती है।

श्री मानिकचंद सुराणा : मोतीलालजी की निष्ठा में शंका नहीं है पर नाथूरामजी की निष्ठा में रत्ती भर भी भरोसा नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : क्योंकि आज मेरे हाथ में काम है। कल उनके हाथ में होगा तो उनको भी यही कहोगे।

(१०.०५ म० पू०)

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक, १९६४

(पुरःस्थापन)

श्री अध्यक्ष : सैकेन्डरी एज्यूकेशन बिल।

श्री निरंजननाथ आचार्य : (उपमंत्री, शिक्षा) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सैकन्डरी एज्युकेशन (एमेंडमेंट) बिल, १९६४ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये, प्रस्ताव करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सैकन्डरी एज्यूकेशन (एमेंडमेंट) बिल, १९६४ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

(१०.०६ म० पू०)

राजस्थान टीनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १९६४ (पूर्वक्रम से विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : [संशोधन इस प्रकार है:—

राजस्थान टेनेन्सी संशोधन (विधेयक), १९६४ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये जो अपना प्रतिवेदन सात दिन के अन्दर अन्दर सदन के समक्ष प्रस्तुत करे। सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी।]

माननीय अध्यक्ष, राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १९६४ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द करने का मेरा प्रस्ताव है। आज अनाज के भावों को रोकने के लिये सरकार को फूडग्रेन कन्ट्रोल ऑर्डर लाना पड़ा। आज अन्न के भाव बढ़ने का एक मात्र कारण यह है कि अन्न का उत्पादन देश के अन्दर बढ़ नहीं पा रहा है। अब यह बिलकुल मान लिया गया है कि चाहे हम विदेशों से कितना ही अन्न क्यों न मंगायें जब तक हमारे देश के अन्दर अन्न का उत्पादन नहीं बढ़ेगा तब तक इस समस्या का हल नहीं हो सकता। सभी विशेषज्ञ यह मान कर चलते हैं कि अन्न का उत्पादन तभी बढ़ सकता है जब किसानों को समुचित सुविधाएं दी जायं, आज जिस प्रकार की तकलीफें किसानों के सामने अन्न के प्रोडक्शन को बढ़ाने के सम्बन्ध में आती हैं, उनको हटाया जाय, किसानों को पूर्ण राहत दी जाय जिससे कि कृषि के अन्दर उसकी रूचि बढ़े और वह लगन के साथ उत्पादन को बढ़ाये। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान के अन्दर जहां पर कि खास कर अभी तक उद्योग नहीं पनप पाये हैं, ठीक प्रकार से उद्योग लग नहीं पाये हैं, वहां हमें खेती पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। राजस्थान सरकार ने खेती में उन्नति करने के लिये राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में समय समय पर संशोधन किये हैं। १९५५ में राजस्थान टीनेन्सी एक्ट हमारे सामने आया, उसके द्वारा कुछ व्यवस्थाएं की गईं, फिर विभिन्न धाराओं में संशोधन किये गये। पर अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो एक हमारी सब की मान्यता है कि लैंड फोर टिलर्स, जो जमीन को काश्त करता है उसी की जमीन रहे, उसी का जमीन पर कब्जा रहे, इस मान्यता को अमली जामा पहनाने में, पूर्ण करने में हमारी सरकार असफल रही है। आज टीनेन्सी एक्ट में जितनी व्यवस्थाएं हैं उनके द्वारा किसान को कानून के आश्रित रहना

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

पड़ता है। सरकारी मशीनरी इतनी एफिशियेन्ट नहीं है कि जो कानून है उसके अनुसार स्वतः ही किसान भूमि का मालिक बन जाय। आज सरकारी मशीनरी के असफल रहने के कारण किसानों को जो फायदा मिलना चाहिये वह नहीं मिलता। आज जमींदारी, जागीरदारी, बिश्वेदारी आदि अन्य व्यवस्थाओं के खत्म हो जाने के बाद भी जमीन पर बिचोलिये खातेदार, सिकमीदार के नाम से मौजूद हैं और आज यह बिलकुल स्पष्ट रूप से सिद्ध है, तय है, निश्चित है कि जो किसान वास्तव में जमीन जोतता है उसका फल आज उसको पूरा नहीं मिलता है। सरकार ने जितने भी नियम बनाये उनके द्वारा किसान की स्थिति आज भी अनिश्चित है, उसको आज भी यह पता नहीं कि कितनी जमीन उसके पास रहने वाली है और कितनी उससे ले ली जाने वाली है, उसका उसकी जमीन के ऊपर कितने अर्से तक मालिकाना हक रहेगा। सरकार सीलिंग एक्ट लाई पर उसके द्वारा सरकार हाफ हार्टेडली इस काम को करना चाहती है।

मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की कि दिसम्बर में सीलिंग रूल्स को लागू कर देंगे, सारे राजस्थान में सीलिंग के रूल्स लागू हो जायेंगे पर बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि इसको चार भागों में बांट दिया गया है। इसके द्वारा तो आज किसान को मालूम नहीं है कि उसके पास कितनी जमीन रहने वाली है, कितनी जमीन जाने वाली है। यदि उसको जल्दी से जल्दी यह मालूम हो सके कि इतनी जमीन उसके पास रहने वाली है तो वह निश्चित रूप से उस जमीन में इम्प्रूवमेंट करेगा और इससे निश्चित रूप से हमारे यहां अन्न का उत्पादन बढ़ेगा।

अब मैं टीनेन्सी (एमेंडमेंट) बिल, १९६४ की मूल धाराओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। क्लाज नं० २ है इसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। इसमें 'Member of the military, naval or air service of India' or 'member of the armed forces of the Union' है इसके साथ ही साथ राजस्थान आर्म्ड कान्स्टेबुलरी को जोड़ा है, यह बड़ी अच्छी व्यवस्था है, यह होना चाहिये। पर अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार का संशोधन कानून में आया है तो मंत्री महोदय यदि ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि और भी क्लासेज ऐसी बाकी हैं, जिनको कि इसमें लाना जरूरी है। मैं समझता हूँ सरकार द्वारा इस पर विचार किया जायगा।

इसके तीसरे क्लाज में पहले की धारा ४२ को हटा कर दूसरी धारा लगाने की व्यवस्था की है। मैं समझता हूं सरकार को इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। जो पहले धारा ४२ थी उसकी दूसरी ही मंशा थी और उसके स्थान पर जो यह नई धारा ४२ लाई जा रही है, उसके द्वारा सरकार की सारी मंशा ही बदल जाती है। पहले जो सेक्शन ४२ था उसके अनुसार जमीन को ट्रांस्फर करने की जो पाबंदी लगाई गई थी वह केवल इतनी थी कि अगर कोई जमीन इस प्रकार से ट्रांस्फर की जाय तो वह ट्रांस्फर की जाने वाली जमीन सीलिंग की हद तक होनी चाहिए थी। उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। पहले केवल सीलिंग को दृष्टिकोण रखकर कि

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

जमीन सीलिंग से अधिक लोगों के पास न जाय इसको रोकने के लिए धारा ४२ रखी थी लेकिन उसको हटाकर जो धारा ४२ नई रखी जा रही है उसके अनुसार सरकार ने व्यवस्था की है कि अब जो सब डिवीजन या फ्रेगमेंटेशन हो रहे हैं उनको रोकने के लिए या इस प्रकार से लोग जो नए लोग काश्तकार न होकर जमीन के बीच में आ जाना चाहते हैं उनको रोकने के लिए यह धारा रखी है। जहां तक सिद्धांत का सवाल है जिसे मेरा दल स्वीकार करता है कि सबडिवीजन रोकना चाहिए और जमीन के ऊपर ऐसे लोग न आएं जो काश्तकार नहीं हैं, मैं इस उद्देश्य से पूर्ण सहमत हूँ। लेकिन अभी तक जो सरकार की नीति रही है वह यह है कि जो बड़े बड़े काश्तकार हैं उनके पास क्षमता से अधिक जमीन है जिनको वे स्वयं न काश्त करके दूसरे लोगों से काश्त करवाकर नाजायज फायदा उठाते हैं। लेकिन जो नई धारा ४२ आ रही है इसका सीधा असर बड़े काश्तकार पर न पड़कर एक छोटे काश्तकार पर पड़ेगा, उस काश्तकार पर पड़ेगा जिसका कि अपनी जीवीका का साधन एक मात्र खेती है और खेती भी केवल इतनी है जिसके द्वारा वह अपना पेट भी ठीक प्रकार से नहो भर सकता। आपने सेक्शन ४२ में व्यवस्था की है कि सेल, गिफ्ट या बिक्वेस्ट द्वारा ट्रांस्फर्स वॉइड होंगे अगर उसके लिए कोई सर्वे नंबर नहीं है और उसके बाद में कई एक्सेप्शन्स रखे गए हैं। पहला एक्सेप्शन यह है कि जहां पर सर्वे नंबर जो ट्रांस्फर किया जाय वह ट्रांस्फर की जाने वाली जमीन डिवीज़न ऑफ होल्डिंग के अन्दर, जो मिनीमम एरिया प्रेस्क्राइब्ड है, उससे कम न हो। दूसरी शर्त यह है कि जो जमीन ट्रांस्फर नहीं हुई है वह फ्रेग्मेंट न हो और बाद में अगर प्रोवीज़ो के द्वारा आपने इस शर्त को समाप्त कर दिया है कि अगर वह काश्तकार अपना पूरा सर्वे नंबर ट्रांस्फर कर दे तो इस प्रकार से जो बंधन हैं सेल, गिफ्ट या बिक्वेस्ट पर वह लागू नहीं होंगे। इसका सीधा तात्पर्य यह हुआ कि जो छोटे काश्तकार हैं और उनको पैसों की जरूरत है, खास तौर से कर्जे को चुकाने के लिए या अपनी खराब आर्थिक स्थिति को मिटाने के लिए, वह चाहता है कि अपनी छोटी सी भूमि में से थोड़ा सा हिस्सा निकाल दें तो वह मजबूर होकर सारी जमीन बेच दे या हमेशा के लिए काश्तकार न रहे और बेरोजगार हो जाय। तो जिस कानून के द्वारा हम चाहते हैं कि सबडिवीजन रुके फ्रेगमेंटेशन न हो, उसमें इस व्यवस्था के द्वारा सीधा असर छोटे काश्तकार पर पड़ेगा। वह हर प्रकार से मजबूर हो जायगा। जमीन जो उसके पास है वह काश्त करना बंद करदे और काश्तकार से हटकर बेरोजगार हो जाय। इसलिए मैं एक क्लाज ४२ के सिद्धांत से पूर्ण सहमत होते हुए सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जो नया सेक्शन ४२ लाया जा रहा है, इसके कारण जो कॉम्प्लीकेशन्स भविष्य में आने वाली हैं उनको ध्यान में रखते हुए सरकार के लिए आवश्यक है कि दुबारा इस धारा के बारे में विचार करे ताकि जो एक गरीब काश्तकार है, वह काश्तकार जिसके पास जमीन है वह किसी प्रकार से जमीन से महरूम न हो जाय। शहरों के पास जमीनें होती हैं उनके अन्दर काश्तकार केवल खेती बाड़ी करता है, अपना काम थोड़ीसी जमीन से चला सकते हैं या कर्जे को मिटाने के लिए जमीन बेचते हैं। मैं समझता हूं कि वैसे

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

बेचने के अधिकार देने में कोई नुकसान नहीं है। तो इस धारा पर दुबारा विचार करने के लिए मैं उचित समझता हूं कि इस धारा को प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जो कि पूरी कॉम्प्लीकेशन्स पर विचार करे और विचार कर खास तौर से इस निर्णय पर पहुँचे कि इस नए संशोधन द्वारा ऐसा न हो कि गरीब और छोटे काश्तकार को नुकसान पहुंचे।

इसके बाद क्लॉज़ ४ के द्वारा धारा ६६ के अन्दर एक मूल परिवर्तन लाया जा रहा है। धारा ६६ का जहां तक उद्देश्य है, जहां तक सब्स्टीटयूट करने का सवाल है उससे मैं पूर्णतया सहमत हूं क्योंकि आजकल खास तौर से जहां पर बड़े बड़े शहर हैं जिनकी आबादी बढ़ रही है वहां इस प्रकार के इन्स्टान्सेज़ सामने आए हैं कि जो किसान नहीं हैं और इम्प्रूवमेंट्स के नाम पर जमीन पर काबिज़ होते जा रहे हैं और काश्त न करके इस प्रकार से बेच रहे हैं जिस प्रकार से आबादी की जमीन बेची जा रही है और लाखों रुपयों का मुनाफा कमा रहे हैं। तो इस स्थिति को रोकना परमावश्यक है और कानून में संशोधन होना चाहिए। लेकिन आज जो धारा ६६ मौजूद है वर्तमान स्थिति के अन्दर उसमें भी इस प्रकार की व्यवस्था है कि सरकार ने बंधन लगाए हैं वहां भी तहसीलदार की स्वीकृति लेना आवश्यक है, वहां पर भी म्यूनिसिपैलिटीज के अंदर की एरिया में बंधन लागू हैं। लेकिन इन सब बंधनों के बावजूद आज देखा जाता है कि बड़े बड़े शहरों के अंदर प्रभावशाली व्यक्ति जमीन को हथिया लेते हैं। इन जमीनों को हथियाने वाला कोई छोटा काश्तकार नहीं है, कोई छोटा व्यक्ति नहीं है, कोई मध्यमवर्ग का व्यक्ति नहीं है, लेकिन गजेटेड आफीसर्स हैं, या मिनिस्टर्स के रिश्तेदार हैं या ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं जो तहसीलदार को और सरकारी मशीनरी को हर प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं और इस प्रकार के दृष्टांत समय समय पर सदन के सामने आए हैं। एस० के० डे० की कहानी आज तक सदन के सामने मौजूद है। उन्होंने सारी काश्त भूमि पर कब्जा कर लिया है और मालिक बनकर बैठे हैं। सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करने में असफल रही है।

कोटा के नगरपरिषद् के क्षेत्र के अन्दर पिछली बार भी हमारे नेता द्वारा एक सवाल उठाया गया था कि वहां पर रामनारायणजी सरपंच थे। उन्होंने जिस समय वह पंचायत के सरपंच थे, उन्होंने पंचायत की अवधि समाप्त होने के बाद कम से कम सैकड़ों बीघा जमीन लोगों को नाजायज रूप से बेचान कर दी और उस बारे में अभी तक १६५ केसेज़ पेंडिंग है और जिसके अंदर सरकार के कम से कम तीन चार लाख रुपये उलझे हुए हैं लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक किसी सरकारी कर्मचारी ने चाहे सब इन्सपेक्टर हो चाहे वह सर्किल इन्सपेक्टर हो, मगर कोई कठोर कदम उस व्यक्ति के खिलाफ उठाने की कोशिश नहीं की। समय समय पर ट्रांस्फर्स किए गए। सबसे पहले कोटा में आया सी० आई० माधोलाल मंत्री। उनके पास यह मामला आया, फौरन उसका ट्रांस्फर किया गया। बाद में आया मदनलाल पारीक डी० वाइ० एस० पी. उनका भी ट्रांस्फर कर दिया गया। जो भी आदमी आया वह उस आदमी के षड्यंत्र का शिकार बना।

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

उस व्यक्ति के खिलाफ १९२ केसेज़ पेंडिंग हैं जमीनों के सिलसिले में जो कि नाजायज रूप से उन्होंने बेच दी हैं जो काश्त के लिए जमीनें हैं। इतना ही नहीं अभी भी कोटा के अन्दर विकासहो रहा है। नई नई फैक्टरीज वहां पर आ रही हैं। एक पंचायत है वहां पर धाकरखेड़ी में उसमें गुमेलगंज गांव है, उसमें कपड़ा मिल लगाने की योजना चल रही है, जो बड़े बड़े प्रभावशाली व्यक्ति हैं, चाहे भूतपूर्व मंत्री हों, चाहे भूतपूर्व विधानसभाई हों, आज उन्होंने ५–५ ६–६ प्लाट्स कब्जे कर रखे हैं और वे प्लाट्स किसी प्रकार से पंचायत क्षेत्र में न होकर सारे प्लाट्स आपको कृषि योग्य मिलेंगे। तो इस प्रकार का सिलसिला चल रहा है कि सारे राजस्थान के अन्दर जहां पर शहरों के पास काश्त की जमीन है कुछ लोग हथिया करके लाखों रुपए का नाजायज़ फायदा उठाते हैं। वे साधारण व्यक्ति नहीं हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, जो सरकारी मशीनरी पर नाजायज़ दबाव डाल सकते हैं।

तो आप चाहे जितनी व्यवस्था कर दें, चाहे जितने संशोधन ले आवें, जब तक करप्शन यह जो हो रहा है वह दूर नहीं होगा, आपकी ओर से इसके लिए कोई रोकथाम नहीं होगी, जब तक यह भाई भतीजावाद नहीं रुकेगा, चाहे आप धारा ९९ को लागू कर दें, इस प्रकार के जो बिचौलिये हैं, लाखों रुपया कमाने वाले कम नहीं होंगे।

कोटा में इस प्रकार के दृष्टान्त हैं कि एग्रीकल्चरल लैंड को आबादी लैंड में कन्वर्ट करा लिया और प्लाट्स बना कर बेच दिया। एक आदमी मकान बनाने के लिए एग्रीकल्चरल लैंड को आबादी लैंड में कन्वर्ट कराना चाहता है, उसके लिए मकान बनाने के लिए इस प्रकार की कोई क्षेत्र की सीमा होनी चाहिये कि इतने क्षेत्र में मकान बना सकेगा। कोटा में ऐसे दृष्टान्त हैं कि सौ सौ डेढ़ डेढ़ सौ बीघा जमीन को आबादी लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया। एक एक आदमी लखपति बन गया। वे मामूली आदमी नहीं हैं। सरकार में गजेटेड आफिसर्स हैं।

इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूँ कि संशोधन आप लाइये, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जिस संशोधन द्वारा करप्शन नहीं रोकने के लिए तैयार हैं, जिसके द्वारा फेवरेटिज्म न पनपने देने के लिए तैयार नहीं हैं उससे काम नहीं चलेगा। सरकार के द्वारा स्पेसिफाइड एरिया कर दिया जाय।

सरकार ने तहसीलदार को अधिकार दिये हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि तहसीलदार जैसे अधिकारी को हर तरह से इन्फ्लुएन्स किया जा सकता है चाहे वह गजेटेड ऑफीसर हो, चाहे वह व्यापारी वर्ग का आदमी हो, वह हर तरह से प्रभावित किया जा सकता है उसके द्वारा और प्रभावित किया जाता रहा है। आपका जो सेक्शन ९९ है उसमें भी व्यवस्था है। मैं निवेदन करूंगा कि तहसीलदार को अधिकार दिये हैं इम्प्रूवमेन्ट किये जाने के विषय में। इम्प्रूवमेंट की जो डफिनिशन है हमें उसको बदलना पड़ेगा। ड्वेलिंग हाउस उसमें है। आप चाहे जितनी व्यवस्था करें वे होते रहेंगे। इसमें यह व्यवस्था की गई है :

"(19) 'Improvement' shall mean

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

with reference to a tenant's holding—

(a) a dwelling house erected on the holding by the tenant for his own occupation, or a cattle-shed or a store house or........"

ड्वेलिंग हाउस जब तक मौजूद हैं, जब तक यह रहेगा, समय समय पर लोग इससे बचने का रास्ता निकालते ही रहेंगे और यह स्थिति चलती ही रहेगी। ड्वेलिंग हाउस के नाम से लोग आसानी से १।५ एरिया पर कब्जा करते हैं। आसानी से मकान बना सकते हैं और बकाया जमीन को पड़त रखेंगे, फलफूल उगायेंगे या धीरे धीरे कोशिश करके आबादी में कन्वर्ट करा कर बेचेंगे। इसलिये इसकी भी कोई सीमा निश्चित हो। १।५ कोई सीमा नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : १।५० ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : १।५० रख रहे हैं। उसका भी आधार रखना होगा कि मकान के लिए इतना क्षेत्रफल काफी होता है। इसलिए इसका स्पेसिफिक रूप से बतलाना पड़ेगा। ड्वेलिंग हाउस का जो रखा है उसको हटाना पड़ेगा। तहसीलदार की इसमें व्यवस्था की है, मैं समझता हूँ, उसके बजाय, नगरपालिकायें क्षेत्र जहां जहां हैं, आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, वहां पर रुकावट की आवश्यकता है। वहां पर एक कमेटी का प्रावधान किया जाय। उसमें कलेक्टर हो, पंचायत समिति का प्रधान हो, म्युनिसिपेलिटी हो तो चेयरमैन या प्रेसीडेन्ट हो, कोई इस प्रकार की कमेटी बनायी जाय जो शहरों के बढ़ते हुए विकास को देखते हुए, व्यक्ति की आवश्यकता को देखते हुए इम्प्रूवमेन्ट के लिए जमीन अलॉट कर सके। इस प्रकार की कोई व्यवस्था होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जहां तक धारा ६६ की मंशा है वह उचित है। लेकिन वह मंशा आपकी पूरी होगी उसमें संशय है। इसलिए इन सारी बातों पर विचार करने के लिए इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जहां पर गम्भीरता पूर्वक इसके इम्प्लीकेशन्स पर विचार किया जा सके और आपके जो उद्देश्य हैं उनको भी सामने रख कर विचार कर सकें।

धारा ६६–६७ को-ग्लिटेड हैं। दोनों पर एक साथ विचार किया जा सकता है।

सबसे अधिक महत्वपूर्ण धारा आ रही है वह है २५ ए। आप नया सेक्शन लाना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह संशोधन हर प्रकार से किसान से, उसकी रुचि से, उसके इन्ट्रेस्ट से सम्बन्ध रखता है। एक किसान अपनी जमीन पर वही पैदावार करेगा जिससे उसको कुछ लाभ नजर आयगा, जिसके द्वारा उसको कुछ फायदा होने वाला है। वह सोचता है आखिर खर्चा किया है, मुनाफा मिलना ही चाहिये और मिलेगा, काश्तकार ऐसी ही फसल बोवेगा, और यह प्रायः नजर आता जा रहा है कि काश्तकार ज्यादातर कमर्शियल क्रॉप्स उगाते हैं क्योंकि उनसे उनको अधिक मुनाफा होने वाला है और खाद्य पदार्थ कम उगाते हैं। क्योंकि जिस वक्त वे फसल मंडी में लाते हैं तो उसका उतना पैसा उनको नहीं मिलता

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

है। इसलिए इससे पूर्व सरकार संशोधन लाकर कि अमुक क्षेत्र बुआई के लिए आवश्यक है, अमुक क्षेत्र में अमुक पैदावार ही उगाई जाय, कलेक्टर या कोई अधिकारी इसकी व्यवस्था करे, सरकार इस बात के लिए उत्सुक है कि वहां उस प्रकार की फसल उगाई जाय, किसान को उचित फायदा मिले। लेकिन आज जब काश्तकार अपनी फसल बाजार में बेचता है तो उसको मुनाफे के रूप में पैसा कम ही मिलता है और उसको मजबूरी से सस्ते भाव में अपनी फसल को बेचना पड़ता है। जब तक सरकार न्यूनतम और अधिकतम भाव निश्चित नहीं करेगी तब तक इस प्रकार का संशोधन करना उचित नहीं होगा। अगर सरकार यह सोचती है कि अमुक क्षेत्र में अमुक फसल होगी, इस प्रकार का वह संशोधन लाये, कोई सरकारी निर्देश के अनुसार नहीं उगाता है तो सरकार बीच में आकर उस फसल को उगायेगी और उससे उसका खर्चा ले लेगी, मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के अधिकार रख कर केवल एक अधिनायकवाद को ही बढ़ाना है। सरकार को इस प्रकार के अधिकार नहीं लेने चाहिये। सरकार यदि यह चाहिती है कि वह, काश्तकार को प्रोत्साहन दे, काश्तकार पैदावार में अधिक भाग ले और यदि सरकारी निर्देशन के अनुसार वह भाग लेता है तो मैं समझता हूँ कि उसको उचित मूल्य मिलना चाहिये लेकिन वह मिलता नहीं है जब तक कि आप भाव को नियंत्रण नहीं करते हैं। इसलिए सरकार एक सज़ा के रूप में न आकर उनको इनाम देने के रूप में आये कि अमुक फसल अमुक क्षेत्र में काश्तकार उगाता है और अच्छी यील्ड लेता है तो उसको प्रोत्साहन दिया जायगा। अगर आप इस प्रकार की कोई योजना लेकर आयेंगे, कोई कानून लेकर आयेंगे तो उससे काश्तकार को आगे बढ़ने में प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन आपने जो व्यवस्था रखी है उससे आप काश्तकार को पनपा नहीं सकते हैं। आप यह चाहते हैं कि अमुक जगह अमुक फसल उगाई जाय तो आप उनको लैंड रेवेन्यू में छूट दें, आप उनको बेटरमेंट लेवी में छूट दें। आप उनको सस्ता बीज दे सकते हैं और अन्य प्रकार की सुविधाएं दे सकते हैं। अगर आप इस प्रकार की सुविधाएं देंगे तो निश्चित रूप से काश्तकार आपकी मंशा के अनुसार आगे बढ़ेगा। लेकिन इस प्रकार की नीति निर्धारित कर देना कि अमुक फसल उगाना है और उनको कोई इन्सेन्टिव नहीं देना अनुचित रहेगा और काश्तकार के साथ ज्यादती होगी।

तो इस प्रश्न पर विचार करने के लिए कि धारा २५३ए लाना आवश्यक है या नहीं, यदि लाई जाती है तो सरकार को किन किन बातों पर विचार करना चाहिए, कौन कौनसी सुविधाएं सरकार को देनी चाहिये और सुविधा देने के लिये किन किन बातों की आवश्यकता होगी इन सब पर विचार करने के लिये आवश्यक है कि प्रवर समिति इस पर गम्भीरता से विचार करे और सुझाव दे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो संकल्प आया है उसकी एक दो धाराओं को छोड़ कर सारी धाराएं ऐसी हैं जिनका सीधा सम्बन्ध काश्तकारों की भलाई से आता है। यदि जल्दबाज़ी में किसी प्रकार से इसे पास कर दिया गया तो निश्चित रूप से किसानों को नुकसान होने वाला है। हो सकता है कि हमारा उद्देश्य ठीक है, सीधा और सच्चा है लेकिन काश्तकार को नुकसान हो सकता है इसलिए मैं निवेदन

Page No. 53

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

करना चाहूंगा कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ताकि गम्भीरता से इस पर विचार हो सके ।

श्री अध्यक्ष : प्रोफेसर केदारनाथ ।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : [संशोधन इस प्रकार हैं:—

राजस्थान टेनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १९६४ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में सदन के समक्ष प्रस्तुत करे । सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी ।]

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान टेनेन्सी (अमेन्डमेंट) बिल, १९६४ जो सदन के सामने है उसके ओब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद, इसमें कोई शक नहीं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल(जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि राजस्थान टिनेन्सी (अमेन्डमेंट) बिल सदन के सामने विचाराधीन है और इस बारे में कोई आर्डिनेन्स जारी नहीं किया गया है इसलिए इसके लेप्स होने का सवाल नहीं है । इस पर अभी लेजिस्लेशन किये जाने की आवश्यकता नहीं है जब कि राजस्थान रेवेन्यू लाज कमीशन की रिपोर्ट आ रही है । सारे रेवेन्यू लाज को कोडिफाई करने जा रहे हैं । एक बहुत बड़े नियंत्रण की चीज होने जा रही है तो मैं नहीं समझता कि २ क्लाजेज़ के लिए आप अभी लेजिस्लेशन करें। इसकी अभी कौनसी आवश्यकता है, कौनसा कंपेनसेशन रुकेगा जिसके लिए अभी विचार किया जाय ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उपमंत्री, राजस्व): इसमें तीन-चार बातें ऐसी हैं जिनका स्पष्टीकरण पहले नहीं किया जा सका था । कुछ बातें ऐसी हैं कि हम जो एडवान्टेज़ आर.ए.सी. को देना चाहते हैं उनमें रुकावट आती है । देर करने से फायदा नहीं है । जो प्रोविज़न्स विशेष महत्व के हैं उनमें देरी करना ठीक नहीं होगा, इसलिये रेवेन्यू लॉज कमीशन की रिपोर्ट आने से पहले ही सदन में रख दिया ।

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, मैं यही अर्ज कर रहा था कि लैंड के बारे में जितने आज तक रिफार्म्स हमने किये और उनके बीचमें हम अमेन्डमेंट्स पास करते रहे । हर सेशन में जरूर कोई न कोई अमेन्डमेंट आया । इस तरह से पीसमील में अमेन्डमेंट करना ठीक नहीं साबित होगा । मेरे से पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने सुझाव दिया कि लैंड रिफार्म्स का क्या इफेक्ट हुआ, रूरल इकोनोमी को किस हद तक सुधार सके, क्या प्लानिंग कमीशन ने जो टारगेट्स अचीव करना तय किया था उसको हम पूरा कर सके? इन सारे इफेक्ट्स को देखते हुए हमने रेवेन्यू लॉज कमीशन नियुक्त करने की बात तय की थी जिसकी इन्टेरिम रिपोर्ट पेश हो चुकी है । हम किसानों की जमीन के बारे में, उनको सुख-सुविधा पहुंचाने के बारे में उस रिपोर्ट की इन्तजारी करें तो ज्यादा अच्छा होगा । पीसमील तरीके से हरिडली जितने अमेन्डमेंट्स आये हैं उनको देखें, आज जो किसानों की हालत है उसको देखें । हालां कि पिछले दो सालों को छोड़ कर इस साल पैदावार बढ़ी है । लेकिन सोशियल जस्टिस के नाम से आज भी हम

(श्री केदारनाथ)

टेन्योर को सीक्योरिटी नहीं दे सके। क्या हम बीच के लोगों को इन्टरमीडियरीज को खत्म कर सके हैं, क्रोप शेयरिंग Shares order की सुरक्षा नहीं है लीजेज का परिणाम हमारे सामने है। जागीर [illegible] फिक्स नहीं कर सके। मैं यह नहीं कहता कि लैंड रिफोर्म्स में हमारी सरकार पीछे है, दिल से हमारी सरकार प्रोग्रेसिव जरूर है लेकिन कितना हम कर पाये हैं यह सोचने की बात है। इसलिये मेरी दरख्वास्त थी कि इस अमेन्डमेंट के बारे में हम राय दें, अच्छा होता कि रेवेन्यू लॉज कमीशन की रिपोर्ट आती उसके बाद सारे कोडिफाइड लॉज एक साथ आते।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस मत का हूँ कि लैंड रिफोर्म्स का मकसद था लैंड टू दि टिलर्स और उस नाते जो सोशियल ओब्जेक्ट्स उनके सामने थे, इकोनोमिक आस्पेक्ट को छोड़ते हुए वह भी पूरा नहीं कर सके। ४० पर्सेन्ट खेतों पर आज भी सब टिनेन्ट्स है, आज भी वे सीरी की हैसियत से काम करते हैं, उनकी कोई सीक्योरिटी नहीं है। मिनिमम वेजेज़ एक्ट एग्रीकल्चरिस्ट पर लागू नहीं होता है, न रिवीजन किया जा रहा है। वे काश्त करते हैं, वे ही पुराने इम्पलीमेंट्स उनके पास हैं। उनसे सीरी और नौकरनामा लिखाया जाता है ताकि उस लैंड पर वे काबिज साबित न हों, पजेशन का सबूत उनके पास न हो, कानूनी राइट्स उनके हक में तय न हो जाय। इसलिये इन सारी चीजों को देखते हुए सरकार के सामने मेरी दरख्वास्त है कि जब भी आयन्दा अमेंडमेंट लावें इस बात को सोचें कि जो ओब्जेक्ट प्लानिंग कमीशन ने तय किया और राजस्थान बनने के बाद जो आपके दिमाग में प्रोस्पेक्टिव था लैंड और किसानों के बारे में आप कहां तक उसकी पूर्ति कर सके हैं। यह ठीक है कि जब हम चाहते हैं कि मकसद पूरा हो तो उसके लिए अमेन्डमेंट लाते हैं लेकिन देखा यह गया है कि जब भी अमेंडमेंट लाये जाते हैं कुछ न कुछ कानूनी लेकुना उसमें रह जाता है और पॉवर्स कलेक्टर्स और अधिकारियों के पास ज्यादा आती है और किसानों की परेशानी बढ़ जाती है। हम अमेन्डमेंट ला रहे हैं बिल के जरिये इसलिए कि हमारा जो स्वप्न है वह पूरा हो, खेती की उन्नति हो, पंचायतों के पास ताकत पहुंचे, विकास का काम हो, खेतों में पैदावार बढ़े और आहिस्ता आहिस्ता कोऑपरेटिव के जरिये वह काम हो और कोऑपरेटिव्ज का महत्व और सत्ता बढ़े। लेकिन जिस नक्शे को दिमाग से निकालते हैं उसमें कहीं तहसीलदारों को पॉवर्स दे देते हैं, कहीं प्रोडक्शन प्रोग्राम में कलेक्टर को पॉवर्स दे देते हैं यह गलत है। हम सोशियलिस्टिक पैटर्न लाना चाहते हैं रूरल इकोनोमी के द्वारा और इसके लिए एक्ट्स में अमेन्डमेंट लाते हैं यदि यह प्रोस्पेक्टिव है तो अच्छा है इसके बारे में मैं आपके सामने एक चीज़ पेश करना चाहता हूँ वह यह कि आज से २ साल पहले हमने यहां पर टिनेन्सी के सेक्शन १५ ए. की तहत यह पास कराया था कि प्रोजेक्ट एरिया में जितने काश्तकार हैं उनको खातेदारी राइट्स एक्रयू न हो। हाई कोर्ट में इसको चैलेन्ज किया गया और आपके खिलाफ फैसला हुआ और उसको नल एण्ड वॉइडकरार देदिया। यह ठीक है कि राजस्थान सरकार ने उस फैसले को माना और सुप्रीम कोर्ट में नहीं गये। मैं समझता हूं प्रोजेक्ट एरिया के जो काश्तकार हैं उनको हक है, सीलिंग की तहत उनको खातेदारी राइट्स एक्रयू

(श्री केदारनाथ)

होंगे। अध्यक्ष महोदय, यह सेक्शन ४२ जिसको री-कास्ट किया है उसके क्लाज़ (३) सब क्लाज़ (सी) है वह इस प्रकार हैं:

"(c) made by a person enjoying khatedari rights since before the commencement of the Act in the project areas referred to in the proviso to sub-section (1) of section 15 or in the Rajasthan Canal area mentioned in section 15A and any transfer by sale or gift made by any such person after the commencement of the Rajasthan Tenancy (Amendment) Ordinance, 1960 (Rajasthan Ordinance No. 2 of 1960), shall be null and viod."

इसका मतलब यह है कि राजस्थान सरकार इन काश्तकारों को खातेदारी राइट्स नहीं देना चाहती। वर्ना मैं सोचता हूँ कि इसको इन्सिस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसलिये सन् १६६० में जो अमेंडमेंट लाया गया उसका मेन मकसद यह था कि ओब्जेक्टिव डिफीट न हो, सीलिंग का ओब्जेक्टिव डिफीट होता हो तो आप सख्त से सख्त पाबन्दी लगावें लेकिन यह आपने किया नहीं। जिस दृष्टि से आपने सीलिंग कानून पास किया उस दृष्टि से उसके रूल्स पता नहीं कब बनेंगे, कब यह इम्पलीमेंट होगा, घोषणा किये कितना समय हुआ और कार्यान्वित करनेमें कितना लम्बा समय देदिया,इस बीच में जिसको फायदा उठाना है वे उठा लेंगे। रूलर्स के एस्टेट के बारे में आपने सीलिंग फिक्स की लेकिन उसको क्रियान्वित नहीं किया इतना लम्बा समय देकर आपने उनको कंसेशन दिया। मैं सोचता हूं कि यह सब आपने अच्छा नहीं किया। आपके कानून में कमियां हैं, घोषणा के बाद इम्पलीमेन्टेशन जल्दी नहीं करते। इससे दूसरे लोग फायदा उठा जाते हैं। जो काश्तकार सदियों से काश्त करते आ रहे हैं उनका हक है, टाइटल है, इन्ट्रेस्ट है, उनके खातेदारी राइट्स हक न हों, इसके लिये प्रोविजो दे दिया। मैं दर्खास्त करूंगा कि इसको डिलीट कर दें ताकि हमारे दिमाग साफ हो जावें।

तीसरी बात, इम्प्रूवमेन्ट के नाम से आपने बात रखी। ठीक है। शहरों के चारों तरफ दो दो पांच पांच और दस दस मील तक पाबन्दी हो, इतने हिस्से में मकान बना सकता है। यह ठीक है। अगर शहरों के चारों तरफ देखें जैसे गंगानगर की बात कहूं कि वहां कौनसे लोगों ने अपने मकान बनाये इम्प्रूवमेन्ट के नाम से, या तो कन्ट्राक्टरों ने, या सेठ साहूकारों ने या अफ़सरों ने। अब जो आप यह कहते हैं कि तहसीलदार की इजाजत से इम्प्रूवमेन्ट के नाम से मकान बना सकते हैं। तो तहसीलदार तो आज चीप चीज है। तहसीलदार के द्वारा तो वैसे ही लोग बना लेते हैं। इसलिये इसके लिये कम से कम ऐसी कोई कमेटी हो जो सही स्पिरिट में काम कर सके नहीं तो इस नौकरशाही के हाथ से तो करप्शन और ब्राइबरी हो पनपेगी। आप जब भी किसी में कोई अमेन्डमेन्ट लाने की सोचते हैं तो आफीसियल्स को इस नौकरशाही को पावर देने की बात सोचते हैं और दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक डीसेन्ट्रेलाइजेशन की बात करते हो तो जैसे एक पहले मेम्बर ने भी कहा मैं भी निवेदन करता हूँ कि जब भी कोई प्रबन्ध करना चाहें या पाबन्दी लगाना चाहें तो उसमें पब्लिक बोडीज के इलेक्टेड मेम्बरों को

(श्री केदारनाथ)

शामिल किया जाना चाहिये ताकि वे चैक और बेलेन्स का काम कर सकें। रिश्वतखोरी न हो और नौकरशाही का दुस्साहस न बढ़े। इसलिये यह भी प्रोविजो डिलीट किया जावे।

आखिरी बात, यह जो प्रोडक्शन प्रोग्राम के बारे में नया सैक्शन इनसर्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। मैं निवेदन कर दूं कि किसान बहुत अच्छी तरह जानता है कि किस क्राप से उसको फायदा है, कौनसी जमीन खाली रखनी चाहिये ताकि आइन्दा फसल पर अधिक पैदावार उससे उसको मिल सके। जानता है वह जितने इर्रिगेशन के साधन हैं उनको कैसे यूटीलाइज किया जाय। अच्छे बीज से क्या फायदा है यह भी जानता है। यह ठीक है कि आपकी सारी स्कीमें एक्सटेन्शन सर्विस के मार्फत करते तो उनमें लीडरशिप बढ़ती और दिमाग उनके वाइड होते। आप कलक्टर के मार्फत इसे मत करिये, अगर आपको करना है तो पंचायत समिति, जिला परिषद् और पंचायतों के मार्फत यह काम कराइये। उनको अधिकार दीजिये ताकि किसानों के चुने हुए नुमाइन्दे आफिस बीयरर हों इसके और वे जिम्मेदारी से काम कर सकें। इससे करप्शन नहीं बढ़ेगा और किसान के दिमाग में यह बात न आ सके कि जमीन मेरी है, काम मेरा है, पैदावार बढ़ेगी तो मेरी बढ़ेगी, उसका फल मुझे भोगना है, फर्टीलाइजर का इस्तेमाल करेंगे तो इसका लाभ मुझे मिलेगा तो यह सारा काम नौकरशाही के जरिये न कराकर पंचायत समिति और जिला परिषद् के मार्फत होगा तो किसान आश्वस्त होगा। इसलिये कलेक्टर की जगह जिला परिषद् लिखा जावे।

इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूँ कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे।

श्री गंगासिंह राठोड़ (जायल) : [संशोधन इस प्रकार है:—राजस्थान टेनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १६६४ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में सदन के समक्ष प्रस्तुत करे। सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी।] अध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष राजस्थान टीनेन्सी अमेन्डमेन्ट बिल, १६६४ जो चल रहा है उसमें जो सोल्जर्स को आपने एग्जम्पशन दिया है वह राजस्थान आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के सोलजर्स को भी दिया जाय, का प्रावधान है।

दूसरा है बिक्री, दान और बिक्वेस्ट के सम्बन्ध में और तीसरा है इम्प्रूवमेन्ट के सम्बन्ध में और चौथा है प्रोडक्शन प्रोग्राम के सम्बन्ध में।

पहला प्रावधान कि राजस्थान आर्म्ड कान्स्टेबुलरी के सोल्जर्स को भी यह रियायत दी जाय, इससे मैं भी सहमत हूँ।

अब दान बिक्री और बिक्वेस्ट के संबंध में जो है इसकी क्लाज के सब क्लाज (१) को देखा जावे तो उसमें प्रावधान है कि जो सैक्शन ५३ के तहत मिनिमम एरिया प्रेस्क्राइब्ड है उससे कम सेल कोई नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त सर्वे नम्बर का बकाया हिस्सा सेल करने के बारे रह जाता है वह भी फ्रेगमेन्ट नहीं होना चाहिये। जहां तक सिद्धान्त का सवाल है, मैं सहमति प्रकट करता हूँ कि

Page No. 57

(श्री गंगासिंह राठौड़)

कोई भी लैंड जो बेची जावे उसके बाद में जो लैंड रह जावे वह फ्रेगमेन्ट में न हो। अगर रहता है तो उस जमीन का कोई उपयोग नहीं हो सकता। इस क्लॉज का पहला प्रोविज़ो कहता है:—

"Provided that this restriction shall not apply if the area so transferred becomes merged into a contiguous survey number."

इस संबंध में मेरा कहना है कि इस तरह का प्रवाधान होना चाहिए कि कन्टीग्युअस सर्वे में विलीन किया जावे, उसके बाद मेंभी एरिया रहता है तो फ्रेगमेन्ट नहीं रहना चाहिये।

सब क्लाज 'बी' में शिड्यूल्ड कास्ट व ट्राइब के जमीन के बेचान से सम्बन्धित है। कोई शिड्यूल्ड कास्ट का मेम्बर किसी जमीन को बेचे या गिफ्ट करें तो वह शिड्यूल कास्ट या ट्राइब वाले को ही बेच सकता है या गिफ्ट कर सकता है। सिद्धान्त रूप से शिड्यूल ट्राइब और शिडूल कास्ट के आपस में ही लेने-देने की यह व्यवस्था रची गई है जिससे कि उनकी जमीन सुरक्षित रह सके।

जब टीनेन्सी लॉ बना तब उपयुक्त था यह रखना। सन् १९५५ में यह एक्ट बना था। आज आठ-नौ साल के बाद करीब करीब सारे सरकारी रेकॉर्ड में हक तय हो चुके हैं। आज की स्थिति में इस क्लॉज़ से उनका हित हो सकेगा इसमें संदेह है। कोई शिड्यूल्ड कास्ट या शिड्यूल्ड ट्राइब का मेम्बर है वह अपने कर्जे को चुकाने के लिए अगर जमीन बेचना चाहे तो अपनी कास्ट में ही बेचने से उसको अधिक पैसा नहीं मिल सकेगा। तो उसकी इस दिक्कत को देखते हुए इस क्लॉज़ की आवश्यकता रहती है या नहीं, इसको मनन करना हमारा कर्त्तव्य है। इसलिये चाहूंगा कि इसको सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय।

इसके साथ ही खातेदारी टीनेन्ट की बात है। इसमें यह प्रावधान रखा है कि गैर खातेदार टीनेन्ट इम्प्रूवमेंट कर सकता है, परन्तु उसको कोई मुआवजा नहीं दिया जावेगा।

इसके सबन्ध में मैं, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से यह अर्ज करूंगा कि यह जो प्रावधान है, आपके जो पहले के प्रावधान हैं जिनके अन्दर आपने कुछ राइट्स गैर खातेदारों को दे रखे थे और उसमें प्रेस्क्राइब था कि मुकर शुदा जमीन तक अपनी मर्जी से काश्तकार इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और उसके मुआवजे का वह क्लेम कर सकते थे वह राइट्स भी अब इस प्रावधान के साथ खत्म होते हैं क्योंकि जो लैंडहोल्डर है उसके लिए जरूरी नहीं होता है कि वह सबटीनेन्ट को इम्प्रूवमेंट आवश्यक होने पर भी करने की इजाजत दे और कहीं कहीं यह परिस्थिति आती है कि इम्प्रूवमेंट करना बहुत जरूरी होता है और उसका मुआवजा अब इस प्रोविज़न से नहीं मिल सकेगा। इसके साथ ही साथ मैं आपका ध्यान क्लॉज़ ६ की ओर दिलाऊंगा जो प्रॉडक्शन प्रोग्राम से संबंधित है। अध्यक्ष महोदय, प्रॉडक्शन प्रोग्राम के अन्तर्गत सरकार काश्तकारों पर कुछ बंधन लगाना चाहती है। जो एक टिनेन्सी राइट्स आपने किसी काश्तकार को दे दिये हैं उसके

Page No. 58

(श्री गंगासिंह राठोड़)

अन्तर्गत आप इनको किसी प्रॉडक्शन प्रोग्राम या अन्य किसी के नाम पर उसको बांधना चाहते हैं। यह किसी भी टीनेन्सी लॉ के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता और मैं समझता हूं कि जो प्रॉडक्शन प्रोग्राम के नाम पर सेक्शन २५३ (ए) जोड़ना चाहते हैं इसी बिल की धारा ६ से वह किसी प्रकार उपयुक्त नहीं हो सकता क्योंकि प्रोडक्शन प्रोग्राम के लिए यह जरूरी नहीं है कि आप उसको बाध्य करें। आप ऐसे सकर्म्स्टान्सेज़ क्रियेट करें कि जिसके कारण जो फसल आप बोना चाहते हैं उसके लिए काश्तकार स्वयं अपनी इच्छा से करें। और उसको महसूस कराया जाये कि अमुक फसल बोने से फायदा होगा उसके लिए आप उनको लोन्स दो, उनको इन्सेन्टिव दो। जिसके कारण आप जो चाहते हैं वैसी फसल वह बोयें और जिसके कारण आपका प्रॉडक्शन प्रोग्राम जो जो आप प्रॉडक्शन के अन्तर्गत करना चाहते हैं वह स्वयं करने बैठें। इसके साथ साथ मैं आपका ध्यान क्लॉज़ (ई) की तरफ भी आकर्षित करूंगा। जिसके अन्दर प्रॉडक्शन प्रोग्राम के अन्तर्गत आप कुछ बंधन ही नहीं, काश्तकार पर कुछ फोर्स भी डालना चाहते हैं। कलेक्टर जो प्रॉडक्शन प्रोग्राम देगा उसके अनुसार अगर कोई काश्तकार कार्यवाही नहीं करेगा तो ऐसी परिस्थिति में कलेक्टर अपनी एजेन्सी के द्वारा उस प्रॉडक्शन प्रोग्राम को करायेगा और इसका खर्चा काश्तकार को देना पड़ेगा।

इसके संबंध में मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूं। वह यह है कि मान लिया जाये कि आपने प्रॉडक्शन प्रोग्राम के संबंध में यह कलेक्टर ने हिदायत दी कि अमुक जमीन के ऊपर तिलहन की काश्त होगी और वह प्रॉडक्शन प्रोग्राम के तहत तिलहन की काश्त नहीं करता है और बाजरे की काश्त कर लेता है तो ऐसी परिस्थिति में क्या आप जो काश्त हो गयी है उसके ऊपर वापिस जोतेंगे और किस तरह से कलेक्टर महोदय उस प्रोग्राम को कैरी आउट करेंगे? यह जो क्लाज़ है इससे कुछ मालूम नहीं पड़ता है। इस सम्बन्ध में मैं यह अर्ज करूंगा कि जो क्लॉजेज़ रखे हैं वह नहीं मानने पर खड़ी फसल का कुछ न कुछ इलाज होना चाहिए इसके संबंध में भी इस बिल में आपका सोचना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मैं आपसे अर्ज करूंगा कि यह जो बिल है सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाये जिससे कि जो सम्बन्धित क्लॉज़ेज़ हैं उनको वापिस देखा जा सके और उन पर गौर किया जा सके।

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल व्यास।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : [संशोधन इस प्रकार है :–

राजस्थान टीनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १९६४ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में सदन के समक्ष प्रस्तुत करे। सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी।]

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि राजस्थान टीनेन्सी (अमेन्डमेंट) बिल हमारे समक्ष आया है और उसमें ३–४ मुद्दों पर जो अमेन्डमेंट लाया गया है उसके सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है।

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

राजस्थान टीनेन्सी एक्ट जब से राजस्थान में सन् ५५ से पारित हुआ है उसके बाद में इसमें कई दफा अमेन्डमेंट्स लाये गये हैं। इस प्रकार से कानून में बार बार हर साल कुछ न कुछ तरमीम करना या रद्दोबदल लाना कानून की दृष्टि से अच्छा नजर नहीं आता। जब कि हमारे राजस्थान में रेवेन्यू कमीशन की रिपोर्ट करीब करीब बन चुकी है और उसमें कई तरह के अमेन्डमेंट्स और भी इसके सम्बन्ध में प्रस्तावित किये गये हैं ऐसी अवस्था में बार बार अमेन्डमेंट लाना और थोड़े थोड़े हिस्सों में इस प्रकार किसी कानून में रद्दोबदल करना उसके जरिये से कोई चीज पूर्णतया जानकारी में नहीं आती है। जिन काश्तकारों के ऊपर इसका असर पड़ता है उनको भी इस प्रकार से कानून के अन्दर रद्दोबदल करने से भारी तकलीफ होती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो अमेंडमेंट्स लाये गये हैं उनको पूर्णतया एक दफा में लाया जाकर कानून की पूरी जानकारी सब लोगों को एक साथ दी जाये, याने एक साथ में जितने भी टीनेन्सी लॉ हैं वह ड्राफ्ट किये जाये तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन जो भी अमेंडमेंट्स लाये गये हैं उनके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि जो दफा २६ के तहत में मिलिट्री पर्सोनल्स के साथ में आर्म्ड कॉन्सटेबुलरी को और मिलाया है यह निहायत जरूरी था क्योंकि जब से हमारे यहां चीन के संबंध में लड़ाई चली और आर.ए.सी. को बिल्कुल मिलिट्री की तरह काम में लाया जा रहा है तो ऐसी अवस्था में जो लोग बिल्कुल मिलिट्री की तरह से काम कर रहे हैं उनको जो सुविधायें हैं ऐसे ही लोग जो उनकी तरह से काम कर रहे हैं उनको नहीं दी जाये तो अच्छा नहीं होगा। तो यह जो दफा २६ (ख) के द्वारा संशोधन लाया गया है इसमें आर्म्ड कान्सटेबुलरी को शामिल किया गया है वह बिल्कुल वाजिब है और उसको करना निहायत आवश्यक था।

दूसरा प्रश्न यह है कि सीलिंग से ज्यादा जमीन जिनके पास थी और जो उसको रद्दोबदल करते थे और जिस आदमी के पास जमीन थी और रद्दोबदल करके जो सीलिंग की सीमा जो तय की गयी है जिसका एरिया उस क्षेत्र में होना चाहिए अगर उससे ज्यादा निर्धारित क्षेत्र से ज्यादा जमीन रद्दोबदल की जाती है तो उसके ऊपर इस कानून के द्वारा रोक लगाई गयी है और उसके साथ ही साथ यह भी इस सेक्शन के द्वारा बताया गया है कि अगर छोटे टुकड़े ६ एकड़ से कम के होते हैं तो हम अच्छी तरह से पैदावार नहीं कर सकते और डिवीज़न आफ होल्डिंग छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं होना चाहिए। उस से प्राडक्शन कम होता है और सामुहिक तरीके से खेती नहीं हो सकती। इस चीज को रोकने के लिए यह प्रावधान दफा ४२ के तहत में यहां किया गया है, वह भी बहुत आवश्यक था। मगर इसके साथ ही साथ यह अधिकार दिया गया कि इस प्रकार के हस्तान्तरण नहीं किये जाने की वजह से काश्तकारों को बहुत नुकसान होगा। मगर इसके साथ ही साथ एक प्रोवीज़ो और है कि मेरी जमीन मैं बेचता हूं और वह फ्रेगमेंटेशन से या डिवीज़न आफ होल्डिंग से कम है लेकिन मैं अपने पास वाले को बेचता हूं तो उसके फ्रेगमेंटेशन में कमी नहीं पड़ती है और वह जमीन उसके

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

साथ मिल जायगी तो उससे नुकसान नहीं होगा। तो इस प्रकार के प्रोवीजो लग जाने से किसी प्रकार की आपत्ति उपस्थित नहीं होती। इसके साथ ही साथ गिफ्टदान के सम्बन्ध में इस प्रकार का प्रोवीज़ो दिया गया है कि उससे कुछ खामियां जो हम महसूस करते हैं, किसी रिश्तेदार को दान में देना चाहते हैं वह नहीं कर सकते। मगर यह प्रोवीज़ो उस चीज को पूरी तरह से एप्लाई नहीं करता कि जो चीज होनी चाहिए लेकिन इसमें भी इसी प्रकार का प्रावधान किया गया है कि पास की जमीन है सर्वे नम्बर में मिल सकती है तो उस प्रकार की चीज का हस्तान्तरण किया जा सकता है।

(११.०० म० पू०)

दूसरा, इसमें यह प्रश्न है कि जो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के जो सदस्य हैं वे अपनी जमीन को किसी दूसरे वर्ग के लोगों को बिकाव या गिफ्ट या दान में नहीं दे सकते। यह प्रावधान इसलिए किया गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोग गरीब काश्तकार होते हैं और उनको हरदम इस प्रकार का टेम्पटेशन रहता है और दूसरे महाजन या दूसरे वर्ग के लोग उनकी जमीनें हड़पना चाहते हैं थोड़ा-बहुत रुपया कर्ज में देकर। बराबर वे जमीनें हड़-पने की कोशिश करते हैं। इसको हम बराबर देखते हैं और राजस्थान में इसकी लाखों नजीरें मिल जायगी कि जमीनें इस प्रकार के गरीब शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के जो लोग हैं उनकी जमीनें बराबर हड़पने की कोशिशें रही हैं और उस कोशिश को नाकामयाब करने के लिए पहले भी प्रोवीजन था और अब भी यह प्रोवीजन रखा गया है कि ऐसे शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की जमीन दूसरे लोग नहीं खरीद सकें और वे काश्त नहीं करते हैं और दूसरों से ही काश्त करवाते हैं। उनकी ही जमीनें खरीद कर उनको ही हाली रखकर काश्त करवाने का इस प्रकार का सिलसिला चला आ रहा है। इसलिए यह प्रावधान रखा है वह प्रोग्रेसिव और सुधार वाला नजर आता है। इसमें इतनी सी छूट दे दी गई है कि अगर कोई उनमें से अपनी जमीन को बेचना चाहता है तो वह अपनी जाति के लोगों को बेच सकता है। अगर मान लें कि किसी के सामने किसी प्रकार की कठिनाई भी आ जाती है तो ऐसे लोगों के लिए शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को बेचने का इसमें प्रावधान रखा गया है इसमें तो इससे कठिनाई पैदा नहीं होगी।

दूसरी अर्ज यह है कि बहुत से छोटे-छोटे काश्तकारों के लिए जो दफा ६६ के तहत में प्रावधान रखा गया है कि अपनी जमीनके अन्दर सुधार करने के लिए काश्तकार को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत दी जाय तो वह जो है वह ज्यादा से ज्यादा सुधार कर सकता है यानी कितनी जमीन पर बाढ़ या अपनी जमीन पर मकान या जो कुछ सुधार करना चाहते हैं रहने के लिए, तो एक सुविधा इस प्रकार का प्रावधान करके देना चाहते हैं तो वह १।५० हिस्से से ज्यादा पर नहीं कर सकेगा। यह प्रावधान वाकई में इस प्रकार का है कि जिसका आजकल अगर शहर के आसपास की जमीनों पर हो रहा है जहां पर कि खेती की जमीन को मकान बनाने के लिए ले लेते हैं

Page No. 61

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

और किसी की स्वीकृति लिये बिना ही बंगले बना लेते हैं। और मकान बना लेते हैं और ऊंचे भावों पर खरीद करके इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं। इन चीजों को रोकने के लिए यह जो प्रावधान लगाया है वह वाकई में ठीक प्रतीत होता है और इस प्रकार की जो गलत बातें की जा रही है उनको रोका जा सकता है। मगर इसके सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि यह जो अधिकार आपने इस प्रकार से सुधार करने का या इस प्रकार की जो बात कही गई है कि जो सुधार करेंगे उसमें जिस ऑथोरिटी की पर्मीशन लेने की आवश्यकता है वह तहसीलदार को कर दिया है। तहसीलदार को ऑथोरिटी देना मैं समझता हूँ, अध्यक्ष महोदय, ठीक नहीं है। कई इस प्रकार की रोजमर्रा यह बातें सुनने में आती हैं कि अगर तहसीलदार को इस प्रकार के अधिकार दे दिये गये तो वाकई में वह अपने पद का दुरुपयोग करेगा, और समय समय पर इस तरह की बातें हमारे सामने आती है। आज हम एलॉटमेंट को ले लें या दूसरी चीजों को ले लें जिसमें एलॉटमेंट कमेटी के होते हुए भी उसके द्वारा जो एलॉटमेंट होते हैं उनकी तहसीलदार पालना नहीं करता है। तो इस प्रकार का जो प्रावधान इसमें रख दिया गया है १।५० हिस्से पर मकान बनाना चाहता है या दूसरी बातें बनाना चाहता है तो तहसीलदार को पॉवर्स होने से तहसीलदार समुचित प्रबन्ध नहीं कर सकेगा, और इसमें बहुत बड़े घोटाले होंगे। मेरा यह सुझाव है कि इस प्रकार प्रावधान होना चाहिए कि जिस प्रकार एलॉटमेंट के सम्बन्ध में एलॉटमेंट कमेटी तहसील लेवल पर रखी है उसमें चुनिन्दा लोग भी शामिल होते हैं, पंच, सरपंच, प्रधान हैं, एम. एल. ए. और विकास अधिकारी ऐसे लोग हों जिनके द्वारा इस प्रकार का प्रावधान रखा जाय कि इस प्रकार की स्वीकृति हो। इस प्रकार से उनके द्वारा स्वीकृति प्रदान करने की व्यवस्था की जाय तो ज्यादा उपयुक्त होगा।

तीसरा दफा ७० के सम्बन्ध में जहां कि बहुत सी जमीनें जो हैं आज इस प्रकार के भावों पर बिक रही हैं जैसे जयपुर शहर के पास में ५०–६० रुपये गज के हिसाब से बिकती हैं तो इस प्रकार से एग्रीकल्चर लैंड भी आज कल इस भाव से बिक रही हैं तो इन बातों को रोकने की व्यवस्था हमारी सरकार ने इसमें की हैं कि वह स्वीकृति तहसीलदार के द्वारा ली जायगी। तहसीलदार द्वारा, वहां पर भी इस प्रकार का प्रावधान था दफा ६६ में और दफा ७० में भी इस प्रकार का प्रावधान है तो वह ठीक नहीं है। तहसीलदार को इस प्रकार के अधिकार दे दिये गये तो जयपुर शहर के आसपास जो २–४–१० एकड़ जमीनें लेते हैं तो वह लाखों रुपयों की जमीनें होती हैं, और तहसीलदार को इस प्रकार का अधिकार दे दिया गया तो इसका बड़ा दुरुपयोग होगा और न उसको पूरी जानकारी होगी कि कौन सा काश्तकार है और कौन आदमी किस काम के लिए जमीन ले रहा है। तो इसमें मेरा यह निवेदन है कि ऐसे लोगों को इसमें लिया जाय जो कि स्वीकृति प्रदान करें वह एक कमेटी की राय से होना चाहिए जिसमें ऐसी वाकफियत रखने वाले लोग हों जिनका क्षेत्र वहां पर पड़ता हो। वह लोग शामिल रहेंगे तो सही नज़रिया या उसका हिसाब मालूम हो सकेगा और वे अपनी राय सही तरीके से द

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

सकेंगे जिसकी वजह से इस प्रकार की गड़बड़ियां पैदा नहीं हो सकेंगी।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि हमारे यहां उत्पादन बढ़ाने के सम्बन्ध में एक इसमें प्रावधान रखा गया है कि जिस लैण्ड में जिस प्रकार की व्यवस्था की जाय कि इसमें अमुक चीज होनी चाहिए या अमुक फसल होनी चाहिए और जिस प्रकार से कलेक्टर जिस क्षेत्र के लिए कोई निर्धारित कर दे कि यह फसल बोना चाहिए तो इससे प्रोडक्शन हमारा ज्यादा बढ़ेगा। उस चीज का इसमें प्रावधान किया गया है। मगर मेरा यह निवेदन है कि बहुत से माननीय सदस्यों ने इसमें एक बात कही है कि इस प्रकार की व्यवस्था होने से केश क्रोप नहीं हो सकेगी या राज्य सरकार जिस प्रकार से निर्धारित करेगी उसी प्रकार से बोना पड़ेगा। यह आवश्यक नहीं है। आज हम चाहते हैं कि पैदावार बढ़े और अन्न ज्यादा से ज्यादा मिले जिससे कि जो शार्टेज है उसकी पूर्ति की जाय तो सरकार जिस प्रकार से निर्धारण करेगी तो उस प्रकार से निर्धारित करने में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। और काश्तकार को भी जो है उसको थोड़ा बहुत छूट हो या जिस प्रकार की सरकार द्वारा व्यवस्था दी जाय वह अन्न पैदा करे, कपास पैदा करे, वह व्यवस्था उसको मान्य होगी, क्योंकि आज प्रोडक्शन के सम्बन्ध में इतनी बड़ी आपत्ति देश के ऊपर आ रही है, और थोड़ी देर पहले इस सम्बन्ध में बहस की गई थी उसमें कहा गया कि मंहगाई बढ़ रही है। सरकार से निवेदन किया और दिल्ली और जयपुर में हर पार्टी प्रदर्शन कर रही है मंहगाई को लेकर। उसको रोकने के लिए यदि कोई प्रावधान रखा जाता है तो सेठों की बातें ले आते हैं और लाइसेन्स की बातें ले आते हैं। वह दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था होना अत्यन्त आवश्यक है। अगर सरकार किसी चीज को निर्धारित नहीं करती है या किसी चीज को तय नहीं करती है, तो अपने अपने स्वार्थों के लिए लोग-बाग अलग अलग बातें करते हैं, और यह बात मेरे ख्याल से बिल्कुल उचित प्रतीत नहीं होती हैं। सरकार का ऐसी बातों के लिए, देश के हित के सम्बन्ध में जब कोई कानून बनाया जाता है तो उनको पूर्ण समर्थन मिलना चाहिए। अगर उसकी पालना नहीं होती हैं। थोड़े दिन पहले हमने देखा हमारे गांव में कि एक एक महाजन के पास हजारों मन अनाज होते हुए भी एक दाना गांव में नहीं बेचा गया और बाहर ले जाकर बेच दिया। तो इस प्रकार का प्रावधान हमारे यहां होगा और उसकी पालना होगी और सख्ती से पालना होगी तभी जाकर प्रोडक्शन के सम्बन्ध में और जो हम लोगों को रिलीफ देना चाहते हैं उस रिलीफ में ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा सकेंगे। इसलिए मेरी अर्ज यह है कि....

श्री दलपतसिंह (आबू) : मेरी समझ में नहीं आया कि कैसे होगा ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप नहीं समझते। आप दूसरे दृष्टिकोण से बोलते हैं। मैंने जो महसूस किया है कि हमारे गांव में एक दाना अनाज नहीं मिला जब कि हजारों मन अनाज महाजन के पास था।

Page No. 63

श्री दलपतसिंह : प्लान प्रोडक्शन की बात है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : प्रोडक्शन करने की जिस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि कलेक्टर जिस प्रकार से निर्धारण करेगा कि अमुक चीजें अमुक स्थान पर बोई जायं तो काश्तकारों के लिए वह मान्य होगा।

श्री दलपतसिंह : सबसे पहले प्लान प्रोडक्शन होना चाहिए।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उससे प्रोडक्शन बढ़ेगा। मैं यही कहूंगा कि इसमें इस तरीके से तय करेंगे हालांकि लोग अपना अलग अलग विचार रखते हैं। सरकार जिस चीज को चाहती है उस प्रकार से प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा और जिस चीज़ की कमी होगी और सरकार उस की व्यवस्था करना चाहती है तो उस क्षेत्र को जिस प्रकार से वह निर्धारित करेगी कि इस प्रकार की चीज यहां पैदा होनी चाहिए वह काश्तकारों को मान्य होगी।

तो यह एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था है उसके द्वारा ज्यादा से ज्यादा लाभ हो सकता है। उसके साथ साथ जो काश्तकारों को सहूलियतें मिलनी आवश्यक है वह भी मिलनी चाहिये। जिन चीजों की पैदावार सरकार कराना चाहती है उसके लिये बीज, खाद, मेन्योर आदि की सहूलियत मिलनी चाहिये ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा सकें। इस प्रकार का जो प्रावधान २४३ ए० में रखा गया है वह आवश्यक है वह इसलिये कि प्रोडक्शन बढ़ाना है। जिस चीज के लिये कलेक्टर निर्धारित कर दे उसके लिये आवश्यक सामग्री काश्तकारों को प्रोवाइड की जाय। इससे प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : [संशोधन इस प्रकार है:—

राजस्थान टीनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १६६४ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत करे। सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी।]

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान टीनेन्सी (अमेन्डमेन्ट) बिल पर इस समय बहस हो रही है। इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने का एक मोशन भी आया है। सबसे पहले तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं टीनेन्सी के सम्बन्ध में हमारी सरकार के द्वारा कितने ही अमेन्डमेन्ट्स इस विधान सभा में १६५५ के बाद लाये गये हैं। भारत सरकार ने विभिन्न स्टेट्स में जो टीनेन्सी लेजिस्लेशन हुए हैं उसका जो इम्पेक्ट हमारे लैन्ड रिफोर्म्स पर हुआ है, पीज़ेन्ट्री को जो स्टेट्स हम देना चाहते हैं जो इसका असर हुआ है उससे असन्तोष जाहिर किया है। प्लानिंग कमीशन ने बार बार और खास तौर से इस साल केन्द्र ने मिड टर्म एप्रेज़ल पर बहस हो रही थी, उस समय एग्रीकलचर प्रोडक्शन में जो कमी आयी है, और देश व्यापी कमी आई है उस पर पार्लियामेन्ट में और नेशनल डेवलपमेन्ट कौन्सिल ने इस बात पर बहुत चिन्ता व्यक्त की थी। बार बार केन्द्र द्वारा यह आदेश देने पर भी, बार बार प्लानिंग कमीशन की ओर से इस ओर सरकारों का ध्यान आकर्षित करने के बावजूद भी जो

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

लैन्ड रिफोर्म्स है उस पर अमल नहीं किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, हमारी राज्य सरकार ने इस आधार पर जो टीनेन्सी लेजिस्लेशन बनाये हैं और लेन्ड रिफोर्म्स हुये हैं उनका हमारी स्टेट पर क्या इफेक्ट हुआ, प्लानिंग कमीशन के आदेशानुसार हम पूरा कर पाये हैं या किसी हदतक लेकुना है, उस बात पर जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए लैन्ड रिफोर्म्स लॉ-कमीशन की नियुक्ति की गई है। जिसने इन्टेरिम रिपोर्ट की तौर पर टीनेन्सी लेजिस्लेशन के बारे में अपनी इन्टेरिम रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी है, जो इस सदन की टेबल पर भी रखी जा चुकी है। अब भी वह कमीशन काम कर रहा है लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा बावजूद इसके कि इस कमीशन द्वारा अब तक पूरा काम नहीं किया गया है उसने एक रिपोर्ट दी है। अभी तक उस रिपोर्ट पर भी पूरी तौर से विचार नहीं किया फिर भी सरकार की तरफ से यह अमेन्डिंग बिल की तौर पर सदन में पेश किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि मुझे बड़ी खुशी होती अगर सरकार पीस मील तरीके से इस टीनेन्सी लेजिस्लेशन को न लाकर, रिपोर्ट पर कोई निर्णय लेने से पहले इस प्रकार बिल के रूप में कुछ धाराओं में अमेन्डमेंट लाकर बिल लाती है और उसमें भी ऐसी धारायें हों जिनका प्लानिंग कमीशन ने जो निर्देशन किया है, जो हमारी एग्रेरियन इकोनोमी पर बहुत भारी असर डाल रही है, जिनका हल करना बहुत आवश्यक था, तो खुशी होती। लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह देखा गया है कि प्लानिंग कमीशन के जो टीनेन्सी लेजिस्लेशन के सम्बन्ध में जो अपना दृष्टिकोण रखा है जिन जिन प्रोब्लम्स की तरफ स्टेट गवर्नमेंट को विशेष तौर पर ध्यान देने के लिये कहा है हमारा स्टेट गवर्नमेंट ने उस बात की और बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। यह जो अमेन्डमेन्ट्स इस बिल में सरकार की ओर से पेश किये जा रहे हैं उसका जिक्र तक नहीं है। मैं आपके द्वारा सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि प्लानिंग कमीशन द्वारा इन टीनेन्सी प्रोब्लम्स के सम्बन्ध में एक पैनल मुकर्रर किया है उस पैनल ने अपनी रिकमन्डेशन्स में हिन्दुस्तान भर में किस प्रकार की टीनेन्सी प्रोब्लम्स हैं, अब भी इतने लैन्ड रिफोर्म्स के बावजूद भी कायम हैं, जिनकी तरफ स्टेट गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिये। इस रिपोर्ट में इस टीनेन्सी के सम्बन्ध में जो कहा है वह पढ़ कर सुनाना चाहता हूं:— "We recommend that pending enactment of the comprehensive legislation for tenants reforms, the following steps should be taken with immediate effect.

(i) Ejectment of tenants or sub-tenants should be stayed to ejectment of grounds of non-payment of rent or mis-use of land......

(2) Tenants who have been dispossessed of their land in recent years should be restored except where ejectments were made through courts for no payment of rent or misuse of land."

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री,

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

राजस्व) : From which book you are reading this ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : This is the Report of the Committee of Penal of the Land Reforms.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Which year ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : 1958. This was submitted on 14th May, 1958.

(११.१७ म० पू०)

(राव श्रीनारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तो इस तरह से उपाध्यक्ष महोदय, हम देखते हैं कि इस पैनल ने मुख्य तौर से चार बातों पर जोर दिया है जो कि टीनेन्सी में अभी भी प्रोब्लेम है। यह रिपोर्ट ५८ की है। उसमें पहला तो यह कहा गया है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होना चाहिये टीनेन्ट्स और सब टीनेन्ट्स को भी। हमने इस रिपोर्ट में देखा है इतने कानून पास करने के बावजूद भी अब तक टीनेन्ट्स और सब टीनेन्ट्स को किन्हीं न किन्हीं रूप में सिक्योरिटी आफ टेन्योर नहीं है।

दूसरा, यहां जितने भी कानून लैन्ड रिफोर्म्स के पास किये हैं उनमें लोगों को बहुत बड़ी मात्रा में डिसपज़ेशन हुआ है चाहे वह वॉलन्टियरी सरेंन्डर के रूप में हो, या दूसरे रूप में। इस पैनल ने सजेस्ट किया है कि उनको वापिस पज़ेशन रेस्टोर की जानी चाहिये क्योंकि लैन्ड लोर्ड्स वॉलन्टियरी सरेन्डर करवाते है।

तीसरा, डाइरेक्ट रिलेशन स्टेट का और टीनेन्ट का किया जाना चाहिये।

चौथा, फेअर रेन्ट्स की लोगों को गारंटी की जानी चाहिये। इन चार बातों की तरफ इसमें ध्यान दिलाया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है, अगर सरकार की यह मान्यता होती तो यह चारों तरफ की प्रोब्लम चाहे सिक्योरिटी ऑफ टीन्योर की हो, चाहे इल्लीगल डिस्पज़ेशन की हो और चाहे वह टीनेन्ट्स को स्टेट के रिलेशन में डाइरेक्टली लाने की प्रॉब्लम हो, चाहे ओनरशिप के राइट देने की प्रोब्लम हो और चाहे फेयर रेंट्स की प्रोब्लम हो, अगर ये चारों प्रोब्लम्स राजस्थान में एग्ज़िस्ट न करती होती और तब यह सरकार उन पर ध्यान नहीं देती तो बात अलग थी; लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, यह रिकमन्डेशन्स १६५८ में की थीं। उसके बाद पूरा सैकन्ड फाइव इयर प्लान गुजर गया और थर्ड फाइव इयर प्लान का तीसरा साल खत्म हो गया, अब भी मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि यह चारों बातें राजस्थान में आज भी लागू हो रही हैं। आज राजस्थान सरकार यह क्लेम नहीं कर सकती कि हमने सेंट पर्सेन्ट सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर किसानों को दे दिया है। आज यह भी राजस्थान सरकार क्लेम नहीं कर सकती कि हमने टोटली इन्टरमीजियरीज़ को खत्म कर दिया है। आज राजस्थान सरकार यह भी क्लेम नहीं कर सकती कि जो लोग इन लैंड रिफॉर्म्स की वजह से या सरकार के कानूनों की वीकनेस की वजह से डिस्पज़ेस हुए हैं, जिन लोगों को जमीन सरेन्डर करने के लिए मजबूर होना

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

पड़ा है, उनको सरकार ने रेस्टोर कर दिया है। आज राज्य सरकार यह भी क्लेम नहीं कर सकती कि हमने सारे प्रान्त में फेअर रेंट कायम कर दिये हैं। यह क्लेम भी नहीं कर सकती कि बावजूद हमारे टीनेन्सी एक्ट में एक बटे छः बांटे से ज्यादा बांटा लेना गैर कानूनी होने के और बावजूद हमारे कानून के केश रेंट के अलावा बांटा लेना गैर-कानूनी होते हुए राजस्थान में बांटा जारी नहीं है। यह क्लेम भी नहीं कर सकती कि रेंट कन्ट्रोल कैश का किया हुआ है, उतना रेंट वसूल होता है इससे ज्यादा नहीं होता। बल्कि, उपाध्यक्ष महोदय, जो फेक्ट्स सामने आये हैं, जो बातें सामने आई हैं उससे तो यह साफ मालूम हो रहा है कि जो सबसे बड़ा लैंड रिफार्म्स है और जो मोटी बात है, इन्टरमीजियरीज़ को खत्म करने की बात है लेकिन अभी तक बावजूद जागीरदारी एबोलिशन कानून होने के, बावजूद बिस्वेदारी एबोलिशन कानून होने के, बावजूद अजमेर के इस्तमरारदार के सम्बन्ध में इस्तमरारदारी के रिज़म्प्शन करने के यह कहना सही नहीं होगा कि इन्टरमीजियरीज़ टेन्योर्स राजस्थान में कायम नहीं है। यह ठीक है कि उनकी शक्ल बदल गई है। आज उनको जागीरदार नहीं कहते, बिश्वेदार नहीं कहते—लेकिन इस रूप में उनके फ्यूडल स्वरूप में काश्तकार कोई और है और उसका मुनाफा कोई और लेता है, उसकी बंटाई कोई और लेता है, हायर रेंट्स कोई और लेता है। और ये बातें मौजूद हैं।

श्री दलपतसिंह (आबू) : You are wrong.

श्री रामानन्द अग्रवाल : राजस्थान सरकार ने, उपाध्यक्ष महोदय, इस जागीर रिजम्प्शन एक्ट के तहत जागीरदारों को उन जमीन पर, जिनको वे काश्त नहीं करते, नेहरू अवार्ड के तहत खुदकाश्त मान लिया है जब कि उस जमीन को किसान काश्त करता था। और आज भी ऐसी जमीनें मौजूद हैं जो कि खुद काश्त कहलाती हैं, खुदकाश्त के नाम से वह जागीरदार खातेदार टीनेन्स के रूप में उस जमीन पर काबिज है—वह आज जागीरदार नहीं कहलाता, खातेदार कहलाता है—लेकिन वह बटाई ले रहा है, आधी बटाई लेता जा रहा है और ज्यादा लगान ले रहा है। जब चाहे किसान को जमीन दे देता है, जब चाहे किसान को निकाल देता है, अब के यह जमीन दी। अब के वह जमीन दी—इस प्रकार वह जमीन पर, तमाम जमीन पर खातेदार, टीनेन्ट के रूप में काबिज है, उसके पास वह जमीन आज भी कायम है। इस तरीके से, उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे राजस्थान में खातेदार भी सब टीनेन्ट्स रखते हैं। ऐसे लोग, जो खुद काश्त नहीं करते हैं और जमीन के मालिक हैं, सब टीनेन्ट्स रखते हैं। और मालिकों को जिन्हें आप खातेदार कहते हैं, उनके पास सब टीनेन्ट्स हैं जिनसे पचास प्रतिशत बटाई वसूल होती है, उनसे कैश रेंट कितना ही गुना वसूल किया जाता है। तो फिर फेअर रेंट कहां है ? उपाध्यक्ष महोदय, इस तरीके से बहुत बड़ी जमीन सरेन्डर हुई है, बहुत बड़ी जमीन पर से लोगों को डिसप्लेस किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, सन् १९५५ में जब यह टीनेन्सी एक्ट आया, बहुत से सब-टीनेन्ट, जो उस वक्त जमीन पर काबिज थे, बाद में उन्हें जमीन से निकाल दिया गया। अगर सरकार इन आंकड़ों को सदन

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

की मेज पर रखे कि १९५५ में, १५ अक्टूबर, १९५५ में जब यह टीनेन्सी एक्ट लागू किया गया उस वक्त में राजस्थान में जितने सब टीनेन्ट्स थे और उसके बाद १९५९ में, जब कि आपने अमेंडमेंट करके सब-टीनेन्ट्स को खातेदारी हकूक दिये थे-तो जिन लोगों को खातेदारी हकूक एक्चुअली मिले १९५९ में उनकी तादाद बहुत थोड़ी है बमुकाबले उन लोगों के जो १९५५ में जमीन पर काबिज थे। तो, उपाध्यक्ष महोदय, इसका क्या मतलब है ? एक ही तहसील में देखें, वह जयपुर जिले की बात लें, १९५५ में सब–टीनेन्ट्स की तादाद करीब ८ हजार की थी, और १९५९ में जिनको खातेदारी हक मिले, १९५९ के अमेंडिंग बिल के तहत–उनकी तादाद करीब दो सौ, डेढ़ सौ की है। कहां गये वे सब लोग ? वे सारे लोग बेदखल कर दिये गये। सारे राजस्थान में। और राजस्थान सरकार के पास एक भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है, जिसमें कोई लीगली या वॉलन्टियरिली सरेन्डर किसी किसान ने की हो, और जो टेनेन्सी एक्ट के अनुसार हो, ऐसा वॉलन्टियरिली सरेन्डर नहीं है। इसका मतलब यह है....

श्री दलपतसिंह : कई और लोग भी बोलना चाहते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जितने सरेन्डर हुए हैं वे इल्लीगल हैं। इस तरीके से उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो एक्चुअली टीनेन्ट्स की प्रोब्लम राजस्थान की है, जिसके लिए प्लानिंग कमीशन चाहता है कि उस प्रोब्लम को राज्य सरकार को लेना चाहिए, उनको हाथ में लेना चाहिए, उससे यह सरकार सर्फ करती है, उनके एक्जिस्टेन्स से इन्कार करती है और उस पोजीशन को स्टेबिलाइज करने की कोशिश करती है जिसमें कि टीनेन्ट्स का एक्स्प्लॉइटेशन जारी रहे, इन्टरमीडियरीज का टेन्योर जारी रहे, बटाई जारी रहे। यह वजह है कि उनको पीछे पटकते जा रहे हैं और उनको इस सदन के सामने लाना नहीं चाहते, इसके अन्दर डिस्कशन कराना नहीं चाहते। इस रूप में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा, यह बहुत गम्भीर स्थिति है और खास तौर पर जब, एग्रीकल्चर प्रॉडक्शन का स्टेगनेशन हमारे नेशनल प्रोग्राम पर हो रहा है और हमारे प्लानिंग कमीशन ने, नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल ने इसके बारे में कन्सर्न जाहिर किया है-यह जरूरी है कि यह सदन इस पर गम्भीरता से सोचे और विचार करे। उपाध्यक्ष महोदय, जितने लैंड रिफार्म्स हुए हैं, उनकी दूसरे स्टेट्स में सर्वे कराई गई है– इकानामिस्ट्स और इन्डीपेंडेंट एजेंसी के द्वारा और उनके बहुत ही रिवोल्टिंग रिजल्ट्स आये हैं। हैदराबाद में उपाध्यक्ष महोदय, जागीरदारी एबॉलिशन का क्या नतीजा हुआ, इसका रिव्यू हुआ, वहां के डाइरेक्टर मिस्टर खुसरो ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, जिन लोगों को प्रोटेक्टेड टीनेन्ट बनाना था १९५१ में, वे १९६० में जाकर केवल ४५ पर्सेन्ट रह गये– २१ पर्सेंट बाहर निकाल दिये गये, १२ पर्सेन्ट ने सरेन्डर कर दिया और १२ पर्सेन्ट ऐसे हैं जिन्होंने मुआवजा देकर उसकी मिल्कियत हासिल की है। बम्बई में सर्वे हुआ, गोखले इन्स्टीट्यूट के द्वारा वहां का सर्वे हुआ है। उन्होंने रिपोर्ट में कहा है, जो स्टेट का ला था वह फैल हुआ है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार को कि यह सरकार काम्प्लीसेंट न रहे, और इस सरकार का लैंड रिफार्म्स, टीनेन्सी लॉज के बारे

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

में ख्याल है कि राजस्थान हिन्दुस्तान के अन्दर ए वन स्टेट है, सबसे आगे है, हमने रिफार्म्स कर दिये, यह गलत है । और यह फैक्ट्स को और वास्तविकता को जानने से इन्कार न करें। इसलिए राजस्थान सरकार इसकी सर्वे कराये, इकोनॉमिस्ट्स से, यूनीवर्सिटीज़ से, एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी से इनके इम्पेक्ट का, वास्तविकता का सर्वे कराये ताकि सदन को वास्तविकता की जानकारी करा सके। और यह प्लानिंग कमीशन भी चाहता है कि देश में किसी हद तक लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं, किस तरह टीनेन्ट्स पर लेजिस्लेचर्स का असर हुआ है, किस तरह आगे सोचने की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद जो मौजूदा बिल है इसके बारे में निवेदन करूं तो मुझे यह कहना है कि इस बिल में तीन मुख्य बातों से दो बातों को सामने रख कर इस बिल को सदन के सामने पेश किया है-एक प्रोब्लम है सब डिवीजन की है, और फ्रेगमेंटेशन की और [illegible] प्राडक्शन बढ़ाने की। हमारी सरकार ने स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीज़न्स में जहां तक आम्र्ड कान्स्टेबुलेरी को प्रोटेक्शन देने की बात कही है वह उसका एक हिस्सा है, उसको मैं पाइन्ट मानता हूं। मुख्य, बुनियादी बात है और असली बात है वह है फ्रेगमेंटेशन को रोकने की और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने की। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार का जो भी दृष्टि-कोण है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

लैंड प्रोब्लम....

श्री उपाध्यक्ष : Please wind up now.

एक माननीय सदस्य : काफी लोगों ने अमेंडमेंट्स दिये हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : Our second member will not speak. Kindly allow me sometime.

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवां) : He says he will speak.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, इसको क्लॉज़ बाई क्लॉज़ लिया जावेगा। उसमें भी बहुत से संशोधन हैं जिन पर बहस होगी और समय लगेगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): Point of order, Sir, प्रश्न यह है कि यह आर्ग्युमेन्ट के हो सकता है डिस्कशन के लिये लेकिन मेरा समय मैं इनको देता हूं यह बात सदन की परम्परा के खिलाफ है। यह आपके अन्डरस्टेन्डिंग की बात है लेकिन, whether the matter has been discussed fully or not......

मेरा समय दिया, तो मैं समझता हूँ कि आप इसके लिये प्रोपर ऑथोरिटी हैं जज करने के लिये। मेरे समय में नहीं बोलूंगा, यह मेरे समय का क्या प्रश्न है?

श्री उपाध्यक्ष : इस पर आप बोल लें फिर जोधसिंहजी के बाद क्लॉज़ बाई क्लॉज़ डिस्कशन होगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : We have a right to speak.

श्री उपाध्यक्ष : I think, at 12.15 Government reply may be given.

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : बहुत से संशोधन हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जहां तक इस बिल का मकसद प्रोफिटियरिंग को रोकना और प्रोडक्शन को बढ़ाना है वह सरकार का एप्रीहेन्शन बुनियादी तौर से गलत है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि यह सरकार चाहे किसानों की हो, चाहे और कोई की हो वह ब्रिटिश शासकों की तरह जनता को जोर मार कर और अपने कुछ अफसरों को काम के लिये रख दे यह दृष्टिकोण डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का नहीं हो सकता। इसलिये अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, कोआर्डिनेशन करना चाहते हैं, प्रोफिट को रोकना चाहते हैं तो आप छोटे-मोटे अधिकारी और पटवारियों को किसानों को मार्ग दर्शक के रूप में रखते हैं इससे किसानों का कोई हित नहीं हो सकता। वे किसानों को समझा नहीं सकते। आपका यह दृष्टिकोण बुनियादी तौर से गलत है। सरकार को इस बुनियाद में जाना चाहिये कि कौनसी चीज है जो हमारी प्रोडक्शन को बढा सकती है और कौनसी चीज़ है जो इसको बढ़ने नहीं देती है। इसके लिये सरकार को फ्रेगमेन्ट के हिस्सों में इनिशियल चेन्ज करने की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर सरकार ने फ्रेग्मेन्टेशन रोकने और उन पर प्रतिबन्ध लगाने की कोशिश की तो आप गरीब से गरीब किसान का अहित करेंगे। अगर हिन्दुस्तान में तमाम फ्रेग्मेन्टेशन को रोक करना है तो आपको कोऑपरेटिव की पोलिसी एडॉप्ट करनी होगी इसके अन्दर जो भी आस पास की जमीन है उसको आपको इकट्ठी करनी होगी और जो बेकार पड़ी हुई जमीन है उसके बड़े बड़े फार्म्स आपको बनाने होंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अगर आप इसके अलावा दूसरा तरीका अपनाते हैं तो वह सक्सेसफुल नहीं होगा। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो दृष्टिकोण आपने अपनाया है वह बुनियादी तौर से गलत है और इस के भयंकर परिणाम हो सकते हैं। हम इसकी मुखालफत नहीं करते। हम यह चाहते हैं कि कोई भी काम हो वह प्लान्ड तरीके से हो। हम चाहते हैं कि जिन्दगी का हर दृष्टिकोण प्लान्ड होना चाहिये इसलिये हम और हमारी पार्टी हमेशा इसकी समर्थक रही है और रहेगी। लेकिन आपको इस मसले को सारे कॉन्टेक्स्ट में और सारे सेक्टर को कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। आज यह बात नहीं है कि किसान प्रोडक्शन बढ़ाना नहीं चाहता, किसान प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है। आज आप देखते हैं कि उसको कितनी दिक्कतें आती हैं। आपने यह रखा है इसके क्लाज में कि अगर किसान इतनी पैदावार नहीं करेगा तो वह टीनेन्सी की कन्डीशन्स को पूरा नहीं करेगा और ज्योंही उसने टीनेन्सी की कन्डीशन्स को पूरा नहीं किया उसका मतलब यह होगा कि आपके १८० धारा के अन्तर्गत, आप उसका इजेक्टमेंट कर सकेंगे। आप उसको उसकी जमीन से निकाल देंगे! आप ऐसे पटवारी की रिपोर्ट पर या तहसीलदार की रिपोर्ट पर किसान को खातेदारी और सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिले हैं उससे अलग कर

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

दिया जावेगा। इससे बचने के लिये उसके विभाग में करप्शन पैदा होगी और वह करप्शन का शिकार बनेगा।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

आप यह देखिये कि जो पैदावार बढ़ाई जा रही है वह रेवेन्यू रेकार्ड में कितनी दर्ज हुई है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

आप उनको प्रोत्साहन दीजिये. जिस प्रकार आप इन्डस्ट्रीज़ से पैदावार बढ़ाते हैं। उनको इनकम टैक्स में छूट देते हैं और यह कहते हैं कि उनको ये-ये छूट मिलेगी। उनको इससे इन्सेन्टिव मिलेगा। लेकिन किसान किसान के लिये आपके कानून बदलते जाते हैं आपको उनको कुछ सहूलियतें देनी चाहिये, मगर इसके बजाय आप उसके सिर पर स्वोर्ड ऑफ मिरेकल लटकाये रखना चाहते हैं और यह कहते हैं कि अगर तुमने पैदावार नहीं बढ़ायी तो तुमको जमीन पर से निकाल दिया जावेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको आपकी वजह से जमीनें मिल गई हैं और जिन्होंने कभी खेती नहीं की और न उनकी परम्परा रही है खेती करने की, मगर फिर भी वे लोग आपकी वजह से उन बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक बने हुए हैं। कोई फसल नहीं करते इसलिये आपको यह कानून लगाना पड़ रहा है। इसकी वजह से सैकड़ों किसानों को भ्रष्ट बनना पड़ेगा....

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

मैं उपाध्यक्ष महोदय, यही कहूँगा कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाना चाहिये ताकि वहां पर सीरियसली इस पर विचार किया जा सके।

श्री जोधसिंह चौहान (गिरवां) : [संशोधन इस प्रकार है :

राजस्थान टीनेन्सी (संशोधन) विधेयक १९६४ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में सदन के समक्ष प्रस्तुत करे। सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी।]

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी अपना संशोधन रखा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जल्दी में काम करना ठीक नहीं है। जल्दी का काम शैतान का होता है। मैं समझता हूँ कि सरकार ने कई कानून बनाये हैं और अगर देखा जाए तो सरकार को भी यह मालूम नहीं कि कितने कितने कानून बनाये हैं। कानून बनाती है लेकिन उसको लागू करना और उस पर पाबन्दी लगाना बहुत मुश्किल होता है। आज जितने भी कानून बने हैं उनको एग्जिक्यूट कराने के लिये पॉवर कलेक्टर को रहते हैं। अभी हमने क्लॉज २ निकाला है उसमें भी आर्मड कॉन्सटेबुलरी को भूमि देने का जो प्रावधान रखा है उसका हम स्वागत करते हैं लेकिन इससे पहले हमारी सरकार ने इनके लिये एक्ट बनाये हुए हैं। मगर उनके अनुसार उनको सुविधाएं नहीं देते हैं। आज कई ऐसे सिपाही हैं, ऐसे बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं जिन्होंने सेना में काम किया है। उन्होंने सरकार को जमीन के लिये निवेदन किया, मगर सरकार से उनको जमीन नहीं मिल पाई। मैं दूसरे क्षेत्रों की नहीं जानता, मैं मेरे जिले की बात जानता हूँ और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वहां पर कई सिपाही और कई बड़े-बड़े ऑफिसर्स विजय-

(श्री जोधसिंह)

नाथजी, नाथूलालजी आदि उदयपुर में हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें ज्यादा ऐसे हैं मेवाड़ में सेना में नौकरी की है उनको जमीन नहीं मिली है। उन्होंने इसके लिये कई एप्लीकेशन्स दे रखी हैं।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना): आप अलॉटमेंट के बारे में बोल रहे हैं या बिल पर बोल रहे हैं ?

श्री जोधसिंह चौहान : उन फौजियों को भूमि नहीं मिली और दूसरे कई कांग्रेसी हैं उनको भूमि मिल गई है। तो मेरा निवेदन करना यह है कि यह जो क्लॉज़ (२) है वह शिरोधार्य है, पर आज तक जिस प्रकार की ढिलाई इस प्रकार के कानूनों में बरती गई है उस तरह की इसमें ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिये, इसका इम्प्लीमेंटशन पूरी तरह से किया जाना चाहिये और अच्छी तरह से इसका पालन किया जाना चाहिये। आप केवल कानून बना कर कानूनों की संख्या ही नहीं बढ़ायें, बल्कि जो भी कानून आप बनायें उनका इम्प्लीमेंन्टेशन अच्छी तरह से करें।

यह जो अमेंडमेंट बिल आया है इसकी मूल मंशा यह है कि हमारे यहां खेती बड़े, खेतों के छोटे-छोटे टुकड़े न बढ़ें। मैं समझता हूँ सरकार की इसके पीछे यह मंशा होगी। पर जब हमारे यहां लैंड रेवेन्यू कमिशन बैठा हुआ है, वह अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा है तो वह रिपोर्ट तैयार होने पर सरकार इस प्रकार का कानून ला सकती थी, उस रिपोर्ट के आने के पहले इस प्रकार का कानून लाने में मैं नहीं समझता कि सरकार की क्या मंशा है ? सरकार ने इस प्रकार की रोक लगाई है कि बिना तहसीलदार को पूछे कोई जमीन नहीं बेच सकेगा, इस प्रकार की पाबन्दी रखना ठीक नहीं है। सरकार भी चाहती है कि छोटे-छोटे टुकड़े भूमि के नहीं होने चाहिये। इस प्रकार की पाबन्दी लगाने से किसान को सिक्योरिटी समाप्त हो जायगी। बड़े-बड़े देशों में तो गरीब आदमियों के लिये, किसानों के लिये सीक्योरिटी बैंक्स हैं पर हमारे यहां इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। पहले तो हमारा अधिकार छीना फिर जो छोटे-छोटे भूमि के टुकड़े हैं उनके ऊपर आप इस प्रकार की पाबन्दी लगा रहे हैं कि न उनको गिरवीं रख सकते हैं और न उनको बेच सकते हैं। आज किसान आडे वख्त में अपनी भूमि गिरवे रख कर, छोटे भूमि के टुकड़े को बेच कर अपना काम निकाल लेता है, अपना और कुटुम्ब का पालन कर लेता है पर इस प्रकार की पाबन्दी होने के बाद न तो वह अपने छोटे से छोटे भूमि के टुकड़े को बेच सकेगा और न गिरवे ही रख सकेगा, इनमे किसान की सिक्योरिटी समाप्त हो जायगी, उसको अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिये कहीं से भी पैसा प्राप्त नहीं हो सकेगा क्योंकि गरीब किसान के पास उसकी जमीन के सिवा और कोई सिक्योरिटी नहीं होती।

हमारे यहां पर पर एकड़ ईल्ड घटी है, उसके घटने का मूल कारण यह है कि हम यहां पर किसानों को इस बात की कतई सिक्योरिटी नहीं है, किसी प्रकार का विश्वास नहीं है कि उसकी जमीन उसके पास ही रहेगी, आज उसके दिल में इस प्रकार की भावना सरकार की इस प्रकार की भूमि सम्बन्धी नीति

(श्री जोधसिंह)

के कारण घर किये हुए हैं कि उसकी जमीन उसके पास रहेगी या नहीं रहेगी। सरकार ने इस प्रकार का ऑर्डर निकाल रखा है कि हमारे उदयपुर के आस पास ५ माइल के एरिया में कोई किसान न अपनी भूमि बेच सकता है और न वहां मकान ही बना सकता है। सरकार बिना सोचे समझे इस प्रकार के ऑर्डर निकालती है। कई वर्षों से वहां का आस पास का एरिया जो मेरे चुनाव क्षेत्र में आता है वहां किसान भूमि नहीं बेच सकता आज वहां के किसान में कतई विश्वास नहीं है कि यह भूमि मेरे पास रहेगी। आये दिन उनको कहा जाता है कि यह भूमि हम मिल के लिये ले लेंगे, अमुक काम के लिये ले लेंगे। लेकिन हमारी सरकार के बड़े बड़े आदमी, बड़े बड़े सेठ उस जमीन को ले रहे हैं। उदयपुर के आस पास में कोई किसान, गरीब आदमी मकान नहीं बना सकता पर बड़े बड़े आदमियों ने भूमि खरीद ली है, एग्रीकल्चर कॉलेज, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से किसानों से भूमि ले ली गई बाद में उसे उसके प्रेमिसेज़ से निकाल कर मिनिस्टर महोदय ने जो उदयपुर के एम० एल० ए० हैं अपने रिश्तेदार के नाम से उन्होंने ले ली है; चाहे रिश्तेदार के नाम से लो या और के नाम से लो, ले ली है। इस प्रकार वह जमीन किसानों के हाथ से निकल कर बड़े आदमी के हाथ में चली गई। सिवाना के पास ७ बीघा लैंड है वह हमारे उदयपुर के एम० पी० वर्मा साहब हैं उन्होंने ले ली है...

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : There should be no personal allegations.

श्री प्रतापसिंह (राजाखेड़ा) : जो यहां इस सदन में रिप्रेज़ेन्टेशन नहीं रखते उनका नाम क्यों लेते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : Yes. please, to the point. No personal allegation should be made.

श्री जोधसिंह चौहान : मैं जनरल बात बता रहा हूं कि किस प्रकार किसानों से भूमि ली जाती है और वह बड़े-बड़े आदमियों के हाथ में चली जाती है।

एक्ट के अन्दर सरकार की नीति यह है कि किसान भूमि का मालिक है, पर सरकार किसानों की भूमि उनसे ले रही है और उस भूमि में सरकार ने में अपने प्रचार के अड्डे बना रखे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप इस बिल से सम्बन्धित कॉन्क्रीट और कन्स्ट्रक्टिव सुझाव जो हों वही दें। समय की सीमा है उसका ख्याल रखें। within two minutes you should conclude.

श्री मोतीलाल चौधरी : एक्ट समझ में आया या नहीं ? क्या है इसमें ?

श्री जोधसिंह चौहान : मैं खूब अच्छी तरह से समझता हूँ, अभी तो यह सब रख रहा हूँ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी हमेशा शिकायत रहती है कि पहले बोलने वालों को बोलने की पूरी छूट होती है और बाद में हम लोग बोलते हैं तो पाबन्दी लगा कर बहुत कम समय दिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन करूं कि समय की सीमा का प्रत्येक माननीय सदस्य को ध्यान रखना है। प्रारम्भ में ज्यादा हो जाता है तो स्वाभाविक है कि अन्त में जाकर कम करना होगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आसन से प्रारम्भ में बोलने वालों पर भी यह व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : केवल आसन पर ही नहीं छोड़ें, आपस में भी ध्यान रखें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : आज का बिल काफी इम्पोर्टेन्ट बिल है, इसलिये मैं प्रस्ताव करूंगा कि थोड़ा समय और बढ़ा दें ताकि जिन माननीय सदस्यों ने अमेंडमेंट नहीं रखे हैं वे भी इस पर बोल सकें।

श्री उपाध्यक्ष : स्वभावतः बढेगा।

श्री जोधसिंह चौहान : तो यह जो ४२ वीं धारा है उसका मैं स्वागत करता हूँ। पर साथ ही साथ इसमें कई लेकुनाज़ हैं ...

श्री उपाध्यक्ष : Please do it early.

श्री जोधसिंह चौहान : उपाध्यक्ष महोदय, हम सब चाहते हैं कि किसानों की भूमि का प्रोडक्शन बढ़ें। पर वह बढ़े कैसे, इसके लिये सरकार कहती है किसानों से कि तुम्हें अमुक फसल ही अपनी जमीन में बोनी पड़ेगी यह तो एक तरह से किसानों की आजादी को छीनना है। इस प्रकार का कानून ला कर मनुष्यों की आजादी सरकार के द्वारा छीनी जाती है, इस तरह जनतन्त्र में, जनता के राज में इस प्रकार सरकार की आज्ञा करना, इस तरह की आज्ञा का थोपा जाना किसी प्रकार ठीक नहीं है। इसके बजाय सरकार यह कर सकती थी कि फलां फसल बोओगे तो लगान में कमी कर देंगे, फलां फसल बोओगे तो लैंड रेवेन्यू माफ कर देंगे और सरकार किसी प्रकार का इनाम देती तो पर एकड़ यील्ड अवश्य बढ़ती....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : Please finish it early.

श्री जोधसिंह चौहान : आज किसानों में जमीन पर अपने अधिकार के बारे में विश्वास नहीं होने के कारण वे लोग अपनी जमीन में इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे हैं, अपनी जमीन में वे प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पा रहे हैं। आज खेती पर इन्हीं कांग्रेसियों ने विशेष रूप से अधिकार कर रखा है और इसी कारण आज बीच के आदमी खत्म हो, जो खेत जोतता है, खुद काश्त करता है, उसी का खेत हो, यह प्रश्न आज हल नहीं हो पा रहा है। इसलिये उपयुक्त यही होगा कि जो किसान खेती करता है, जो खुद जोतता और बोता है उसी को जमीन रखने का अधिकार होना चाहिये। इस प्रकार का प्रावधान रखने के बजाय आप इस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं जिससे कि मिनिस्टर, बड़े बड़े आदमी और एम० एल० एज० जमीनें ले लें। अन्त में मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि खेती करने वालों को ही जमीन लेने का अधिकार होना चाहिये।

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास !

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : संशोधन इस प्रकार है:—

राजस्थान टेनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १६६४ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे जो अपना प्रतिवेदन छः माह में सदन के समक्ष प्रस्तुत करे। सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान टीनेन्सी एक्ट (संशोधन) विधेयक, १६६४ पर सदन में बहस चल रही है। मैं मानता हूँ कि जहां तक राजस्थान टीनेन्सी एक्ट का सवाल है। राजस्थान के सर्वतोमुखी विकास के लिये बड़ा महत्वपूर्ण एक्ट है। यह १६५४ में राजस्थान विधान सभा में पहली बार पास हुआ, १६५५ के मार्च में इस पर राज्यपाल महोदय ने स्वीकृति दी, ५५ में यह फोर्स में आया। उसके बाद में इसमें काफी अमेंडमेंट्स आये हैं, १८ अमेंडमेंट तो इस पर आ चुके हैं और यह १६ वां अमेंडमेंट है। सारे अमेंडमेंट्स की मंशा यह रही है कि किस प्रकार राजस्थान के किसानों के आर्थिक जीवन को अच्छा बनाया जाय। जो इसी दृष्टिकोण से ये संशोधन हुए, इतनी लंबे अमेंडमेंट्स के बाद भी आज सब परिस्थितियों के अंदर गहराई के साथ देखता हूं तो सरकार की मन्शा यह रही इसके अंदर कि इस प्रकार से अमेंडमेंट्स करें जिससे किसान को राहत मिले। परंतु देखना यह है कि जितने भी संशोधन किए गए उसमें किस प्रकार के लेकूनाज़ रह गए जिनकी वजह से जो सही माने में हमारा लक्ष्य था वह पूरा नहीं कर पाए। उसका एक कारण यह है कि राज्य सरकार की इतने वर्षों की परम्परा रही, उनकी कांग्रेस सरकार जब पावर में रही तो प्रतिक्रियावादी तत्वों के बीच में चलती रही। इसका नतीजा यह हुआ कि जो भी अमेंडमेंट्स किए गए उनका नतीजा, जो उद्देश्य था किसान को राहत पहुंचाने का, वह नहीं हुआ। आज सबसे बड़ा फंडमेंटल सवाल यह है कि जोतने वाला ही जमीन का मालिक हो। यह सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल को लेकर ये जो लैंड रिफार्म्स होते हैं, उसी आधार पर होने चाहिए।

आज हम देखते हैं कि इतने अमेंडमेंट्स के बावजूद कि जैसलमेर के इलाके के अंदर, जो हिन्दुस्तान के अंदर सबसे बड़ा इलाका है, जहां सबसे ज्यादा जमीन है, वह जमीन आज कुछ मुट्ठीभर लोगों के हाथ में है। जो सीलिंग कानून आपने लागू किया वह हाईकोर्ट से स्टे हो गया। हजारों किसानों की दरखास्तें आती रहीं कि हम जमीन को जोतते थे, हम मालिक हैं। वहां के लोगों ने जमीन पर कब्जा कर रखा है और दूसरों को टेनेन्ट्स बनाकर बिचौलियों के रूप में बैठे हुए हैं। खास तौर से जैसलमेर के कांग्रेस के एम० एल० ए० जो वहां के बड़े जागीरदार हैं और हिज़हाइनेस की फैमिली के हैं, उन्होंने सारे क्षेत्रों को जमीन अपने कब्जे में कर रखी है। आज वहां हजारों किसान किसी प्रकार से जमीन के मालिक नहीं हैं, उनकी दरखास्तें आपके पास मौजूद हैं। आपको आज बिचौलिए को हटाना चाहिए, इसको आपको नीति के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जहां तक जमीन के देने का सवाल है आज जमीन बहुत से किसानों के पास गंगानगर इलाके में.......

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : कोरम नहीं है।

(गण पूरक घंटी)

श्री मुरलीधर व्यास : इस सिलसिले में जो खास तौर से मूलभूत लक्ष्य हैं उनको कैसे प्राप्त किया जाता है उन पर जैसे अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा बुनियादी संशोधनों की आवश्यकता है और इसलिए अभी तक जो परम्पराएं रही हैं पहले तो हमारे जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे न जाने किन परम्पराओं के अन्तर्गत चलते थे, हमारे जो नए रेवेन्यू मिनिस्टर हैं हालां कि आगे बढ़े हैं तो भी इसमें बुनियादी तौर से इसके अन्दर कुछ प्रावधान करना चाहिये। नया जो अमेंडमेंट है उसके अन्दर कुछ प्रावधान है।

उसमें खास तौर से जो लोग मिलिटरी में काम करने वाले हैं, मुल्क की खिदमत में अपना बलिदान करते हैं, उसी प्रकार से आर. ए. सी. के जवानों के लिए प्रावधान है, यह अच्छा है। परन्तु इसके साथ ही साथ आपको इतना जरूर जोड़ देना चाहिये कि इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जो देश की सेवा में चाहे कोई पटवारी हो, ग्रामीण हो, इस प्रकार से जो कुर्बानी करता है तो इस मामले में भेद-भाव नहीं होना चाहिये और एड कर देना चाहिये कि इस प्रकार देश की सेवा करने वालों को भी लाभ मिलेगा।

दूसरा, मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ जैसे कि अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि शहर के क्षेत्र के अन्दर जो काश्त की जमीन है उसके अन्दर कुछ बाड़े बनाकर मिसयूज़ करते हैं, उनको कन्ट्रोल करना आवश्यक है, मैं मानता हूँ कि कन्ट्रोल करना चाहिए। इस प्रकार से बहुत से लोगों ने अभी तक लाभ उठा लिया है। आप संशोधन बहुत देरी से ला रहे हैं। आज बहुत से लोगों ने शहरों के आसपास की भूमि का लाभ उठा लिया। आपको इसके अन्दर और कुछ जोड़ना चाहिए। अभी उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि उदयपुर के अन्दर जमीन खरीदी गई, मुख्य मंत्रीजी के नाम का उन्होंने उल्लेख किया, वहां के एम. एल. ए. का उल्लेख किया। मुख्यमंत्री जी ने नहीं तो उनके साले के साले ने खरीदी लेकिन यह सही है कि उन्होंने इस प्रकार से जमीन खरीदी है और उसके अन्दर मुख्य-मंत्रीजी के पद का दुरुपयोग हुआ है। वह कैसे हुआ है और कैसे नहीं हुआ है मैं उसकी गहराई में नहीं जाता परन्तु ४० हजार की जमीन खरीदी गई।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : कहां पर ?

श्री मुरलीधर व्यास : उदयपुर के अन्दर। अब वह जमीन जिन्होंने आज से पहले खरीद ली उनके ऊपर टेनेन्सी एक्ट में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है जैसे साल भर पहले खरीदी हो और पद का दुरुपयोग किया है और इस प्रकार से नुकसान पहुंचा और उससे जो शहर के विकास के अन्दर नुकसान हुआ, तो इस तरह का लेकूना पहले भी रखा गया।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने इसमें जो तहसीलदार को राइट दिया है वह ठीक नहीं है। आज हमारी योजना डेमोक्रेटिक सोशियेलिज़म की तरफ जा रही है,

Page No. 76

(श्री मुरलीधर व्यास)

हम विकेन्द्रीकरण की तरफ जा रहे हैं, हमने पंचायतों और ग्राम पंचायतों को अधिकार दिए, पंचायत समितियों का निर्माण किया है, उसके अन्दर इस प्रकार की जो व्यवस्था हम जब करते हैं तो हम चाहते हैं कि लोकतांत्रिक परंपराओं के आधार पर नया परिवर्तन हो। अगर कोई बाड़ा बनाता है तो भी तहसीलदार से स्वीकृति ले। मैं पूछना चाहता हूँ कि पंचायत समिति फैसला क्यों नहीं करे, ग्राम पंचायत फैसला क्यों नहीं करे। आप उनको अधिकार क्यों नहीं देना चाहते हैं ? या तो आपका डेमोक्रेटिक सेट अप पर विश्वास नहीं है। अगर विश्वास है तो ऐसे नए परिवर्तन किए जायें जो उनके विपरीत हैं तो ऐसा प्रावधान नहीं होना चाहिये।

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

आपका लक्ष्य यह होना चाहिये कि प्रोडक्शन बढ़े, जमीन का मालिक किसान हो, कम से कम आर्थिक जोत हर आदमी के पास हो सके। टेनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत इस प्रकार से संशोधन करने चाहिये जिससे कि राज्य की समूची आर्थिक व्यवस्था जो कि किसानों से सम्बन्धित है, एक नई दिशा की ओर मोड़ ले सके। अगर इस प्रकार से नहीं मोड़ लिया तो आप बाद में संशोधन लायेंगे और खामियां रह जायंगी और नतीजा कुछ निकलेगा नहीं।

(१२.०० मध्यान्ह)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : उपाध्यक्ष महोदय........

श्री उपाध्यक्ष : Your time has already been taken.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : I shall take only one minute.

श्री उपाध्यक्ष : I am sorry. He had taken your time on a solemn understanding that you will not speak.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : I shall finish within five minutes.

श्री उपाध्यक्ष : I am sorry. Your time was already taken.

(विराम)

श्री राधाकिशन गोयल।

श्री केसरीसिंह (पाली) : उनकी जगह मैं बोलना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : संशोधन इस प्रकार है :—

राजस्थान टेनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १९६४ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये जो अपना प्रतिवेदन पन्द्रह दिन में सदन के समक्ष प्रस्तुत करे। सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय,............

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : You may kindly give me some time after others have spoken.

Page No. 77

श्री उपाध्यक्ष : If there is time.

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह अमेन्डमेन्ट बिल लाने की आवश्यकता क्यों हुई, इस पर विचार करना चाहिये ।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : यदि गवर्नमेन्ट की ओर से कोरम पूरा नहीं किया जा सकता है तो फिर हाउस को एडजोर्न कर देना चाहिये क्योंकि इस बिल में गवर्नमेन्ट को इन्ट्रेस्ट नहीं है । बार बार घण्टी बजाने पर भी कोरम पूरा नहीं होता है तो उधर के माननीय सदस्य भी इसमें इन्ट्रेस्टेड नहीं है और इसके विरोध में है कि यह बिल पास हो ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : उनका तो विरोध है ही यह इससे प्रकट होता है ।

(गण-पूरक घण्टी)

श्री विजयसिंह झाला : ऐसा मालूम होता है कि लॉबी में कोई ऐसी आपत्कालीन स्थिति पैदा हो गई है !

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : डिवीज़न बैल हो तो दौड़ कर आ जायं ।

(गण-पूर्ति के पश्चात्)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सारा देश और हमारा राज्य भी इस होड़ में लगा हुआ है कि अधिक से अधिक हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ायें लेकिन ये सारे नारे लगाने के बावजूद भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन देश में और राज्य में नहीं बढ़ रहा है । उसके खास कारण हैं । उनमें से एक कारण यह भी है कि एग्रीकल्चर कानूनों में सडन चेन्जेज़ होते हैं जिससे उनका असर उन किसानों पर पड़ता है जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं और जो समय समय पर कानूनों में सडन चेन्जेज़ किये जाते हैं उनको समझ नहीं सकते हैं और उन पर उनका बड़ा बुरा असर पड़ता है और वे इस कारण अपने दिमाग को इस ओर नहीं लगा सकते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने की ओर जाना है और योजना की ओर उसको आगे बढ़ाना है बल्कि उसका दिमाग इस तरफ चला जाता है कि कानून में आगे क्या चेन्ज आने वाली है और उससे, उस रद्दोबदली से उसको क्या फायदा होने वाला है । उसका दिमाग स्थायी तौर पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने की ओर नहीं रहता है । मैं तो राज्य सरकार को कहना चाहता हूं कि टेनेन्सी एक्ट वगैरा में तरमीम की जाती तो आपने जो कमेटी बिठायी है उसकी रिकमन्डेशन आने के बाद उसको देखने के एक साल बाद में यह अमेन्डमेंट की जाती तो काश्तकारों को यह देखने की आवश्यकता ही नहीं होती कि अब सरकार क्या लायेगी । .

तीन चार बातें इस संशोधन बिल में बतायी गई हैं मैं उसकी ओर आना चाहता हूं । सैनिकों को भूमि देने की बात कही गई है वह ठीक है । इसके साथ साथ एक्स सोल्जर्स को भी भूमि देनी चाहिये, यह इसमें नहीं है इसलिए इसको रखना चाहिये । इसके अलावा, जो भी सार्वजनिक कार्य करने वाले लोग थे, यह नहीं कहता कि जो अभी काम कर रहे हैं वे सार्वजनिक कार्यकर्ता, बल्कि वे सार्वजनिक कार्यकर्ता जो देश के लिए बलिदान हो गये, जिनको सरकार द्वारा गोली से उड़ा दिया गया, जिनको फांसी की सजा दी

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

गई थी, ऐसे लोगों के परिवार वालों को भी जमीन दी जानी चाहिये और उसके लिए इसमें प्रावधान होना चाहिये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें यह बात भी कही गई है कि जो एग्रीकल्चर लैंड हैं उसमें मकान बनाने की व्यवस्था भी होगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को जानकारी देना चाहता हूं और आपको भी जानकारी देना चाहता हूँ कि पंचायत एक्ट में एक ऐसा प्रोविजन है, उस पंचायत एक्ट में यह लिखा गया है कि एग्रीकल्चरल लैंड जिसमें कल्टीवेशन नहीं हो सकता है और तीन साल से बेकार पड़ी है तो पंचायत के रिकमन्डेशन पर पंचायत को दे देनी चाहिये। यह पंचायत एक्ट में है। मैं आपके द्वारा सरकार से अर्ज करना चाहता हूँ कि एक नहीं सैंकड़ों एप्लीकेशन्स ऐसी जमीनों पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और उसके डेवलपमेंट के लिए तहसीलदार साहब को दे रखी हैं लेकिन यह सरकार उन पर कोई कार्यवाही नहीं करती है। आज भी इस एक्ट में जो भी अधिकार दिये जा रहे हैं वे तहसीलदार, कलेक्टर और सरकारी ओफिसर्स को ही दिये जा रहे हैं जब कि मैं यह कहने के लिए तैयार हूं कि जितने भी विकास के काम हैं, चाहे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो, चाहे डेवलपमेंट के काम हों, ओफिसर्स के हाथ में न पहले कभी कामयाब हुए हैं और न होंगे। क्योंकि उनको ओफिस के कामों से ही फुर्सत नहीं होती है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो खेत पर जाकर देखने से होता है। इसीलिए प्लानिंग कमीशन ने भी नोन ओफिशियल्स के हाथों में यह काम सौंपा है। फिर क्या कारण है कि नोन ओफिशियल को न देकर ऑफिशियल को दिया जाता है? आज यदि जमीन को अन्दर हल्के आबादी लेना है तो एप्लीकेशन तहसीलदार साहब के पास जाती है। किन्तु एग्रीकल्चर लैंड देने के लिए कितनी दिक्कतें होती हैं और कितना समय लगता है यह भी सरकार के सामने है। यह प्रोविजन रखा है तहसीलदार को बिना पूछे, बिना तहसीलदार की आज्ञा के ये चीजें कन्वर्ट नहीं की जा सकती हैं यह बिल्कुल गलत है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की सारी जिम्मेदारी एक पंचायत राज्य पर है और खास तौर पर इस राज्य में पंचायत और पंचायत समिति और जिला परिषद् को अधिकार है, योजना बनाने का अधिकार है, फिर क्या कारण है कि यह संशोधन रखा जाय और उन संस्थाओं से इसको लेकर राज्य के हाथों में सौंपा जाय? यह नहीं होना चाहिये।

इसके अलावा, अनुसूचित जाति और जन जाति का सवाल है और छोटे २ टुकड़े हैं उनको नहीं बेचने का सवाल है। मैं समझता हूं सरकार को इस ओर ध्यान से सोचना चाहिये। एक किसान जिसकी सारी जिन्दगी खेती पर निर्भर रहती है वह अपनी जमीन को क्यों बेचता है? एक आदमी जिससे अपनी रोजी कमाता है वह उसको क्यों बेचता है? इसके लिए सरकार को सबसे पहले विचार करना चाहिये। एक कमेटी सरकार को बनानी चाहिये कि कितने ऐसे काश्तकार परिवार हैं जिनके पास अनइकोनोमिक होल्डिंग हैं, जिनकी आमदनी इतनी कम है उस जमीन से कि वह उससे अपना पेट नहीं भर सकता है। एक लिस्ट इस प्रकार

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

की बनानी चाहिये और उसको देख कर जिनके पास इतनी अनइकोनोमिक होल्डिंग है उनको पहले उतनी जमीन प्रोवाइड करना चाहिये जिससे वह पेट भर सके और उपज कर सके। इसमें यह लिखा है कि छोटी जमीन है वह नहीं बेची जा सकती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज कई लोगों के पास जमीन कम है। मान लीजिये कि चार भाई हैं और उनका एक खेत है। चारों की हालत खराब है। चार में से एक भाई के लड़के की शादी है और वह भाई यह चाहता है कि अपने हिस्से की जमीन बेंच दे तीनों की आर्थिक हालत खराब है वह उस भाई के हिस्से की जमीन नहीं ले सकते। यदि वह दूसरों को बेचता है तो आप रोक लगाते हैं और कहते हैं कि छोटे २ जमीन के टुकड़े नहीं बेंच सकते। आपने उनकी आर्थिक हालत ठीक हो उसके लिए कुछ नहीं किया। वह क्या करेगा अपनी आर्थिक हालत को ठीक करने के लिए ! इसलिए आपने इस कानून के अन्दर जो यह बात रख दी है उसके अन्दर आपको बहुत विचार करने की जरूरत है कि इस तरह का कानून बनाने से पहले सरकार की ओर से काश्तकारों के लिए जो सुविधाएं दी जानी चाहियें उनको पूरा नहीं कर रहे हैं तो जो कहा गया है उसको ध्यान में रखना चाहिये।

एक बात इसमें कही है शहरों के पास जमीन है, गांवों के पास जमीन पड़ी हुई है उन पर मकान बनाने की सुविधा के बारे में। १५० गज से ज्यादा नहीं होनी चाहिये।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, इस राज्य सरकार पर चार्ज लगाना चाहता हूँ और वह बिल्कुल सही है कि वह अपने कानून में जरूरत के मुवाफिक परिवर्तन कर लेती है। उदयपुर में मुख्य मंत्री ने एग्रीकल्चर लेन्ड ली है और उसमें मकान बनाने शुरू कर दिये। इसी तरह से यहां जयपुर और जोधपुर में भी इसी तरह से हुआ है जहां भी मिनिस्टरों ने या बड़े बड़े अधिकारियों ने इस प्रकार लेन्ड ली है वहां बंगले बनाने शुरू कर दिये और कनवर्सन किये ही। इस तरह से जब वे बंगले बनाने लगे तो कानून में भी उसी प्रकार के अमेंडमेंट्स लाने शुरू कर दिये। इस प्रकार की जो सरकार की प्रवृति रही है वह बन्द होनी चाहिये।

इसमें धारा २५३ जो दी गई है उसके लिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से कहना चाहता हूँ कि अच्छा हो यह जब क्लॉज़ वाइज़ डिस्कशन हो उस समय आप इसको विथड्रॉ कर लें। इसकी वजह से बहुत बड़ा कुटाराघात न केवल किसानों पर ही हुआ बल्कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन स्कीम पर भी हुआ है। कलेक्टर को क्या अधिकार हो? किस प्रकार का एग्रीकल्चर प्रोग्राम बनाना है यह सब कलेक्टर पर छोड़ दिया गया है। मेरा इसके लिये निवेदन है कि पंचायत को, पंचायत समिति को यह अधिकार होना चाहिये कि वह किस प्रकार की प्रोडक्शन चाहे जिस प्रकार की जरूरत हो उस गांव के लिये वह सजेस्ट करे न कि कलेक्टर। इसमें सरकार और कलेक्टर को पड़ने की जरूरत नहीं है। जहां कहीं भी सरकार द्वारा इस प्रकार के प्रोग्राम बनाये गये हैं जैसे आसीन्द, पाली आदि में वहां पूरी तरह से सरकार फेल हुई है और उससे

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

उल्टा किसानों को नुकसान हुआ है। सरकार के हाथ में जो इस प्रकार के अधिकार दिये जाते हैं वह इस काबिल नहीं कि ये अधिकार उनको दिये जायं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का प्रोग्राम खुद किसान बनायें, पंचायतें बनायें, पंचायत समिति बनाये, यह अधिकार इनको होने चाहिये। इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूँ इन सब बातों पर विचार करने के लिये इस बिल को फिर से सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय ताकि वह विचार करके इस बिल को सदन में प्रस्तुत करे।

श्री दलपत सिंह (आबू) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जो हमारे सामने राजस्थान टीनेन्सी बिल प्रस्तुत हुआ है....

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में बोले अब माननीय सदस्य केवल पांच पांच मिनिट ही बोलेंगे। इसकी १२॥ बजे अन्तिम लिमिट है।

श्री दलपतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान टीनेन्सी बिल सन् ५५ से लेकर अब तक १४ दफा अमेन्ड हुआ है राजस्थान के काश्तकारों के हित को ध्यान में रखते हुए। उपाध्यक्ष महोदय, जो भी इस प्रकार टीनेन्सी में अमेन्डमेन्ट बिल लाते हैं उसका इन-डायरेक्टली असर काश्तकारों पर पड़ता है। इसमें शक नहीं कि जितने भी इस प्रकार के बिल लाये जाते हैं वे काश्तकारों के अच्छे के लिये लाते हैं। हम चाहते हैं कि इस प्रकार के संशोधनों के द्वारा काश्तकारों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो। मैं इसमें बताये हुए तीन चार मुद्दों की ओर जाना नहीं चाहता केवल एक ही मुद्दे पर मैं निवेदन करूंगा। इसके अन्दर २५३ ए. के अन्दर प्रोडक्शन प्रोग्राम के बारे में लिखा है....

"(1) (a) With a view to bring agricultural economy to a higher level, or to get the production of any specified crop or crops, or for any other purpose in the interest of the general public, the State Government may, by order notified in the Official Gazette, direct that in respect of any area specified in the notification a production programme shall be prepared by the Collector or such other officer..."

यह क्लॉज़ इस बिल के अन्दर मुझे सबसे बुरा क्लॉज़ मालूम हुआ है। इससे काश्तकारों के प्रोडक्शन के अन्दर बड़ा भारी हिन्डरेन्स होगा। देश के अन्दर जितने भी प्लान बने हैं सब प्लान प्रोडक्शन पर डिपेन्ड करते हैं। कलेक्टर या गजेटेड अधिकारी अगर इस प्रकार प्रोडक्शन के सिलसिले में बीच में आता है तो यह काश्तकारों द्वारा बनाए हुए प्रोडक्शन प्रोग्राम के बिल्कुल विपरीत पड़ता है। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा आप इस क्लॉज़ को इस बिल से निकाल दीजिये क्योंकि आप इसको हर तरह से देखेंगे यह काश्तकारों के हित में नहीं है। काश्तकार आज बेस्ट तरीके से अपनी लेन्ड तैयार करता है उसके अन्दर बेस्ट सीड युटिलाइज करने की कोशिश करता है केलेमीटीज नेचुरल केलेमीटीज़ जो भी कुछ होती हैं उसको भी फेस करता है वह इसलिये कि उसका प्रोडक्शन बेस्ट हो। अगर कलेक्टर उसके इस प्लान के बीच में आयगा तो यह हो सकता है वह कभी यह भी कह देगा इसमें

(श्री दलपतसिंह)

रजका बो दो। क्योंकि इस टाइम में रज़के की कमी है, इसलिये फूड ग्रेन की बजाय रज़का बो दिया जाय। तो इस तरह से वह उसके कथनानुसार अपनी जमीन में वह इस तरह से बोने लगेगा तो यह एक प्रकार से उस पर जबरदस्ती हुई, इससे काश्तकार की माली हालत ठीक नहीं होगी, उसकी रीड की हड्डी टूट जायगी। कलेक्टर केवल आई० ए० एस० हो जाने से ही एक्सपर्ट हो जाते हों, यह बात नहीं है। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं यहां इस प्रकार के कलेक्टर्स और आई० ए० एस० अधिकारी हैं जिनको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बारे में कतई ज्ञान नहीं है। आप अगर इस प्रोडक्शन प्रोग्राम के अन्दर भी कलेक्टर का हस्तक्षेप करवाकर इसको नेशनेलाइज़ करते हैं यह काश्तकारों के लिये तो अहितकर है ही स्टेट के प्रोडक्शन को भी हम घटायेंगे यह मेरी निश्चित धारणा है।

उपाध्यक्ष महोदय, तीन साल पहले सीड्स और सीडलिंग्ज बिल सदन में लाये थे, उसमें भी कई अमेन्डमेन्ट आये थे। किस क्षेत्र के अन्दर किस तहसील के अन्दर, किस-किस प्रकार का बीज बोना चाहिये इस बारे में ३१.१. डी नामक बीज को बहुत उपयुक्त समझा गया था। उस बिल में प्रोडक्शन पॉलिसी के तहत बहुत लिबरली सोचा गया था। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर कलेक्टर के ऊपर फुल डिस्क्रीशन करने के बाद भी इसमें यह लिखा है :

"(2) If the Collector is satisfied, after making such enquiry as he thinks necessary, that a tenant to whom such production programme applies under sub-section (1), has failed to carry out the programme aforesaid, he may, after giving the tenant a reasonable opportunity of being heard, have the programme carried out by any agency in such manner as he deems fit and recover from the tenant all such costs as may be incurred."

तो ऐसी परिस्थिति में, उपाध्यक्ष महोदय, वह इम्पॉर्टेन्ट क्लॉज़ है क्रॉप का सेटिसफेक्शन करना, रोटेशन ऑफ दी क्रॉप का ध्यान रखना, उनमें क्या डिजीज लग जाती है उन सबका निराकरण करना यह केवल काश्तकार ही कर सकता है न कि कोई अन्य अधिकारी। उपाध्यक्ष महोदय, जब गेहूं की फसल आजाती है उसके बाद जमीन को आने वाली बरसात के लिये किस प्रकार तैयार करना, कौन सा फर्टीलाइजर किस समय काम में लेना यह किसान स्वयं जानता है। रोटेशन ऑफ क्रॉप यदि वह नहीं करता है तो भी उसको हानि है क्योंकि एसेन्शियल क्रॉप ही बराबर वह बोता रहता है। जमीन की जो ऊपज शक्ति है वह उसको झेल नहीं सकेगी। ये सब बातें ऐसी हैं जिसमें काश्तकार स्वयं जानता है। उसको इसके लिये कलेक्टर द्वारा गाइड किया जाना कतई संभव नहीं होगा। जो हमारे काश्तकार इनडिवीज्युअल प्रोग्राम बनाते हैं उनको पता रहता है कि आखा तीज के बाद किस प्रकार जमीन प्रीपेअर करनी चाहिये। रोटेशन क्रॉप बाजरा, गवार, तिल बोना है उसके लिये उसके पास प्रोग्राम रहता है। अगर वह हमेशा एसेन्शियल क्रॉप ही पैदा करने लगेगा तो उसकी प्रोडक्शन कम होगी। इसलिये मेरा

Page No. 82

(श्री दलपतसिंह)

मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे इस क्लॉज़ को डिलीट कर दें ।

श्री केसरीसिंह (पाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा समय न लेता हुआ केवल क्लाज ६ पर अपने विचार व्यक्त करूंगा । बाकी के बारे में माननीय सदस्यों ने प्रकाश डाल दिया है अतः मैं उसको नहीं दोहराऊंगा । जहां तक प्रोडक्शन प्रोग्राम बनाने का सवाल है उसमें एतराज नहीं है वह यदि एग्रीकलचरल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिये हो तो वह ठीक है । एग्रीकलचरल इकॉनोमी को ऊंचा लाने के लिये कोई प्रोडक्शन प्रोग्राम बनाया जाय तो बेजा बात नहीं है । हो सकता है सरकार के पास टेक्निकल लोग हों, एक्सपर्ट्स हों वे ऐसी राय दे सकें, ऐसा प्रोग्राम सामने रख सकें जो वास्तव में हितकर हो सकता है । हालांकि मैं यह मानता हूं और ऐसा होता है जैसा कि माननीय मित्रों ने कहा कई जगहों पर ऐसा होगा । एक अच्छा प्रोग्राम चॉक आउट हो जाता है उसके बाद में उसको किस तरह इम्पलीमेन्ट किया जावे, उसके लिये यह जो प्रोसीजर रखा गया है उसमें मैं कतई सहमत नहीं हूं । उचित यह हो सकता है कि उस प्रोग्राम को बनाने में पंचायत समिति, जिला परिषद को भी उसमें इनवॉल्व किया जावे फिर उस प्रोग्राम को काश्तकारों तक एक्सटेन्शन सर्विस द्वारा परसुएड कराकर काश्तकारों को समझाया जावे कि इस प्रोग्राम के मुताबिक खेती करोगे तो आपका हित होगा । यह माना नहीं जा सकता कि काश्तकार अपने हित को नहीं चाहता ऐसी बात नहीं है । वह अपने हित की बात करना अवश्य चाहता है । अगर उसको कन्वीन्स कर दिया जावे कि इसमें फायदा है तो वह बेसिक प्रोग्राम को अपना लेगा । इनीशियेटिव उसमें पैदा करने की बात है उसके लिये उसको अमुक प्रकार का बीज सस्ते दर पर दिया जावे, खाद की उपलब्धि कराई जावे । इस प्रकार का इनीशियेटिव आप दे सकें, लैन्ड रेवेन्यू में उसको रियायत दी जा सके और जो प्रोडक्शन वह करता है उसके लिये रीज़नबेल कीमत फिक्स करके बता दें कि अगर इस रेट में कोई नहीं खरीदेगा तो गवर्नमेन्ट उसका इस रेट में खरीदने के लिये तैयार रहेगी । अगर उससे ज्यादा रेट मिलती है तो वह बेच देगा । एक ऐसी रीज़नेबल रेट, गवर्नमेन्ट की तरफ से काश्तकार को बता दी जावे कि तुम्हारे प्रोडक्शन को अगर कोई दूसरा नहीं भी खरीदेगा तो सरकार इस फिक्स्ड रेट पर खरीद लेगी, इतना एश्योरेन्स दे दें, लैंड रेवेन्यू में रियायत की घोषणा कर दें और उसके प्रोड्यूस को ठीक कीमत पर लेकर बेचने का आश्वासन दे दें तो कोई कारण नहीं कि किसान इसे एडॉप्ट न कर ले ।

पर अपने जो तरीके अपनाये हैं वे अच्छे नहीं हैं कि कलक्टर नोटिफाई करेगा, फिर ड्राफ्ट बनावेगा, फिर पब्लिश करेगा । आप क्या उम्मीद करते हैं कि हर किसान आपके ड्राफ्ट को पढ़ेगा, जो खामियां दिखाई देंगी, उन पर ऑब्जेक्शन देगा ? यहां सदन में जहां डिप्टी मिनिस्टर जैसे भी जवाब देते वक्त कानून-कायदों से अपनी नावाकफियत जाहिर करते हैं कि चराई की क्या रेट है, पता नहीं तो क्या आप यह आशा करते हैं कि एक किसान इन्टेलीजेन्ट ढंग से आपके

(श्री केसरीसिंह)

कानून कायदों को पढ़कर ऑब्जेक्शन भी पेश कर देगा ?

फिर बताया उन ऑब्जेक्शान्स पर डिस्कशन करके सरकार फाइनल प्लान बना देगी। फिर उसे पब्लिश कर देगी और कह देगी कि फलां जगह इसकी कापी इन्स्ट्रक्शन्स के लिये मौजूद है, उसके मुताबिक काम करिये। और अगर नहीं करता है कोई तो कलक्टर दूसरी किसी एजेन्सी के जरिये वह प्रोग्राम केरी आउट करावेगा।

अब किस तरह का आपका प्रोग्राम हो सकता है ? रबी में और खरीफ में आप कहेंगे कि अमुक प्रकार की क्रॉप बोइये। अब गेहूं बोये गये एक एरिया में और वहां किसी एक काश्तकार ने सरसों बो दी तो इसकी पहले तो आपको इत्तला कितने दिनों में मिलेगी, फिर अगर मिल भी गई तो आप क्या करेंगे ? वापिस गेहूं बुवा देंगे क्या ? अगर सरसों की जगह सरसों उखाड़ कर गेहूं बुवा दी तो क्या बुवाई की सीजन रुक जावेगी आपके लिये ? और सरसों उखाड़ कर गेहूं सीजन का विचार किये बिना बो भी दिया तो क्या इससे फायदा हो सकेगा ? तो यह मेरी तो समझ में नहीं आता।

इसी तरह खरीफ में है। आप कहेंगे तिल बो दो। अब तिल न बोकर अगर किसान ने अपना लाभ समझकर बाजरा बो दिया। बरसात हो गई और बुवाई का समय आ गया और उसने बाजरा बो दिया। अब आप किस तरह से दूसरी एजेन्सी के जरिये तिल बुआने का काम करावेंगे ? कैसे इनको केरी आउट करावेंगे ? मेरी तो समझ में यह नहीं आया।

सॉइल कन्ज़र्वेशन के ये ये मैथड एडॉप्ट किये जावें। अब मैं मान ही नहीं सकता कि यदि काश्तकार के पास साधन हों, पैसा हो तो न करे, वह ज़रूर करेगा। पर साधन नहीं हों और पैसा नहीं हो तो इसके लिये आपका सॉल्यूशन क्या है ? आपका सॉल्यूशन यह है दूसरी एजेन्सी से धोरा पाली लगवाकर उसकी कॉस्ट उससे रिकवर कर लेंगे। पर कॉस्ट देने की उसकी हैसियत होती, पैसा उसके पास होता तो वह खुद ही नहीं कर लेता ? मगर इस मसले पर आपने नहीं सोचा और प्रोवीजन रख दिया कि अगर वह नहीं करेगा तो दूसरी एजेन्सी से करवा लेंगे और कॉस्ट उससे रिकवर करेंगे। तो यह मेरी समझ में नहीं आता किस तरह से कैसे इम्प्रूवमेंट होगा ?

अलबत्ता इससे एक डर जरूर है। अन्ततोगत्वा आपका उद्देश्य कोऑपरेटिव फार्मिंग का दिखता है। यहां तक है कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को हायर लेवल पर लेने के लिये, टेस्पोटोपी क्रॉप को उगाने के लिये अथवा दूसरे जनरल परपज में पब्लिक के इन्ट्रेस्ट में कदम उठावेंगे, प्रोग्राम बनावेंगे। तो मुझे तो आपके इस कदम उठाने की बात के पीछे एक ही प्रोग्राम दिखता है कि कोऑपरेशन मैथड से कोऑपरेटिव फार्मिंग करेंगे। अब जो नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ आप कोअर्सिव मैथड इस्तेमाल करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो आप एग्जाम्पल देकर बतावें कि हम इस को इस तरह से इम्पलीमेन्ट करके बतावेंगे। एक नमूना तो बतावें।

आप आगे चलकर इन्हीं लाइनों पर कोअर्सिव मैथड इस्तेमाल कर सकते हैं। यह

Page No. 84

(श्री केसरीसिंह)

गलत है। इससे किसान के हितों पर कुठाराघात होगा।

तो मैंने संक्षेप में अर्ज की कि यदि वास्तव में प्रोडक्शन प्रोग्राम आप सही माने में चाहते हैं तो उसका तरीका यह नहीं है। बल्कि आप इसमें जिला परिषदों को पंचायत समितियों को और पंचायतों को इन्वॉल्व करिये। अपनी एक्सटेन्शन ब्लॉक एजेन्सी के जरिये से अपने प्रोग्राम के बारे में किसान को कनविन्स करिये और काश्तकारों को इन्सेन्टिव दीजिये, रियायतें और सहूलियतें दीजिये ताकि जो प्रोडक्शन बढ़ाने का आपका प्रोग्राम है उसमें अपनी इनीशियेटिव से अपनी इच्छा से प्रवृत्त हों। यह आसानी से हो सकता है क्योंकि हर किसान अपनी प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है। यह वाजिब भी है। पर इसके लिये आपका यह तरीका खतरनाक है और यह किसान के कतई हित में नहीं हैं।

इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री नाथूलाल करौल (चाकसू) : On a point of order, Sir. इस पर विचार अवश्य होना चाहिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान टीनेन्सी (अमेंडमेंट) बिल, १९६४ के सदन में प्रस्तुत होने के बाद विचारार्थ लिया गया है।

इसमें कई माननीय सदस्यों ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि इस संशोधन विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। जो अपनी रिपोर्ट कुछ समय में प्रस्तुत करें।

जहां तक इस विधेयक को प्रवर समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रश्न है, मैं इसका विरोध करता हूं और विरोध के पीछे कुछ आवश्यक मुद्दे भी हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में यह संशोधन विधेयक किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये लाया गया है। यदि उन उद्देश्यों की जानकारी और उस के पीछे का बेक ग्राउन्ड सब को मालूम हो जावे तो शायद वे विचार करेंगे कि इसको प्रवर समिति में भेजने की जरूरत नहीं है।

सबसे पहला मुद्दा, जो उठाया गया है वह राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तहत जो-जो लाभ एक टीनेन्ट को होना चाहिये और जो-जो लाभ इस टीनेन्सी एक्ट के आधार पर हमने मिलिट्री के पर्सनल को, एयर फोर्स के पर्सनल को, नेवी के पर्सनल को या आर्म्ड फोर्स आफ इण्डिया के पर्सनल्स को दिया है, वे ही बेनीफिट राजस्थान आर्म्ड कान्स्टेबुलरी को भी दिये जावें तो यह उचित रहेगा। सभी ने इस सुझाव का और इस तरमीम का स्वागत किया है। वास्तव में आज जो राजस्थान आर्म्ड कान्स्टेबुलरी राजस्थान में है और जो बोर्डर और अन्य स्थानों पर काम कर रही है वे भी घर से दूर हैं और सबक्लॉज के सम्बन्ध में अथवा धारा १८० और १८२ के प्रावधान के अन्तर्गत जो पर्सनल कल्टीवेशन के दायरे से लाभ होना चाहिये जो अभी तक उनको नहीं था उसकी पूर्ति हेतु यह क्लाज रखा गया है।

दूसरा क्लॉज़ जो बहुत महत्व पूर्ण है वह

Page No. 85

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

है सेक्शन ४२ का। सेक्शन ४२ में है :

"General restrictions on sale, gift and bequest."

यह सेक्शन ४२ पहले भी था। पहले के सेक्शन ४२ में एक तो यह था कि सीलिंग से अधिक एरिया किसी के पास यदि है और वह यदि उसको बेचना चाहता है तो जनरल या स्पेशल परमीशन स्टेट गवर्नमेन्ट की हो तभी वह बेच सकता है और शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का था कि वह अगर बेचना चाहें तो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के आदमियों को ही बेच सकता है अन्यथा नहीं और तीसरा भाखरा, राजस्थान केनाल और दूसरे प्रोजेक्ट्स में जो जमीनें हैं उनको वह नहीं बेच सकते। इस प्रकार का सेक्शन ४२ था। अब हमने जो ४२ नया क्लॉज़ प्रस्तुत किया है सदन के समक्ष उसके पीछे क्या उद्देश्य है ? इसमें हमने यह कहा है कि :

"The sale, gift or bequest by a Khatedar tenant of his interest in the whole or part of his holding shall be void, if—

(a) it is not of a survey number except when the area of the survey number so sold, gifted or bequested is in excess of the minimum area prescribed for the purpose of sub-section (1) of section 53, in which case also the area not transferred shall not be a fragment."

हम यह जानते हैं कि हमारे सेक्शन ५३ में फ्रेगमेन्ट्स बताये हैं कि किस एरिया को डिस्ट्रिक्ट में या तहसील में कितने एरिया को फ्रेगमेन्ट माना जाये वह इस आधार पर है कि जमीन का टुकड़ा उस मिनिमम एरिया को कम करने पर, उसके अधिक टुकड़े करने पर वह किसान के लिए लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकता इसलिए मिनिमम एरिया इतना है वह फ्रेगमेन्ट माना जायेगा। उस एरिया के नीचे अगर कोई जमीन है और उसको अगर कोई बेचना चाहता है....

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : कितने बीघा मिनिमम माना है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मिनिमम हर डिस्ट्रिक्ट और तहसील के लिए वहां की जमीन के अनुसार है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : सर्वे नम्बर का मिनिमम एरिया कितना है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पहले मैं बेकग्राउन्ड बताना चाहता हूँ फिर इस पर आऊंगा इस तरह से जो मिनिमम एरिया इसके अन्दर प्रेसक्राइब्ड है उस मिनिमम एरिया से अगर नीचे जमीन है और उसके और टुकड़े करके कोई व्यक्ति को जमीन को बेचना चाहते हैं तो उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाई है। लेकिन साथ ही साथ और भी बातें रखी हैं कि उसके नीचे फ्रेगमेन्ट होते हुए या मिनिमम एरिया से कम एरिया होते हुए भी अगर जमीन ऐसे आदमी को बेची जा रही है जिसका खेत पड़ोस में है और वह उस पड़ोस के खेत में मिल जाती है तो वह बेच सकता है। पूरा सर्वे नम्बर चाहे मिनिमम एरिया से नीचे हो लेकिन पूरे का पूरा खेत बेचना

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

चाहे तो बेच सकता है और मिनिमम एरिया से खेत ऊपर है लेकिन बेचा इस प्रकार जा रहा है कि बचा हुआ टुकड़ा फ्रेग्मेन्ट हो जाता है तो वह नहीं बेचा जा सकता। तो इन सब चीजों के पीछे क्या सिद्धान्त हैं? सिद्धान्त एक ही है। बारबार प्लानिंग कमीशन की ओर से और वैसे हमारे राष्ट्रीय उत्पादन की दृष्टि से भी और इकोनॉमीकली काश्तकार का प्रोडक्शन बढ़े, खर्चा कम हो और निगरानी वगैरह ढंग से हो सके इन सब बातों के लिए कन्सोलीडेशन के प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं।

हमारा टुकड़े कम करना प्लानिंग कमीशन की रिकमन्डेशन के आधार पर भी है और हमारी पॉलिसी के आधार पर भी हमारा उद्देश्य है। तो एक तरफ हम कन्सोलीडेशन की कार्यवाही करते हैं कि छोटे-छोटे टुकड़े मिलाकर एक कन्सोलीडेटेड प्लाट बन जाये जिससे उस पर ढंग से खेती की जा सके, कम खर्च हो, निगरानी अच्छी तरह से रख सकें और प्रोडक्शन बढ़ा सकें और दूसरे एप्लायेन्सेज़ हैं, इन्स्ट्रूमेन्ट्स हैं, बीज हैं वह सारे के सारे अच्छी तरह से लागू किये जा सकें। एक तरफ कन्सोलीडेशन की तरफ जा रहे हैं और दूसरी तरफ सारे प्रान्त में देखा जाता है कि फ्रेग्मेन्टेशन बहुत हो रहा है और फ्रेग्मेन्टेशन इस सीमा तक बढ़ गया है कि आज एक खेत के टुकड़े इस कदर छोटे हिस्सों में कर दिये जाते हैं कि उसके टुकड़े वर्ग गज में होने लग गये हैं। तो हम जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की दृष्टि से चाहते हैं कि बड़े प्लाट्स रहे। इसके बजाय वर्ग गजों में टुकड़े होने लगे हैं तो ऐसे फ्रेग्मेन्टेशन को रोकना राष्ट्र की हित की दृष्टि से और प्रान्त की हित की दृष्टि से और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की दृष्टि से उसी बात को ध्यान में रखते हुए यह फ्रेग्मेन्ट और टुकड़े जो मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड एरिया है उससे नीचे हों तो उसके टुकड़े उस वक्त तक नहीं किये जायेंगे जब तक कि पूरा सर्वे नम्बर न हो या वह ऐसे एरिया में नहीं मिल रहा हो जो कि पड़ोस में हो या फ्रेग्मेन्टेशन करने पर बचा हुआ हिस्सा ऐसा न हो कि जो खुद फ्रेग्मेन्टेशन में आता हो-ऐसी व्यवस्था की है। जब कि ऐसी व्यवस्था पहले थी कि सीलिंग से अधिक एरिया होने पर नहीं बेच सकते। उस सारे क्लॉज़ को हमने उड़ा दिया है। अब सीलिंग का सवाल इस क्लॉज़ में नहीं रहा क्योंकि सीलिंग का जो प्रावधान सेक्शन ३० (ई), (एफ), (जी), (एच) है उसमें विक्रय है कब है, किस तारीख का माना जाये किस तारीख का नहीं उसके प्रावधान के आगे रखा है कि यहां पर फ्रेग्मेन्ट्स को रोकने के लिए किया है।

दूसरा प्रावधान किया गया है वह शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का है। उसकी लेंग्वेज जो भी पहले थी वह आज भी कायम रखी है। आज एक दो माननीय सदस्यों ने यह बताया कि इस प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं समझता कि इसकी क्यों नहीं आवश्यकता है? आज वह वीकर सेक्शन होने की वजह से सारी जमीन उसके हाथ से निकलकर ऐसे आदमियों के हाथों में चली जाती है जो कि खुद स्ट्राँग सेक्शन है या बड़े-बड़े जागीरदार और जमींदार हैं। तो हम तो इस प्रकार की चीज को रोकने के लिए करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य है कि गरीब की जमीन अगर जाय तो गरीब के ही हाथ में जाय ....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : चाहे उसको कम कीमत मिले । शिड्यूल्ड कास्ट वाला ही लेगा तो कीमत कम ही मिलेगी ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस सम्बन्ध में जितनी दलील यह उठायी गयी कि शिड्यूल्ड कास्ट वालों को इससे नुकसान है या नहीं और शिड्यूल्ड कास्ट के किसी भी मेम्बर ने इसका एतराज नहीं किया। साथ ही साथ शिड्यूल्ड कास्ट के कमिश्नर जो कि गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया के हैं उन्होंने सारी चीजों का सर्वे करके इसके सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत की और रिपोर्ट ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट के ऊपर इनसिस्ट किया कि इस प्रकार का प्रावधान होना चाहिए । आज यह प्रावधान हाउस में नहीं आ रहा है । राजस्थान टेनेन्सी एक्ट के सेक्शन ४२ में और आगे ४३ आता है उस में ज्यों का त्यों प्रावधान विद्यमान है । पहले से है। इस क्लॉज में शाब्दिक गलती थी यानी क्लेरीफिकेशन नहीं था, इसलिए ग्रामेटीकल वे में करेक्शन किया है । नया क्लॉज नहीं रखा है और तीसरा क्लाज जो २४–३–६० को प्रावधान था वही का वही है। मेरे कहने का मतलब यह है कि नये सेक्शन ४२ में जो (बी), (सी) है यह तो वे ही हैं जो कि आज के हमारे राजस्थान टेनेन्सी एक्ट के अन्दर हैं । वे नये नहीं हैं। सिर्फ पहले वाला जो एक क्लाज है वह नया है । वह फ्रेग्मेन्टेशन को मिनिमम प्रेसक्राइब्ड लिमिट से छोटे टुकड़े होने से बचाने के लिए किया गया है.......

श्री विजयसिंह झाला : एक कन्फ्यूज़न इसमें यह हो रहा है कि सर्वे नम्बर के टुकड़े नहीं होने चाहिए । जहां २ नम्बर हैं और ६ बीघा जमीन है या ऊपर है उसमें भी सर्वे नम्बर बेचने पर वे टुकड़े हो जायें, तो सर्वे नम्बर के टुकड़े नहीं होने चाहिए या एरिया का........

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सर्वे नम्बर का टुकड़ा । आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लेते तो आपकी दिक्कत दूर हो जाती । यह भी कहा गया है कि क्लॉज़ (सी) के लगाने से शायद यह मतलब निकलता है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने जो एरिया के किसानों को खातेदार के अधिकार दे दिये वह हाईकोर्ट ने दिये और हम यह क्लॉज़ रखकर दिए हुए खातेदारी राइट्स को खत्म करना चाहते हैं। बास्तव में यह मन्शा नहीं है । राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेन्ट अपनी जगह पर हैं उनको पालना सरकार का कर्त्तव्य है और कानून जो एक्ट है उससे इसका कोई मतलब नहीं हैं । २४–३–६० को राजस्थान टेनेन्सी एक्ट में यह प्रावधान किया था कि सेल्स के ऊपर जो कोलोनाइज़ेशन एरिया के अन्दर आता है उसके ऊपर रोक लगाई जाये । वह प्रावधान ज्यों का त्यों रखा जाता है । खातेदारी राइट्स को वापिस लेने का या छीनने का मतलब नहीं है । वह तो केवल सेल पर रेस्ट्रिक्शन है जैसा कि पहले था । ...

दूसरे, माननीय उपाध्यक्षजी, इम्प्रूवमेंट्स के बारे में सेक्शन ६९ और ७० के अन्दर कुछ तरमीमात प्रस्तुत की गई हैं उनके सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये । तो हमारी इम्प्रूवमेंट की क्या डेफिनिशन है वह राजस्थान टेनेन्सी एक्ट में दे दी । उस इम्प्रूवमेंट की डेफिनिशन के अलावा

(श्री रामप्रसाद लडढा)

तामीर को बनाने के लिए किसान को क्या अधिकार हैं वह सेक्शन ६६ ये दिये हुए हैं। सेक्शन ६६ में यह दिया हुआ है कि १।५० ऑफ दी होल्डिंग जो है उसके ऊपर वह अपने इम्प्रूवमेंट कर सकता है जिसमें dwelling house, cattle—shed etc., which have been mentioned therein. वह कर सकता है। उसके मैं दो हिस्से करता हूँ, एक तो म्युनिसिपल एरियाज और अरबन इम्प्रूवमेंट एरियाज का और एक वह हिस्सा जो वह पंचायतों का है मतलब रूरल एरियाजा। रूरल एरियाज़ के अन्दर वह बिला इजाजत के कर सकता था और म्युनिसिपल एरियाज़ के अन्दर जो अभी प्रावधान था उसके अन्दर उसको तहसीलदार को दरख्वास्त देनी पड़ती थी और उसके बाद तहसीलदार की इजाजत कराकर करना पड़ता था। एक बात तो यह है। हमने उस चीज को इसमें नहीं रखा है; मतलब जो उसमें लिखा था कि within the radius of ten miles from Jaipur City or within the radius of five miles from फलां city or within the radius of two miles from फलां city. यह इसमें स्पेसिफिक प्रावधान था। हमने इसके अन्दर यह प्रावधान चाहा है कि हम डेफिनिशन में स्पेसिफिक कर दें कि उन जगहों पर तहसीलदार की इजाजत लेना आवश्यक होगा वर्ना जो आम तौर पर सेक्शन ६६ में किसान को बिला इजाजत के इम्प्रूवमेंट करने का अधिकार है वह बकरार कायम रहेगा। यह करने का क्या इसका मतलब है? यह करने का यही मतलब है कि आज जयपुर को लेलें तो जो १० मील का रेडियस का वह प्रावधान है तो उसके ग्यारहवें मील पर कुछ भी करो वह प्रावधान लागू नहीं होता है और बिला इजाजत वह कर सकता है। वह प्रावधान लागू होता है। जैसे मान लें सवाई माधोपुर फैक्ट्री का एरिया ले लें। वह किसी म्युनिसिपल एरिया में भी नहीं है और किसी ग्राम पंचायत में भी नहीं है। अब बहुत सारे कस्बों को लेलें जिनके लिए २–२, ३–३ मील का लिखा हुआ है तो एक्सपान्शन इतना ज्यादा होता जा रहा है कि वह इस सीमा से आगे चले गये। अब हम हर गांव के लिए या हर केटेगरी के लिए बार–बार टेनेन्सी एक्ट में एमेंडमेंट लायें कि अब इसका १० मील के बजाय १५ मील कर दिया जाय, अब इसका ५ मील के बजाय ७ मील कर दिया जाय, अब इसका २ मील के बजाय ५ मील कर दिया जाय, यह नहीं करके हमने गवर्नमेंट को यह अधिकार दे दिया कि वह अपने नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई करें कि उन टाउन्स में इतने एरिया का प्रावधान लागू होगा और उसमें तहसीलदार की इजातत लेनी पड़ेगी और इस नोटिफिकेशन को विशेष परिस्थिति में जहां–जहां आवश्यकता पड़ती रहेगी, उसकी शरण लेकर नोटिफिकेशन इश्यू कर सकेगा, वर्ना हर चीज के लिए एक्ट में एमेंडमेंट लाना पड़ेगा। यह दिक्कत सरकार को रहती थी इसलिए इस एमेन्डमेन्ट के जरिये....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसमें पहले से दर्ज है कि तहसीलदार की पर्मीशन होगी लेकिन एक्सटेन्डेड एरिया में लेने की बात है।

श्री रामप्रसाद लडढा : मैं आ रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा कि यह जो नोटि-

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

फिकेशन इश्यू होगा जिसमें जो एरियाज़ स्पेसिफाइड होंगे केवल उनके लिए तहसीलदार की परमिशन लेने की जरूरत है बाकी के लिए नहीं।

श्री दलपतसिंह (ग्राबू) : We hope you will not go in the interior of Rajasthan.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : No.

श्री दलपतसिंह : Thank you.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह मामला बहुत महत्व का है कि तहसीलदार को पावर्स कैसे हैं। जो लैण्ड रेवेन्यू की लैण्ड है वह गवर्नमेंट की बिलोंग करती है और सेक्शन ६६ के तहत देट स्टिल रिमेन्स एग्रीकल्चरल लैण्ड एण्ड पार्ट ऑफ होल्डिंग्स। कोई कन्वर्शन का मामला नहीं है। वह एग्रीकल्चरल लैण्ड में किस सीमा तक मकान बना सकने का मामला है। हमने देखा है कि कई जगह लाखों रुपये के बंगले खेत की जमीन पर बन गये। कई जगह हमने देखा कि सीमा जो हमने निर्धारित की है उससे अधिक भूमि पर बन गये। कई जगह हमने देखा है कि खेत के टुकड़े टुकड़े कर दिये हजार-हजार और ५००-५०० फीट के। जयपुर तहसील के फीगर्स हमने मालूम किये तो हजारों आदमियों ने खेती की जमीन बेच दी है और टुकड़ों टुकड़ों में बेच दी है। वह ४ रुपये गज और ५ रुपये गज पर बेच दी है और बेचकर हर आदमी चाहता है कि उसके ऊपर मकान खड़ा कर ले और हर आदमी यही चाहता है कि कॉस्टली कन्स्ट्रक्शन खड़े कर दे। तो सरकार यह चाहती है कि इस प्रकार जो प्लान्ड डेवलपमेंट में बाधा पहुंचाते हैं और इस प्रकार से नियमों का उल्लंघन करते हैं या अभी इस प्रकार का नियम नहीं होने की वजह से लोग-बाग नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं उस पर रोक लगाई जाय, और उस पर रोक लगाने की दृष्टि से हमने सेक्शन ६६ को तरमीम किया है और तरमीम करके १।५० जो था उसको बकरार कायम रखा है। कोई यह न समझे कि १।५० में छूट कर दी है, बल्कि हमने और मिनिमम प्रेस्क्राइब कर दिया है १।५० तो है ही, लेकिन १।५० इतना हो कि १५० वर्ग गज से नीचे जाता हो तो वहां झोंपड़ी बना सकता है। तो हमने मिनिमम-भी प्रेस्क्राइब कर दिया है।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : ३५० फीट में मकान बनाने की छूट हो जायगी चाहे वह टुकड़ा १०० फुट का हो तो शहर के आसपास लोगों को छूट दे रहे हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : १५० वर्ग गज में तमाम इम्प्रूवमेंट आगये हैं। उसमें मकान बनाने का सवाल नहीं है। जो ६५ के नीचे जो इम्प्रूवमेंट की डेफिनिशन आती है वह है। दूसरी बात यह है कि अभी तक यह था कि १।५० के नीचे मान लें कि ५० बीघा जमीन है तो उसका १।५० एक बीघा होगया और किसी के पास १०० बीघा है तो उसका १।५० दो बीघा हो गया। तो क्या दो बीघे में मकान बनाने की इजाजत दी जायगी ?

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : नियम में लिखा है कि सरकार के द्वारा कराकर ले ले। उसको ३५० फीट का दे रहे हैं तो लोगों के

Page No. 90

(श्री गोकुलप्रसाद शर्मा)

लिए नाजायज फायदा उठाने के लिए किया गया है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप समझने का प्रयत्न करेंगे ।

तो मैंने यह निवेदन किया कि अगर १।५० में बनाने का अधिकार है, लेकिन एक आदमी के पास बहुत जमीन है तो १।५० बहुत हो जाती है । इसलिए मिनिमम किया है कि जिससे वह १।५० में हाउस नहीं बना सकता है । उसके लिए वह लगा दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब करेगी इस चीज को । अभी एक एकड़ है, अभी के जो रूल्स हैं उनमें एक एकड़ लिखा हुआ है हम उसको कम करना चाहते हैं । इसी वजह से यह प्रावधान रखा गया है । इस प्रकार से जो छोटे छोटे टुकड़ों में एग्रीकल्चरल लैण्ड को आबादी के तौर पर बेचकर उस पर अनधिकृत तरीके से लाखों रुपये की लागत लगाकर मकान बनाने के प्लान बनाते हैं उसको दूर करने के लिए यह सारा प्रावधान इसके अन्दर लगाया है । इसी प्रावधान का ७० एक तरह से कॉन्सीक्वेन्शल है । पर इस तरह से जो परिस्थिति ७० में पैदा होती है वह ७० में भी इस तरह का प्रावधान रखा है····

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : इजेक्टमेंट के बारे में क्या कहते हैं ? इजेक्टमेंट की क्या बात है ? क्या इजेक्टमेंट करायेंगे तो इजेक्टमेंट हो जायगा तो उसको कम्पेन्सेशन नहीं देंगे ? अगर वह पर्मिशन लेकर बनाता है तो एजेक्टमेंट का क्या सवाल आता है ? वह खुद काश्त करता है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इजेक्टमेंट का क्या सवाल है तो इसका सवाल यह है कि टेनेन्सी एक्ट के तहत या कोई किसी कानून के तहत कोई भी इजेक्टमेंट की पासिबिलिटी यदि सामने आये तो उस वक्त में कम्पेन्सेशन वगैरह किन सूरतों में हो सकता है वह बाद में बताया गया है कि कम्पेन्सेशन किस सीमा तक क्लेम कर सकते हैं या नहीं । कब कर सकते हैं ? जब कि परमिशन ली हो तो कर सकते हैं ।

श्री अब्दुल जब्बार : कन्फ्यूजन होता है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कोई कन्फ्यूजन नहीं है । यह प्रावधान अब भी मौजूद है, लेकिन ऊपर बोडी को चेन्ज किया है इसलिए उसको यहां पर लिखा गया है । बाकी कम्पेन्सेशन की बात नहीं थी ।

श्री अब्दुल जब्बार : कम्पेन्सेशन कौन देगा ? यह आप बता दें कि कम्पेन्सेशन कौन देगा और कौन करेगा ? इससे प्रोब्लेम सोल्व हो जाता है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कम्पेन्सेशन का सवाल कहां है ?

श्री अब्दुल जब्बार : ७० के अन्दर है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ७० के अन्दर है :

"Subject to the restrictions imposed by the first and second provisos to sub-section (1) of section 66, a gair khatedar tenant, or a tenant of

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

khudkasht or a sub-tenant may make any improvement, but he shall not be entitled to any compensation on ejectment unless for maknig such improvement he has obtained the previous orders of the Tehsildar or the written permission..."

अगर गैर खातेदार अपनी जमीन में कोई इम्प्रूवमेंट करता है, तो गैर खातेदार चूंकि खातेदार नहीं है इसलिए तहसीलदार की पर्मीशन से इम्प्रूमेंट करना चाहिए। अगर कर देता है और फिर इजेक्टमेंट का सवाल आता है तो उसको इम्प्रूवमेंट की कॉस्ट नहीं मिलेगी। मेरी जमीन है, खुदकाश्त जमीन है, मैं टेनेंट हूँ, मेरी जमीन पर जो सब टेनेन्ट है वह मेरे बिना पूछे जमीन में इम्प्रूवमेंट कर देता है। उसकी टर्म खत्म हो जाने के बाद वह जमीन से हटता है तो वह कहता है कि कम्पेन्सेशन लाओ उसका जो सुधार मैंने किया है—तो उसको नहीं मिलेगा। इसलिए मालिक को अधिकार होना चाहिए कि उसकी स्वीकृति से इम्प्रूवमेंट कॉस्ट लगाये ताकि जब उसे बेदखल किया जाय तो कॉस्ट दे दी जाय। इसलिए उसके अधिकारों की रक्षा करने के लिए, जो कि वह जमीन पर इम्प्रूवमेंट करे और जब इजेक्टमेंट हो—इजेक्टमेंट से मतलब यह है कि टेनेन्सी खत्म होने पर जमीन छोड़नी पड़े—तो उसको वह कास्ट मिलनी चाहिए, जिसका उसने इम्प्रूवमेंट किया है, इस प्रकार किया हुआ खर्च का वह क्लेम कर सके, उसे ले सके—इसलिए यह प्रावधान रखा है, यह उनके बेनिफिट का है....

श्री अब्दुलजब्बार : सवाल आता है कि खातेदारी राइट दे देते हैं....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह खातेदारी राइट के लिए नहीं है।

श्री अब्दुलजब्बार : और टेनेन्ट कल्टीवेट करता है और कल्टीवेट करने के बाद खातेदारी राइट एक्वायर कर लेने चाहिए वह करता नहीं है....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अभी बहुत सारी जमीन ऐसी होती है जिसमें गैर-खातेदार काश्तकार ट्रीट किये जाते हैं, जो जमीन अलॉट की है, दस साल के लिए. गैर खातेदार उसके बाद में खातेदार बन जाता है। उसके बाद इम्प्रूवमेंट की कॉस्ट लेने का प्रश्न नहीं होता; as long as he is in that capacity. If there arises any question about payment of compensation or ejectment, then that can be solved according to this provision.

श्री अब्दुलजब्बार : गरीब किसान अगर दाखिल खारिज़ नहीं करता है....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दाखिल खारिज़ का मामला इसमें नहीं है।

श्री अब्दुलजब्बार : इसका सेंस है कि उस किसान का इजेक्टमेंट होगा जिसके फेवर में दाखिल खारिज़ नहीं हुआ है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसा है, मेरी जमीन है। मैं पांच साल के लिए सब टीनेन्ट को दे सकता हूं। मैंने दी है। इस बीच में वह दस हजार रुपये लगा देता है....

श्री अब्दुलजब्बार : यहां तक एग्री करता है।

Page No. 92

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं अब वापिस जमीन लेना चाहता हूं तो वह कहेगा कि दस हजार इम्प्रूवमेंट पर लगाये हैं वह लाओ। इसलिए प्रावधान रखा है कि वह जो दस हजार इम्प्रूवमेंट पर खर्च करता है, तो चूंकि जमीन मेरी है इसलिए मुझ से पूछ कर करें। अगर पूछ कर करेगा और जमीन का विकास करेगा, तो उससे जब वेकेन्ट करायेंगे तो दस हजार रुपया देंगे। और अगर बिना पूछे करेगा तो improvement will be at your cost.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): मेरा एक बहुत छोटा सा प्रश्न है, आपने राजस्थान कोलोनाइजेशन एरिया के अन्दर सन् १९६० के बाद इस एक्ट के मुताबिक सेल को रोका है। क्या आपके पास इस तरह के आंकड़े भी हैं कि राजस्थान कोलोनाइ-जेशन एरिया के अन्दर बड़े बड़े जागीरदार और बड़े बड़े लोगों के पास कितनी ज्यादा भूमि है और कितनी भूमि सैल आउट हो चुकी है। क्या आप महसूस नहीं करते हैं कि काफी लोगों ने बेची है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कुछ लोगों ने इस प्रावधान से पहले बेच दी और कुछ लोगों ने बाद में बेची—इसके लिए नियम हैं और उन नियमों के अनुसार, जब स्थिति आयेगी सीलिंग वाली, उस वक्त में जो कार्य-वाही नियमानुसार होनी चाहिए वह हो जायेगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : देर आयद, दुरुस्त आयद। जमीन....

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना): देर नहीं, पहले भी एक क्लॉज़ था....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : लास्ट का जवाब और दे दूं। पांच वें क्लॉज के लिए कहा कि यह एक कान्सीक्यूएन्सल है और माननीय सदस्यों ने पॉइन्ट रखे थे उनको एक्स्प्लेन कर दिया, मेन क्लॉज़ है उसमें २५३ ए. ....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : One point of information.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : किसकी बात करते हैं। मैं कह रहा हूँ, मुझे नहीं कहने देंगे।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा): उसके पार्ट का सवाल है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं कहना चाहता हूँ, इस क्लॉज़ के सम्बन्ध में यहां पर कई माननीय सदस्यों ने इसका विरोध किया। मैं इसके बैकग्राउन्ड की बात निवेदन करना चाहता हूँ। यह क्लॉज़ इसलिए रखा था कि प्लानिंग कमीशन ने सरकार से इस सम्बन्ध में कहा था प्रोडक्शन प्रोग्राम ठीक चलाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए प्रशासन सही तरीके से हो। उस तरीके को सारे राज्य में काम में ला रहे हैं। लेकिन प्रशासन के साथ साथ कुछ लीगल सेंक्शन जब तक नहीं होगी तब तक कार्यक्रम सफलतापूर्व नहीं चल सकता। राज-स्थान में अकाल की परिस्थितियां पैदा हुईं, राजस्थान में शक्कर की कमी, गुड़ की कमी के मामले सामने आये–वह मामला राजस्थान का भी और सारे देश का भी है–इसलिए सवाल यह आया कि ऐसी परिस्थिति को मीट करने के लिए हमारे प्रोडक्शन के कार्यक्रम को किस तरह से संचालित किया जाय जिससे

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

परिस्थितियां आने पर उनका मुकाबला कर सकें। मिसाल के तौर पर राजस्थान केनाल. भाखरा और गंग केनाल एरिया ऐसे एरिया हैं जहां पानी होता है वहां पर लैंड का कुछ पर्सेन्टेज ऐसा हो जिसमें चरी बोई जाय, वहां ऐसा मौका कोई आ जाय, या चम्बल का एरिया है. वहां पानी है वहां पानी का लेवल बहुत ऊंचा हो जाय जिससे अच्छी तरह और फसल पैदा नहीं हो सके और केवल चांवल हो सके और धान हो सके तो सारी बातों को पूरी तरहसमझ कर जो पैटर्न चला आ रहा है, उसको करने की बात आती है।

(शोरगुल–व्यवधान)

मुझे बोल लेने दीजिये। यह क्रॉप पैटर्न का सवाल नहीं है। इस क्लाज को पूरा पढ़ने से मालूम होगा कि सॉइल कन्जर्वेशन की बात है, क्रॉप पैटर्न की बात है, स्पेसिफाइड क्रॉप्स की बात भी है। तो एक प्रोग्राम के मुताबिक चलने के मसले को इस प्रस्ताव में रखा गया था, इन सारी चीजों को दृष्टिकोण में रखते हुए रखा गया था। लेकिन यह प्रश्न अच्छा होते हुए भी, प्रोवीजन अच्छा होते हुए भी यह जो दलील दी गई कि राजस्थान में रेवेन्यू लॉज कमीशन कायम किया गया है, इसके पास यह मामला विचाराधीन है उसने रिपोर्ट भी दी है और ड्राफ्ट बिल भी दे दिया है। इसके अन्दर उसे इन्कोरपोरेट कर दिया, इस मामले को क्यों नहीं उस स्टेज पर डिस्कस किया जाय, जब रेवेन्यू लाज कमेटी की रिपोर्ट और जो ड्राफ्ट बिल पेश किया गया है, उस पर गवर्नमेंट डिसीजन लेकर सदन के समक्ष प्रस्तुत करे। उस वक्त सारी बातों के बेक ग्राउन्ड में इसे डिस्कस किया जाय। यह दलील सारे प्रावधानों के लिए हो सकती है लेकिन अन्य प्रावधानों के सम्बन्ध में जैसा निवेदन किया, वह अधिक महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ तात्कालिक दृष्टिकोण से, इसमें लिये जाने आवश्यक हैं। इसलिए उनके बारे में तो मैंने निवेदन किया, लेकिन इसके लिए मुझे कोई एतराज नहीं है कि जो राजस्थान रेवेन्यू लाज कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर बिल सदन में गवर्नमेंट में निर्णय हो जाने के बाद पेश होउस वक्त इस पर खूब चर्चा की जाय और उस समय ही निर्णय लिया जाय। इसमें मुझे आपत्ति नहीं है। इस स्टेज पर मैं प्रेस नहीं करता कि यह क्लाज पारित किया जाय; इसलिए इसे स्थगित कर दिया जाय तो आपत्ति नहीं है।

क्योंकि इसमें काफी क्लॉजेज़ हैं और काफी समय हो गया है इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

(विधेयक विचारार्थ लिया गया)

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : दूसरा एक मोशन था वह ले लेना चाहिए था।

श्री उपाध्यक्ष : Sorry प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रवर समिति में भेजने के लिए प्रस्तुत हुए हैं उन्हें पारित किया जाय।

(हां और ना की आवाजें)

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : प्रश्न हो गया।

एक माननीय सदस्य : विचारार्थ लिया जाय।

श्री नाथूराम मिर्धा : बिल्कुल ठीक है, इसमें क्या गजब की बात है ? दुबारा ले लें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रवर समिति में भेजने के लिए प्रस्तुत है वे स्वीकार किये जायं।

(अस्वीकृत)

(संशोधन अस्वीकृत हुए)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

(विधेयक विचारार्थ लिया गया)

(विराम)

Now Clause by clause discussion Clause 2.

[इस खंड पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए]

खंड २

श्री गंगासिंह राठौड़ (जायल) : "In the proposed clause (26 B) to section 5 after the wards "Rajasthan Armed constabulary", add the words "and the Rajasthan Police force."

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : "Between the words 'forces of the Uuion' and 'shall include' occurring in clause (26B) of section 5 of the Principal Act, the following new words be inserted.

"Ex members of the military, naval or air services if they are affected by any bodily injury while in service and after their Death on duty. These concessions shall accrue to their successors and police force which is in affected decoits area."

श्री नाथूराम मिर्धा : आप सब पास करवायें। अमेंडमेंड हैं नहीं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जिस क्लॉज़ पर ज्यादा बहस हुई उसके बारे में निवेदन कर दिया। बाकी सब पास कर दिये जायं।

श्री विजयसिंह झाला : अमेंडमेंट तो मूव कर दें।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : उसे विथ्ड्रॉ करवा दीजिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : कह दिया, डिलीट कर दीजिये। उसका मतलब क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज़ ६ को विथ्ड्रॉ करने का रेवेन्यू मिनिस्टर ने आश्वासन दिया है। और हैं, उनको पास करना चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : पहले छः विथ्ड्रॉ करवा दीजिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कर लिया।

श्री उपाध्यक्ष : क्लॉज़ २।

(१.०० म० प०)

Page No. 95

(श्री उपाध्यक्ष)

(विराम)

प्रश्न यह है जो कि संशोधन श्री गंगासिंह और श्री विजयसिंह झाला ने रखे हैं वे स्वीकार किये जावें।

'ना' पक्ष जीता।

श्री विजयसिंह झाला : 'हां' पक्ष जीता।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : 'Noes' have it, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : मैं पुनः इस प्रश्न को वोट पर रखता हूँ।

प्रश्न यह है कि श्री गंगासिंह और श्री विजयसिंह झाला ने जो संशोधन रखे हैं वे स्वीकार किये जावें।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गये।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ३

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ३ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ३ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ४

[इस खण्ड पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए:

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम): In the proposed section 66 to the principal Act the following proviso be substituted for the second proviso to sub-section (1) thereof:—

"Provided also that incomputing the area under the first proviso to sub-section (1) of the area covered by pucca drains shall not be treated as area covered by the improvement."

श्री गंगासिंह राठौड़ (जायल) : (a) In the first proviso, the proposed section 66 sub-section (1), the words 'but in no case such area shall be less than one hundred and fifty square yards' be deleted.

(b) The second proviso to sub-section (1) be deleted.

(c) Sub-section (3) be deleted.

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : Add the following proviso as seccond proviso and the existing proviso be treated as third proviso to the pro-

Page No. 96

(श्री विजयसिंह झाला)

posed sub-section (1) of the proposed section 66 of the principal Act:—

"Provided that if any person possessed on 1st April, 1964, 1500 Square yard of Agriculture land then such land shall be allowed to be converted into Abadi land after charging such fee by such authority as may be prescribed."]

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम): I wish to withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की यह इच्छा है कि इनको अपना संशोधन वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाए।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : I withdraw my amendment.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि....

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्लॉज़ ४ को डिलीट करने के लिए कुछ निवेदन करना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत संशोधित बिल के जरिये जो क्लॉज़ ४ मूव किया गया है उसमें खातेदारी टीनेन्ट के इम्प्रूवमेंट करने के अधिकार दिये गये हैं....

श्री केसरीसिंह (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने उन सदस्यों को जिन्होंने एमेन्डमेंट मूव किये उनको तो बोलने की इजाज़त नहीं दी और इन्होंने कोई एमेन्डमेंट नहीं दिया है उनको बोलने की आज्ञा देते हैं तो आप सबको बोलने का मौका दें अन्यथा इन्हें भी अवसर नहीं दिया जा सकता।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री गंगासिंह ने जो संशोधन रखा है उसे स्वीकार किया जाए।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४....

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं क्लॉज़ ४ को डिलीट करने के लिए कुछ कहना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने यह शिकायत की कि चैअर ने वोट के लिये पुटअप कर दिया और जब एमेन्डमेंट वालों को भी बोलने नहीं दिया तो....

श्री मानिकचंद सुराणा : 'डिलीशन' के लिये बोलने का मेरा राइट है।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा यह निवेदन है कि आप इस पर थर्ड रीडिंग में बोल लें। इसमें व्यवस्था कर दी गई है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मेरा यह पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है। आपका एतराज यह है कि मेरे को नहीं बोलने दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : आपका एतराज यह था कि जब सदन ने यह मान लिया है तो फिर बहस नहीं हो।

Page No. 97

श्री मानिकचन्द सुराणा : सदन के सामने कोई प्रस्ताव ही नहीं था।

श्री उपाध्यक्ष : Sense of the House was taken. If the House agrees and disagrees like this, then......

(शोरगुल)

श्री मानिकचन्द सुराणा : इसमें कोई एतराज नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : Then I shall have to allow every Member.

आप थर्ड रीडिंग पर बोल लें।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ५

[संशोधन इस प्रकार हैं :

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत(भीम): "In the proposed section 70 of the principal Act replace the words "for making such improvement he has obtained the previous orders of the Tehsildar or the written permission of the holder of Khudkasht or the Khatedar tenent as the case may be" by the words "he has given notice of his intention, making such improvement to the Tehsildar or the holder of Khudkasht or the Khastedar tenent, as the case may be."

श्री गंगासिंह राठौड़ (जायल) : In the proposed section 70 to the principal Act, the words" but he shall not be entitled to any compensation on ejectment unless for making such improvement he has obtained the previous orders of the Tehsildar or the written permission of the holder of Khudkasht or the Khatedar tenent as the case may be, be deleted.]

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम): उपाध्यक्ष महोदय, मैं संशोधन मूव नहीं करना चाहती।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ ५ पर श्री गंगासिंह ने रखा है उसे स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ५ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ५ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ ६

श्री विजयसिंह झाला : मैं इस पर बोलना चाहूँगा।

[संशोधन इस प्रकार है :—

श्री गंगासिंह राठौड़ (जायल) : The proposed section 253A to the principal Act (1 –

(a) In sub section—

(i) The word 'any' occurring between the words 'in respect of' and 'area specified in the notification' be replaced by the words 'canal and river bed.'

(ii) Clause (e) be deleted.

(b) Sub-sections (2) and (3) be deleted.

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : In the proposed section 253 A to the principal Act—

(i) After sub-clause (a) of sub-section (1) the following clause shall be inserted:—

"(aa) The collector or such other officer or authority shall take approval from 'Zila Perishad for production programme before it comes into force.'

(ii) Delete sub-section (2).

(iii) At the end of sub section (3) the following words be added 'such order of the collector shall be approved by the Zila Parishad'.

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : In the proposed section 253 A to the principal Act.-

(i) Delete part (e) of sub-section (1).

(ii) For sub-section (2) substitute the following:-

"(2) The State Government shall frame rules to reward tenants on the basis of the efficiency shown by them in carrying out the production programme proposed by the Government."]

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६ पर जो माननीय सदस्य सर्व श्री गंगासिंह, विजयसिंह झाला और रामानन्द अग्रवाल ने संशोधन प्रस्तुत किये हैं....

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुए ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : Let them withdraw the clause.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : I have withdrawn.

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष : It will be negatived. प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ६ को पारित किया जावे ।

(अस्वीकृत)

क्लॉज़ ६ गिर गया ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : That means the Government has been defeated on this clause.

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) :

Page No. 99

(श्री विजयसिंह झाला)

इनके प्रति जो विश्वास था वह खत्म हो गया। इसलिये इस्तीफा दे दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : हमको विश्वास में लेकर ही ऐसा किया है। इतने विश्वासघाती नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १, टाइटल, प्रीएम्बल आदि विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १, प्रीएम्बल, टाइटल आदि विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान टीनेन्सी (अमेंडमेंट) बिल, १६६४ पारित किया जावे।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल को पारित करने के लिये माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया है उसका मैं विरोध सिद्धान्तों के आधार पर करना चाहता हूं। राजस्थान में सीलिंग का एक्ट बना उसके लिये रूल्स बनाये और राजस्थान के सीलिंग के नियमों को आज राजस्थान हाई कोर्ट ने स्टे कर रखा है। अब सीलिंग को कार्यान्वित नहीं किया जा सकता क्योंकि मद्रास में इस प्रकार का प्रश्न था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना है। उसकी यहां पर नज़ीर रखेंगे इस बात की आशंका है कि जो नियम और उपनियम हमारी सरकार ने बनाये हैं उनको राजस्थान की हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नल एन्ड वॉइड डिक्लेअर कर देगी। ऐसी परिस्थिति के अन्दर जब हमको इस बात की पूरी आशंका है कि सीलिंग के नियम शायद रद्द हो जायं, इस परिस्थिति में भी इस प्रकार टीनेन्सी एक्ट की दफा ४२ आज तक थी इसका संशोधन करने का मन्त्री महोदय ने प्रस्ताव रखा है और यह निवेदन किया गया है कि धारा ४२ समाप्त करदी जाय और उसकी जगह नई धारा ४२ लगा दी जाय। इसका निस्कर्ष यह होगा कि आज से पहले कोई आदमी जमीन खरीदता और उसके फलस्वरूप उसके पास सीलिंग द्वारा निर्धारित रकबे से ज्यादा जमीन आ जाती तो वह सेल डीड नल एण्ड वॉइड है, कोर्ट रिफ्यूज कर सकता था कि रजिस्ट्रेशन नहीं करते।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : रजिस्ट्रेशन करने से रिफ्यूज करने का सवाल नहीं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : रिफ्यूज किया जा सकता है।

एक माननीय सदस्य : नहीं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : तो एक रजिस्ट्रेशन कानून में था कि सीलिंग के कानून के अनुसार जो निर्धारित एकड़ जमीन है, उससे ऊपर जमीन कोई भी खरीद नहीं सकता था, ऐसे आदमी को बेची नहीं जा सकती थी, पर आपने उस धारा ४२ को निकाल लिया है। इसका नतीजा यह होगा कि मैं चाहूँ तो १० हजार एकड़ जमीन खरीद सकता हूँ, आपके टीनेन्सी एक्ट में कोई प्रावधान नहीं हैं कि मुझे १० हजार एकड़ जमीन खरीदने से रोकें।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : सेक्शन ३० है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं उससे परिचित हूं आप सुनिये । सेल और गिफ्ट में यह लगाया गया कि कोई खरीद नहीं सकता और बेचने वाले पर भी यही पाबन्दी लगाई गई थी कि जिसके पास सीलिंग के द्वारा निर्धारित जितनी जमीन की गई है, उतनी है तो उसको जमीन बिलकुल नहीं बेची जाय, यह रुकावट थी पर समाजवाद में विश्वास रखने वाली सरकार आज उस रुकावट को हटा लेना चाहती है । इसका नतीजा यह होगा कि मैं चाहूं जितनी जमीन खरीद सकता हूं और सीलिंग का एक्ट, सीलिंग के रूल्स ३ साल तक यदि सुप्रीम कोर्ट में रहें तो मैं एक हजार एकड़ जमीन का मालिक बन सकता हूं, मुझे कोई कानून हीं रोक सकता । और उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि सबसे बड़ी छूट इसमें यह दी गई है कि मैं यदि १००० एकड़ जमीन खरीदता हूं तो १।५० हिस्से पर मकान बना सकता हूँ । जयपुर के इर्द गिर्द १००० एकड़ जमीन खरीद लेता हूं तो उसके १।५० हिस्से पर, २० एकड़ जमीन पर सारे प्लाट्स काट कर बेच सकता हूँ या मकान बना कर दूसरों को किराये पर दे सकता हूँ, कोई कानून मुझे रोकने वाला नहीं ।

१९५५ के बाद से हम सीलिंग की बातें कर रहे हैं, यह १९६४ आ गया पर सीलिंग अभी तक क्रियान्वित नहीं हुआ । एक तरफ हाई कोर्ट का स्टे है और दूसरी तरफ राजस्थान सरकार सीलिंग के प्रावधानों को हटाने जा रही है । मैं पूछना चाहता हूँ मन्त्री महोदय से कि नई धारा ४२ में कौनसा प्रावधान है, कौनसी रुकावट है कि कोई भी सीलिंग से ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकता ? कोई रुकावट नहीं । इससे साबित हुआ है कि आज समाजवादी समाज का दम भरने वाली कांग्रेस की हुकूमत न रह कर राजस्थान स्वतन्त्र पार्टी की, राजा महाराजाओं की हुकूमत आ गई है राजस्थान में । आज कांग्रेसी हुकूमत समाजवाद को, सीलिंग को छोड़ चुकी है और जो आखिरी प्रावधान था, बन्दिश थी कि सीलिंग से ज्यादा जमीन नहीं खरीद सकते, उसको भी अब आप हटाना चाहते हैं । मैं पूछता हूं मन्त्री महोदय से कि इस रजिस्ट्रेशन रखने से आपको क्या नुकसान हो रहा था ? पुरानी ४२ के नीचे एक प्रोविज़ो, या एक सब क्लॉज सब-सेक्शन लगा देते कि टुकड़े नहीं बेच सकते सर्वे नम्बर के । पर आपने पहले की ४२ की जगह यह नई ४२ धारा ला कर यह कर दिया है कि कोई सर्वे नं० के टुकड़े को नहीं बेच सकता, पूरा का पूरा सर्वे नम्बर बिक सकता है । यह सरकार टीनेन्सी एक्ट के प्रति प्रतिक्रियावादी नीतियों को अपनाती जा रही है, यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत है । साथ ही १।५० हिस्से में छूट दे दी है । यह छूट देकर बड़े बड़े शहरों के इर्द गिर्द इस बात की छूट दी है कि बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े नेता जमीनें खरीदें । आज वे २० एकड़ जमीन खरीद लेते हैं, आधी पर मकान बनायेंगे, कृषि भूमियों को खरीदने में उनको लाखों रुपयों का फायदा है । १।५० पर मकान और १।५० पर आर्चर्ड्स बनायेगा, बाग बनायेगा । इन पर आप सीलिंग नहीं ला रहे हैं । बड़े बड़े पूंजीपतियों के, अफसरों के बंगले होंगे, आर्चर्ड्स होंगे और काश्तकार मजबूरी से जमीन बेचेंगे । जो रुकावटें थीं उनको सरकार हटाना चाहती है ।

Page No. 101

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

सबसे ऊपर क्लॉज ७० में नया क्लॉज ७० ला रहे हैं। उसमें यह है कि जिन एरियाज़ को सरकार स्पेसिफाई करेगी उनमें तहसीलदार की मंजूरी से इम्प्रूवमेंट होगा। मैं समझता हूं गवर्नर महोदय की इस बिल को कन्सेन्ट मिलेगी उसके बाद ६ महीने तक आपकी सरकार स्पेसिफाई नहीं कर सकेगी कि वे कौनसे एरियाज़ हैं। ६ महीने तक लोगों को छूट होगी कि तहसीलदार की पर्मीशन की जरूरत नहीं, जब तक नोटिफाई नहीं कर लेंगे लोग बड़े-बड़े मकान बना लेंगे। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपकी सरकार स्पेसिफाई नहीं करेगी, जान बूझ कर बड़े-बड़े लोगों को अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिये कन्सेन्ट मिलने के ६ महीने १२ महीने बाद तक सोती रहेगी और लोग बिल्डिंगें खड़ी कर लेंगे। सरकारी अफसरों को, पूंजीपतियों को, बड़े-बड़े लोगों को अपना प्रभुत्व शहरों के आस पास पैदा करने लिये जितनी आज तक रुकावटें थीं उनको आप आज हटा रहे हैं, इससे बड़े-बड़े लोग एग्रीकल्चरल लैंड पर बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बना लेंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष, कि एग्रीकल्चरल लैंड को आबादी लैंड में यूज करने के सम्बन्ध में सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है। इस सम्बन्ध में सरकार की स्पष्ट नीति होनी चाहिये एग्रीकल्चरल लैंड को आबादी लैंड में कन्वर्ट करने के सम्बन्ध में सरकार की निश्चित नीति होनी चाहिये। राजस्थान केनाल एरिया में कृषि भूमियों को आबादी लैंड में कन्वर्ट करने से सरकार को २० करोड़ का फायदा हो सकता है और जो सरकार को वहां १० करोड़ का घाटा हुआ है, वह घाटा पूरा हो कर फायदा हो सकता है। पर सरकार आज अफसरों को, बड़े-बड़े आदमियों को देना चाहती है। इसके लिये जो यह संशोधन बिल लाया गया है इसका मैं विरोध करता हूँ, इस बिल के लाने से साबित हो गया है कि राजस्थान सरकार सीलिंग एक्ट को और समाजवाद को ताक में रख रही है।

श्री उपाध्यक्ष : योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो राजस्थान टीनेन्सी (अमेंडमेंट) बिल, १९६४ सदन में रखा गया है उसका मैं विरोध करता हूँ। १९६० तक जो धरती राजस्थान केनाल एरिया में बेच दी है उसको स्वीकार करते हुए सरकार ने अपने खुद के कानून को नल एण्ड वॉयड स्वीकार किया है। वहां ८० लाख एकड़ क्षेत्र है उसमें से ३६ लाख एकड़ क्षेत्र जागीरदारी क्षेत्र है, जागीरदारी क्षेत्र के बहुत बड़े-बड़े भूखण्ड थे राजस्थान केनाल एरिया में। और १९५२-५३ से ही सर्वे का कार्य शुरू हुआ। इस समय बड़े-बड़े भूखण्डों को लोगों ने बेचना शुरू कर दिया। सत्तासर के ठाकुर अनूपगढ़ क्षेत्र के अन्दर १० हजार एकड़ धरती थी जिसमें से हजारों एकड़ धरतो उन्होंने वहां के काश्तकारों को बेच दी। दादो साहब जोधपुर की अकेले की हजारों से ऊपर धरती थी जिसको उन्होंने छोटे-छोटे भूखण्डों के अन्दर बांट कर बेच दिया। अगर सरकार इन भूखण्डों में धरतो देना चाहती थी और इन डीड्स को नल एण्ड वायड करना चाहती थी तो उन डीड्स को रिट्रॉस्पेक्टिव इफेक्ट से बल्कि १९४६ से जितने भी सेल डीड्स राजस्थान केनाल के कॉलोनाइजेशन

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

एरिया के अन्दर हुए उन सारे को नल एण्ड वॉयड करार करना चाहिए था तब तो स्वीकार करते कि सरकार ने प्रभावशाली बिल प्रस्तुत किया है।

इस बिल में सरकार जहां पर आबादी को धरती के इम्प्रूवमेंट्स के नाम पर एक प्रावधान करना चाहती है तो मैं आपके सामने स्पष्ट मिसाल रखता हूं। गंगानगर शहर में स्पेसिफाइड एरियाज थे, जयपुर सिटी की १० मील के थे, दूसरी म्युनिसिपेलटीज़ के पांच मील का क्षेत्र था, कई म्युनिसिपैलिटीज़ का दो मील का क्षेत्र था लेकिन आज बाइ नोटिस सरकार स्पेसिफाइ करेगी। सिटी क्षेत्र के अन्दर जिसमें एग्रीकल्चरल लैंड का १।५० वां हिस्सा कन्स्ट्रक्ट किया जाय। गंगानगर शहर के चारों तरफ एग्रीकल्चरल लैंड्स को आप देखेंगे तो जिन लोगों ने ५० बीघा जमीन ली है उनको केवल एक बीघा के अन्दर करोड़ों रु० की आमदनी कर दी। उन्होंने वहां जिनिंग फैक्टरीज़ बाकायदा लगा दी हैं। यह १।५० का लैटीट्यूड इतना है कि करोड़ों रुपए की आमदनी लोगों को देता है। इस तरह से सारा गंगानगर एक भयानक गंदा नगर के रूप में छोटा सा एरिया रह गया है।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : Are you not in favour...

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं कहता हूँ कि इन क्षेत्रों में किसी प्रकार का कन्स्ट्रक्शन अलाउ नहीं करना चाहिए जो सारा एरिया १० मील के अन्दर है या पांच मील के अन्दर है उसको लें और प्लॉट्स बनाकर सेल करें। आज एक तरफ हम फन्ड्स की बात करते हैं, अकाल है, नहरों के अन्दर पानी नहीं आ रहा है, ऐसी स्थिति में भूखण्डों के मालिकों की बड़े-बड़े जागीरदारों को आपने छूट दे दी है। गंगानगर शहर के चारों ओर इल्लीगल भट्टे लोगों ने बाकायदा एग्रीकल्चर लैंड्स के अन्दर बनाए और इस प्रकार करोड़ों रुपए कमा लिए। आप केवल जिनिंग प्रेसेज को लें, फैक्टरीज़ को लें जो कि एग्रीकल्चर लैंड के अंदर लोगों ने खड़ी कर ली हैं, अगर आप उनकी आमदनी देखें जो लोगों को पैसा प्राप्त हुआ है उसको देखें और जो इस प्रकार से धरती है जो मास्टर प्लान को डिस्टर्ब करती है। मैं आपके आइडिया का स्वागत करता हूं। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि कच्चे झोंपड़े लोगों ने अपने फार्म्स के अन्दर बना लिए हैं उनको तो तोड़ने की बात करते हैं और जहां कि सिटी के चारों ओर एरियाज हैं उस संबन्ध में सरकार की नीति है वह बड़े बड़े लोगों को फायदा देने की है। आपने आर्चर्ड्स की छूट दे दी। लोगों ने पेड़ लगा दिए जो कि दरअसल बागात नहीं थे और इस तरह से अपनी जमीनों को एक्वायर होने से लोगों ने बचाया। इन तथ्यों के आधार पर सिटीज के चारों तरफ १।५० की छूट देकर आप लोगों को इस प्रकार से प्रोत्साहित करते हैं और विशेष तौर से राजस्थान केनाल क्षेत्र के अंदर, जो एक बड़ा जागीरदारी एरिया है। केवल १९६० के बाद के डीड्स को आपने नल एण्ड वायड करार दिया है यह काफी नहीं है। आपको तो सन् १९४९ से जो पहले आपने टैनेन्ट्स प्रोटेक्शन एक्ट बनाया और कोलोनाइजेशन एरियाज के अंदर लागू किया

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

उसके बाद से जो धरती बिकी है उस पर एक्ट को लागू करना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि यह एक्ट पारित न किया जाय।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जो बिल सदन के अन्दर माननीय उपमंत्री ने रखा है मैं उसका विरोध करता हूँ और अभी जो एक प्रश्न श्री सुराणा साहब ने रखा वह दरअसल एक लीगल सवाल है जो आगे जाकर खड़ा हो सकता है क्योंकि एक प्रावधान था जमीन बेचने का सेक्शन ४२ के अंतर्गत वह प्रावधान आज हटा दिया गया है। उसके बाद में एक दूसरा प्रावधान हमारे सामने है और वह प्रावधान आज हाई कोर्ट के सामने एक चैलेंज के रूप में विरोधी पार्टी की तरफ से गया हुआ है। एक मिनट के लिए हम मान लें कि सेक्शन ३० के अनुसार जितनी सीलिंग्स से ज्यादा जमीन है वह बेच नहीं सकते, वह सेक्शन ३० हाई कोर्ट के द्वारा नल एण्ड वायड घोषित हो जाय उसके बाद में कौनसा ऐसा सेक्शन टेनेंसी एक्ट में रहेगा जिसके आधार पर सीलिंग एरिया में आज जिन लोगों के पास में जमीन है उनको हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जिस समय इस सदन का सेशन नहीं चल रहा होगा उस समय हाई कोर्ट का फैसला यह होगा कि सेक्शन ३० या सीलिंग का जो कानून था वह नल एण्ड वायड घोषित कर दिया है उसके बाद में एक स्पेस मिलेगी समय की उस समय के अंदर सारी की सारी जमीन जो कि सरकार के इन्स्ट्रक्शन्स के द्वारा नहीं बेचनी चाहिए थी, इस प्रकार कानून का जो नियंत्रण था, वह नियंत्रण नहीं रहेगा और सारी की सारी जमीन बेची जायगी। और इसके बाद यदि हाई-कोर्ट के फैसले के बाद में हमारी सरकार उसको रुकवाना चाहेगी उस समय में उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे एक समस्या एक कान्टेस्ट हाई-कोर्ट और सदन के बीच चल रही है उसी प्रकार की कान्टेस्ट हमारे राजस्थान के अंदर चल सकती है। उपमंत्री सदन को बताएं कि सेक्शन ३० सीलिंग कानून का हाई-कोर्ट द्वारा नल एण्ड वायड घोषित होने के बाद में कौनसा प्रावधान टेनेन्सी एक्ट में बचा रहता है जिस आधार पर जो सीलिंग्स से ज्यादा जमीन है उसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे ?

बड़ी बड़ी जमीन जो शहरों के पास जिन लोगों ने ले रखी है किसी मंत्री ने ले रखी चाहे आफिसर ने ले रखी है, वह कन्स्ट्रक्शन कर सकता है लेकिन जिस गरीब के पास एक बीघा जमीन है वह एग्रीकल्चर है उसके अंदर किसी प्रकार का कन्स्ट्रक्शन करना चाहे तो इस कानून के अंतर्गत वह १।५० हिस्से से ज्यादा उस पर कन्स्ट्रक्शन नहीं कर सकता। तो एक बीघा का १।५० कितना होगा ? तो मैं समझता हूं कि बड़ी बड़ी जमीन जिन्होंने....

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय समाप्त हो रहा है। इसका जवाब आने के लिए यदि माननीय सदस्यों की मन्शा हो तो सदन का समय १५ मिनट के लिए बढ़ाया जाय।

(स्वीकृत)

सदन का समय १५ मिनट के लिए बढ़ाया गया।

श्री विजयसिंह झाला : अभी मेरा भाषण खत्म कहां हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : I have allowed Shri A. Jabbar.

श्री विजयसिंह झाला : अभी खत्म नहीं हुआ। मैं खाली दो मिनट बालूंगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : (उप-मंत्री,-राजस्व) I will reply that question also.

श्री उपाध्यक्ष : श्री अब्दुल जब्बार। Then Shri A. Jabbar will loose his chance.

श्री विजयसिंह झाला : मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ। जिसके पास १००-२०० बीघा जमीन है वह कन्स्ट्रक्शन करवा सकता है, लेकिन जिसके पास केवल एक बीघा जमीन है उसका १।५० हिस्सा वह कन्स्ट्रक्ट नहीं करवा सकता। उसमें वह कन्स्ट्रक्शन कैसे करवा सकता है ? मुख्यमंत्री ने एक बाड़ी ली है उसके अंदर वह अच्छा बंगला बनवा सकते हैं उसके लिए अच्छा प्रावधान है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद एक खास बात यह रह जाती है कि जो मिलिटरीमेन है जो वहां पर बोर्डर पर लड़ते लड़ते मर जाते हैं उनके लड़कों को किसी प्रकार का कन्सेशन नहीं होता है, मैं समझता हूं कि जो आदमी बोर्डर पर लड़ते २ मर जाते हैं उनके सक्सेसर्स को भी कन्सेशन मिलना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूलाल करौल।

श्री नाथूलाल करौल : (चाकसू) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल सदन में प्रस्तुत है उसका ज्यादा विरोध न करते हुए इतना ही कहना चाहता हूं कि काश्तकारों को मकान बनाने की छूट दी है वह बिलकुल ठीक है। यह तो आल रेडी पहले से ही थी। १।५० वें हिस्से में खातेदार मकान बना सकता है। अब इसमें यह प्रावधान रखा गया है कि तहसीलदार की बगैर इजाजत के मकान नहीं बना सकते हैं इससे काश्तकारों को तहसीलदार से इजाजत लेनी पड़ेगी। इसकी पहले इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं थी। इसमें सवाल यह भी है कि कितना बड़ा ही बंगला क्यों नहो उसके १।५० हिस्सा में ही बनाना है। हय बड़े बंगलों के लिए ही है और कोई दूसरी बात नहीं है। हर एक के लिए यह लाजमी हो गया कि तहसीलदार से इजाजत ले। इसलिए माननीय मुख्य मंत्रीजी सीमा निर्धारित कर दें। म्युनिसिपल एरिया से पांच मील या दस मील का रेडियस कायम कर दीजिये, उसमें ही तहसीलदार की इजाजत लेनी पड़ेगी ऐसा कर दीजिये। यदि नहीं तो, काश्तकारों को तहसीलदारों के दरवाजे खटखटाने पड़ेंगे और इससे काश्तकारों की परेशानी बढ़ेगी और इससे करप्शन भी बढ़ेगा।

दूसरी बात यह है कीशिड्यूल्ड कास्ट या शिड्यूल्ड ट्राइब्स की जमीनें शिड्यूल्ड ट्राइब्स व शिड्यूल्ड कास्ट में ही बेची जा सकती है। यह भी बिलकुल टीक है। जनरल Caste वालों को जमीनें tribes व castes वालों से बेची गई है उनके लिये भी कोई कदम उठाया जावेगा ? एग्रीकल्चरल लैंड है किसी खातेदार के पास चार बीघा उसके

(श्री नाथूलाल कौरल)

अन्दर मकानात बन चुके हैं उसके लिए भी क्या कोई कदम उठायेंगे ?

मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता । माननीय मंत्री जी अपने जवाब में इनका भी उत्तर देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : (उपमंत्री, राजस्व) माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री अब्दुलजब्बार : (निम्बाहेड़ा) On a point of iu information Sir, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि टीनेटेन्सी एक्ट की धारा को भी रेफर करें। आपका यह नारा है कि लैंड टू दी टिलर। समाजवाद की ओर आप जा रहे हैं तो इस बात को समझने की कोशिश करें कि खातेदारी राइट्स नहीं मिले हैं और धारा ७० वहां ला रहे हैं खातेदारी राइट्स देने का विचार कर रहे हैं वर्ना गरीब किसान ने अपने झोंपड़े बना लिये हैं उनकी हक तल्फी हो जायगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : On a point of Contradiction, Sir, जो मौजूदा बिल आया है उसका कॉन्ट्राडिक्शन है क्लॉज़ ३० डी० ऑफ दी टिनेंन्सी एक्ट से। उसमें है :

'Provided that no lease transfer as is mentioned in clause 2 shall be taken into consideration or recognised if it has been made after 9th Day of December, 1959.'

यानी सीलिंग को इवेड करने के लिए ९ दिसम्बर, १९५९ के बाद कोई भी ट्रान्सफर्स हैं तो वे रिकॉग्नाइज नहीं किये जावें। यह ३० डी० का है। अब यह जो नया बिल है, इसमें जो क्लॉज़ ३ का पार्ट सी. है वह यह कहता है कि उस डेट को १५ (१) या १५ ए के तहत प्रोजेक्ट एरिया या राजस्थान केनाल या ट्रेसपासर्स ऑर्डिनेन्स, १९६० को तो यह अनएन्फोर्सियेबल बनाता है और बाद को रिकॉग्नाइज कर लेता है। इस तरीके से कन्ट्राडिक्शन हो जाता है एक्ट की दो धाराओं में। यह इन्एडवरटेन्टली है या सरकार की मंशा है उस पीरियड में ९ दिसम्बर, १९५९ या इस ऑर्डिनेन्स के आने के बीच में जो तमाम ट्रेसपास हुए हैं जिनको रिकाग्नाइज नहीं करने का गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया था, गवर्नमेंट आफ इन्डिया के प्लानिंग कमीशन का भी यही कहना है। गवर्नमेंट भाई इम्प्लीकेशन रिकाग्नाइज कर रही है, मंत्री महोदय जवाब में बतायें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर): जागीरदारी जब से गंगानगर से आयी है उनकी यह स्थिति है....

श्री उपाध्यक्ष : Please be brief.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय उपाध्यक्षजी, दो तीन मुद्दे उठाये गये हैं, उनके बारे में निवेदन करूंगा। एक मुद्दा तो यह उठाया गया कि १।५० हिस्सा दे दिया और सैकड़ों बीघा जमीन उसके पास हो तो कब्जा रखा है इस दृष्टि से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें यह है :

"Provided that any such improvement as is referred to in sub-clause

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(a) of clause (19) of Sec.5 shall be made only on an area not exceeding one-fiftieth of the total area of the holding or such area within this limit as may be prescribed, whichever is less;but in no case such area shall be less than one-hundred-and-fifty sq. yards.

Out of these two, whichever is less will be permissible with the permission of the Tehsildar for the construction of improvements as defined in 19 (5)."

इसलिए बहुत जमीन पर कब्जा करके बना लेंगे यह प्रश्न नहीं आता है। बल्कि यह चीज़ पहले के कानून में स्पष्ट नहीं थी और उसका दुरुपयोग किया जा सकता था उसको मिटाने की दृष्टि से, उसको रोकने की दृष्टि से "prescribed whichever is less." ये शब्द इसमें इन्सर्ट किये हैं।

पहले के कानून में लिखा था :

"within a radius of ten miles of the municipal limits of the City of Jaipur or within a radius of five miles of any other city as defined in the Rajasthan Municipalities Act, 1959,...

और अब यहां राजस्थान सरकार ने उस चीज को हटा कर यह लिखा है। नोटिफिकेशन में जो स्पेसिफाइड होंगी जगह उन के ऊपर यह कानून लागू होगा और कानून पास कर देंगे लेकिन राजस्थान सरकार यदि छः महीने बाद नोटिफिकेशन निकालेगी तो सारा बंटाधार हो जायगा और अनअथॉराइज्ड कन्स्ट्रक्शन जितने हैं वे सब पूरे हो जावेंगे आदि जो संशय प्रकट किये गये हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नोटिफिकेशन का ड्राफ्ट भी तैयार है और फाइल में मौजूद है। जैसे ही यह बिल पारित हुआ, गवर्नर महोदय की असेन्ट हुई कि यह लागू हो जायगा। इसके जो लीगल कॉम्प्लीकेशन्स हैं उनको हम जानते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर) : धन्यवाद। तीर कहीं तरकस में ही न रह जाय ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तीर तरकस में नहीं रहेगा। नोटिफिकेशन का ड्राफ्ट फाइल में है और गजट में जायगा मौका आने पर।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इंगलैंड जाने से पहले पहले आप इसको कर लेंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आप इंगलैंड जाने के पहले ही बात कर रहे हैं। कानून पास होने से पहले ही नोटिफिकेशन का ड्राफ्ट बना लिया गया है।

इस दृष्टि से माननीय सदस्य ने एक आपत्ति उठायी थी वह यह उठायी थी कि पहले जो प्रावधान सेक्शन ४२ के अन्तर्गत थे, सेल को प्रोहिबिट कर रखा था सीलिंग एरिया से।

और अब यह प्रावधान हटा दिया गया है। जिससे हम समाजवाद के रास्ते की ओर बढ़ते रहे....

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : यह वहम क्यों हो रहा है ? समाजवाद के रास्ते पर जा रहे हैं इसका.......

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस तरह के ट्रेंसपासर्स को ३० डी० के अन्दर जो प्रोवीज़ो है, वर्तमान में जो बी० क्लॉज़ है उसके हट जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। राजस्थान केनाल के लिये यह जो सी. क्लॉज़ है कन्ट्राडिक्टरी नहीं। इसमें साफ लिखा हुआ है जो सिलिंग वाला कानून है १९५६ का वह अपनी जगह पर कायम है। ६० के अन्दर आर्डिनेन्स पास होता है वह रोक की गई है। ऑर्डिनेन्स की डेट इसके अन्दर प्रेसक्राइब की गई है। किसी भी प्रावधान के तहत ऐसे सेल्स रिकग्नाइज नहीं किये जा सकते। ऐसी हालत में यह कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है सप्लीमेन्टरी है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस विधेयक को पारित किया जाय।

श्री मानिकचन्द सुराणा : माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि दफा ४२ जो पुरानी थी उसका फर्स्ट पैरा हटाने का आधार क्या है? ३० डी० और इ. में इस सदन द्वारा जो अमेन्डमेन्ट किया गया है उसका वायोलेशन क्यों किया जा रहा है इसके आधार क्या हैं?

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान टेनेन्सी संशोधन विधेयक १९६४ को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

(विराम)

सदन की कार्यवाही १ अप्रेल, १९६४ के म० पू० ८ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

[तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० १.४३ बजे दिनांक १ अप्रेल, १९६४ के म० पू० ८ बजे तक के लिए स्थगित हुई]

संक्षिप्त-विवरण

(मंगलवार, दिनांक ३१ मार्च, १९६४)

स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नों के शीर्षक १

कृषि के लिये कम दर पर बिजली।

ग्राम लाखेरी को बिजली।

जोधपुर रेन्ज में बिना परमिट चलने वाली बसें।

वेस्पा स्कूटर्स।

नगर परिषद् कोटा के चुनाव।

जयपुर-कोटा रूट की बसों का निर्धारित समय।

बैंकों के मार्फत बिजली के बिलों का भुगतान–बीकानेर।

गंभीरी नदी पर पुल।

ग्रेज्यूएट अध्यापकों की नियुक्ति।

छमाही परीक्षा, गर्ल्स स्कूल, हिन्डौन।

हाई स्कूल, खानपुर का भवन।

सुजानगढ़ में पोलिटेक्निक कालेज खोलने की मांग।

जयपुर स्कूल भवन, क्रीडास्थल एवं खेल के मैदान।

साहित्य अकादमी का कार्यालय।

क्रय-विक्रय संघ, जयपुर को गुड़ का कोटा।

आर्कियोलोजी विभाग के रिक्त स्थान।

अध्यापकों का रिवर्शन।

राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास, तिलकनगर, जयपुर।

टैगोर थियेटर हॉल, जयपुर की व्यवस्था।

मिट्टी के तेल की बिक्री, लाखेरी।

रीकनेक्शन फीस के साथ सिक्योरिटी की मांग–बीकानेर।

हिन्डौन–धमान धौलेटा सड़क निर्माण कार्य।

नदी पर आवागमन की व्यवस्था।

खारा नला पर पुलिया।

तहसीलों में हायर सेकेन्डरी स्कूल।

२. अतारांकित प्रश्नों के शीर्षक ६४

प्रधान मन्त्री के दौरों पर व्यय।

सुमेरगंज मंडी से लाखेरी तक सड़क।

गिरवा क्षेत्र के गांवों को बिजली।

समाज कल्याण विभाग में आदिवासी कर्मचारी।

आदिवासी छात्रावासों में हरिजन छात्र।

३. स्थगन प्रस्ताव

फूड ग्रेन लाइसेन्सिग ऑर्डर, १९६४ को - प्रभावशील बनाने संबंधी श्री मुरलीधरव्यास, सदस्य, विधान सभा के स्थगन प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति अध्यक्ष महोदय द्वारा नहीं दी गई।

खाद्य मंत्री श्री नाथूराम मिर्धा ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

४. विधायी कार्य

विचारार्थ लिया गया विधेयक राजस्थान टेनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १९६४।

श्री रामप्रसाद लड्ढा, प्रभारी मंत्री के इस प्रस्ताव पर कि उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय, सदस्यों ने विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किये जाने के संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये।

९८ प्रभारी मंत्री के उत्तर के पश्चात् संशोधन प्रस्ताव गिर गया एवं विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

खण्डशः विचार के पश्चात् विधेयक सदन द्वारा संशोधित रूप में पारित किया गया।

बुधवार, दिनांक १ अप्रेल, १९६४ की कार्य सूची

१. प्रतिवेदनों का उपस्थापन।

८८ २. राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, १९६४ (विचार विमर्श)

३. राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १९६४ (विचार विमर्श)

परिशिष्ट १

(समयाभाव के कारण प्रश्न समय में न लिए जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

साहित्य अकादमी का कार्यालय

७७४. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान साहित्य अकादमी के कार्यालय को उदयपुर से हटा कर जयपुर लाया जा रहा है ?

(२) क्या यह भी सही है कि जयपुर में उसे किराये के भवन में स्थापित किया जायेगा जब कि उदयपुर में सरकारी भवन स्थित है ?

उत्तर

(१) यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

क्रय-विक्रय संघ, जयपुर को गुड़ का कोटा

७७५. श्री हरदत्तसिंह (नोहर) : क्या नागरिक रसद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि राजस्थान का गुड़ का कोटा क्रय-विक्रय संघ राजस्थान जयपुर को दिया गया है ?

(ख) अगर हां, तो उपरोक्त कोटा किस अवधि तक का कितना और क्यों दिया गया है ?

(ग) उपरोक्त कोटा उक्त संघ ने कब कहां से और किस दर पर खरीदा, फिर कब, किसको और किस दर पर फरोक्त किया ? इसमें उक्त संघ को क्या मुनाफा या घाटा रहा ?

उत्तर

(क) जी हां, यह सही है।

(ख) हर माह राज्य सरकार को जो कोटा अलॉट होता है उसके आयात करने के परमिट जिलेवार राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ के नाम गुड़ का आयात करने हेतु

जारी होते हैं उसी के अनुसार यू. पी. से गुड़ आयात किया जाता है। अब तक ४ कोटा के परमिट संघ के नाम जारी हुये हैं :

पहला कोटा	२००० टन
दूसरा कोटा	५००० टन
तीसरा कोटा	६००० टन
चौथा कोटा	१०००० टन

(ग) उपरोक्त कोटा संघ ने समय समय पर यू० पी० की मेरठ भवाना, मुज़फरपुर हापुड़ व ढौत, जहांगीराबाद आदि मंडियों से बाजारभाव पर खरीदा और एलॉटमेंट के अनुसार समाधान में जिलेवार भिजवाया गया। यह गुड़ क्रय-विक्रय सहकारी समितियों, ग्राम सेवा सहकारी समितियां तथा अन्य सहकारी समितियां के द्वारा गांव में वितरण कराया गया। बिक्री राज्य सरकार के आदेशानुसार कलेक्टर महोदय एवं उनके अधिकृत अधिकारियों से निर्धारित दर पर कराई गई। संघ द्वारा क्रय-विक्रय समितियों से निर्धारित कमीशन लिया जा रहा है, मुनाफा नहीं लिया जा रहा है। अतः मुनाफा या घाटा का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

आर्कियोलोजी विभाग के रिक्त स्थान

७७६. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि आर्कियोलोजी विभाग में मुद्रा शास्त्री अनुसंधान एवं खनन अधिकारी के पद राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत हो चुके हैं फिर भी वे पद अभी तक रिक्त पड़े हैं ?

(२) यदि हां, तो किन कारणों से और कब तक इन पदों पर नियुक्ति कर दी जावेगी ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) खनन अधिकारी की अस्थायी नियुक्ति के आदेश यद्यपि ४-१२-६३ को दिये गये थे किन्तु नियुक्त व्यक्ति कार्यवाहक क्यूरेटर होने से पद पर काम करने नहीं आ सका, क्योंकि क्यूरेटर का पद खाली रहने से अजमेर म्युजियम को हानि होती। अतः कार्यवाहक क्यूरेटर के पद में किये गये नियुक्ति आदेश रद्द कर दिये गये और पोस्ट को अस्थायी रूप से भरने के लिए, गत मास फिर आदेश दे दिये गये। इसी प्रकार मुद्रा शास्त्री अनुसंधान अधिकारी के पद पर अस्थायी विज्ञापन के आधार पर नियुक्ति करने के आदेश भी दे दिये गये हैं। आशा है यह नियुक्ति शीघ्रातिशीघ्र कर दी जायेगी।

अध्यापकों का रिवर्शन

७७७. श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या शिक्षा विभाग ने गत वर्ष या इस वर्ष पी० एस० सी० (पब्लिक सर्विस कमीशन) द्वारा सेलेक्ट किये हुए कुछ सीनियर अध्यापकों को रिवर्ट किया है ? यदि हां, तो ऐसे अध्यापकों की संख्या क्या है ?

(२) उक्त अध्यापकों को रिवर्ट करके कौन सा ग्रेड दिया गया है और उसके पूर्व इनको क्या ग्रेड मिलता था ?

(३) क्या यह सही है कि करीब ३० सलेक्ट किये हुए हैडमास्टरों को भी रिवर्ट किया गया है ? ऐसे हैडमास्टर्स को रिवर्शन से पहले क्या ग्रेड मिलता था और अब उनको कौन सा ग्रेड दिया जा रहा है ?

(४) क्या यह सही है कि जिन अध्यापकों व हैडमास्टरों को रिवर्ट किया गया उनसे कम सीनियर अध्यापकों के होते हुए भी उनको रिवर्ट न करके उक्त अध्यापकों को रिवर्ट कर दिया ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) जी नहीं। जब रिवर्ट ही नहीं किया तो दूसरा ग्रेड देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास, तिलकनगर, जयपुर

७७८. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास, तिलक नगर, जयपुर के लड़कों को कौन कौन सी स्कूलों व कॉलेजों में पढ़ने जाना पड़ता है और वे छात्रावास से कितनी २ दूरी पर हैं ?

(२) छात्रावास को स्कूलों व कॉलेजों से दूर रखने का क्या कारण हैं ?

(३) क्या यह सच है कि जिस मकान में यह छात्रावास चलता है वह समाज कल्याण

विभाग के किसी अधिकारी का है ? यदि हां, तो उनको कितना किराया इस मकान का दिया जाता है ?

(४) क्या यह भी सच है कि इस मकान का किराया ज्यादा दिया जाता है और मकान छोटा है ?

५ क्य यह सही है कि लड़कों को बाशरूम, गैरेज व बरामदों में रहना पड़ता है ? यदि हां, तो एसा क्यों किया जाता है ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) समस्त शैक्षणिक संस्थायें एक स्थान पर नहीं हैं, अतः यह संभव नहीं हो सकता कि छात्रावास को किसी भी एक संस्था के पास रखा जावे। छात्र भी भिन्न-भिन्न विषय के हैं, और भिन्न-भिन्न स्कूलों व कॉलेजों में पढ़ते हैं।

(३) जी हां। यह मकान श्री पदमचन्द सिंघी, मुख्य परीविक्षा Chief Probation officer अधिकारी समाज कल्याण विभाग का है। उन्हें पी० डब्लू० डी० द्वारा निर्धारित दर पर प्रतिमास २५५) रु० किराया दिया जाता है।

(४) जी नहीं। मकान का किराया सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर पर ही दिया जाता है। मकान में छोटे बड़े कुल १४ कमरे व तीन बरामदे हैं।

(५) गेरेज में कोई लड़का नहीं रहता है। एक बाथ रूम अवश्य लड़कों के रहने के काम में आता है, किन्तु वह कमरे की तरह ही है और उसका प्रयोग बाथ रूम की तरह नहीं किया जाता। कुछ लड़के बरामदे में रहते हैं जो मकान के अन्दर कमरे की तरह ही है। पूर्ण प्रयत्न करने पर भी ६० लड़कों के रहने योग्य दूसरा कोई अन्य भवन उपलब्ध नहीं हो सका है। अन्य बड़ा भवन उपलब्ध होते ही छात्रावास स्थानान्तरित कर दिया जावेगा।

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास तिलक नगर, जयपुर के छात्रों को पढने जाने वाली शिक्षण संस्थाओं की सूची।

क्र० सं०	नाम शिक्षण संस्था	फर्लांगं (दूरी)	छात्रों की संख्या
१–	२–	३–	४–
१.	राजस्थान यूनिवर्सिटी, जयपुर	१ फर्लांग	२ छात्र
२.	राजस्थान कॉलेज, जयपुर	४ ,,	६ ,,
३.	राजस्थान कामर्स कालेज, जयपुर	४ ,,	१ ,,
४.	पोद्दार हायर सैकेन्ड्री स्कूल, जयपुर	४ ,,	१५ ,,
५.	मानक चौक हायर सैकेन्ड्री स्कूल, जयपुर	२ मील	१० ,,
६.	दरबार हायर सैकेन्ड्री स्कूल, जयपुर	३ मील	७ ,,
७.	आदर्शनगर, हायर सैकेन्ड्री स्कूल, जयपुर	२ फर्लागं	८ ,,
८.	मोती कटला, हायर सैकेन्ड्री स्कूल, जयपुर	३ मील	१ ,,
९.	पारीक कालेज, जयपुर	४ मील	१ ,,
१०.	राजश्री विद्यालय, जयपुर	३ मील	३ ,,

टैगोर थियेटर हॉल, जयपुर की व्यवस्था

७७६. श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवामहल, जयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जयपुर में टैगोर थियेटर हॉल कितने रुपये की लागत से बना और इसमें केन्द्रीय सरकार ने कितनी सहायता की ?

(२) टैगोर थियेटर हॉल का दैनिक किराया क्या है और इसे किराए देने के लिए क्या व्यवस्था है ?

(३) टैगोर थियेटर हॉल की व्यवस्था पर मासिक व्यय क्या करना पड़ता है और राज्य सरकार का कौनसा विभाग यह व्यय करता है ?

(४) राज्य सरकार इस थियेटर हॉल को व्यापारिक दृष्टिकोण से चलाना चाहती है ? यदि हां, तो इसके लिए क्या व्यवस्था कर रही है ?

(५) क्या राज्य सरकार इस थियेटर हाल को नगरपरिषद् की देख रेख में छोड़ने को तैयार है और यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इसके लिए कोई योजना बनाई है ?

उत्तर

(१) टैगोर भवन पर माह फरवरी ६४ तक ११,१८,५३७, रुपये खर्च निर्माण के लिए हो चुके है तथा भारत सरकार से अब तक ३,१६,०००, रुपये की सहायता प्राप्त हो चुकी है ।

(२) इसकी सूची सदन के मेज पर रख दी गई है ।

(३) कार्यक्रम संबंधी व्यवस्था हेतु संगीत नाटक अकादमी के यहां से एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर डेपूट है जिनको २५५, रुपया माहवार अकादमी की ओर से तनख्वाह दी जाती है तथा एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, एक स्वीपर, एक चौकीदार पर २००, रुपया प्रति माह खर्च किये जा रहे हैं । इसकी व्यवस्था संगीत नाटक अकादमी व पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा की जाती है ।

(४) थियेटर को व्यापारिक दृष्टिकोण से चलाने का कोई प्रश्न अभी विचाराधीन नहीं है ।

(५) जी नहीं ।

LIST SHOWING THE VARIOUS RATES OF DAILY RENT OF THE THEATRE.

1.	Rent per day.	Rs. 250/-	for professional troups.
2.	Rent per day.	Rs. 100/-	for Registered cultural bodies of non-profiteering character, aided, recognised, affiliated to the Rajasthan Sangeet Natak Akademi or any other state Akademi or all India Sangeet Natak Akademi or the Rajasthan State Education Department or sponsored by the Education Department of other states.
3.	Rent per day,	Rs. 50/-	for recognised cultural bodies or educational institutions which will arrange ticketless shows for furtherence of cultural activties.
4.	Rent per day.	Rs. 50/-	for dress rehearsals excluding electricity and water charges.
5.	Rent per day.	Rs. 50/-	for holding routine rehearsals in the rehearsal hall on first floor. This rate is irclusive of all service charges i. e. electricity and water etc.
6.	Rent per day.	Rs. 50/-	for holding conferences seminars etc. in the rehearsal hall on first floor other than cultural societies as in 4 above.
7.	Rent per day.	Rs. 50/-	for the Foyer for holding exhibitions etc. by the Akademies or recognised bodies, institutions including electric charges.

मिट्टी के तेल की बिक्री, लाखेरी

७८०. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि इस संकटकाल के समय में मिट्टी के तेल के स्टॉक व कीमतों पर नियन्त्रण किया जा रहा है ?

(२) क्या यह सही है कि लाखेरी जिला बूंदी में घासलेट तेल बिक्री करने हेतु श्री माणिकचन्द जैन व गोबरीलाल पंचोली नाम के दुकानदारों को कोटा एलॉट किया गया था ?

(३) क्या यह सही है कि केन्द्रीय बजट के प्राकशन के बाद उक्त विक्रेताओं ने स्टॉक समाप्त हो जाना बता कर मिट्टी का तेल बेंचना बन्द कर दिया जिससे ग्राम जनता को तेल नहीं मिलने से भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा।

(४) क्या यह सही है कि जनता की शिकायत पर श्री तहसीलदार पाटन ने दिनांक ४-३-६३ को उक्त दोनों दुकानदारों की तलाशी ली थी ?

(५) क्या यह सही है कि उक्त दोनों दुकानदारों में से श्री गोबरीलाल के पास उसके बताये गये स्टॉक के अनुसार ही घासलेट तेल उपलब्ध हुआ किन्तु श्री माणिकचन्द जैन के पास जिस ने अपना स्टॉक खत्म होना बताया था, ११३ पीपों का स्टॉक पाया गया ?

(६) यदि हां, तो इस संकट के समय इस प्रकार ब्लेक मार्केट करने वाले उक्त व्यापारी के साथ सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) कोटा राज्य सरकार द्वारा नहीं अलॉट किया जाता।

(३) यह सही है कि केन्द्रीय बजट प्रकाशन के बाद दिनांक ४-३-६३ को तहसीलदार के समक्ष लाखेरी ग्राम में तेल न मिलने के बाबत ग्रामवासियों की शिकायत होने पर उक्त तारीख को तहसीलदार द्वारा लाखेरी ग्राम के घासलेट विक्रेताओं के स्टाक की जांच करने पर पता चला कि व्यापारियों द्वारा भाव बढ़ जाने की अफवाह के कारण तेल की बिक्री करीब करीब बन्द कर दी गई थी जिस पर तहसीलदार ने सब को बिक्री जारी रखने की हिदायत दी थी।

(४) जी हां।

(५) जी हां। फर्म मेसर्स घासीलाल कजोड़ीलाल के श्री माणकचन्द जैन ने अपने स्टॉक में ६० पीपे होना बताया था किन्तु जांच के फलस्वरूप ११३ पीपे पाए गए।

(६) इस सम्बन्ध में उक्त व्यापारी के खिलाफ उचित कानून कार्यवाही की जा रही हैं।

रीकनेक्शन फीस के साथ सिक्योरिटी की मांग–बीकानेर

७८१. श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि बीकानेर में बिजली के स्थायी उपभोक्ताओं का डिसकनेक्शन होने पर उससे नोटिस की रकम व रीकनेक्शन फीस के अलावा सिक्योरिटी की मांग की जाती है और जब तक सिक्योरिटी जमा नहीं कराई जाती तब तक रीकनेक्शन नहीं किया जाता है? यदि हां, तो क्या यह दफा २४ इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, १९१० के प्रावधान के विरुद्ध नहीं है?

उत्तर

जी हां। जिन उपभोक्ताओं ने कनेक्शन लेते समय सिक्यूरिटी जमा नहीं कराई थी उनका रिकनेक्शन बकाया रकम, रिकनेक्शन फीस तथा आवश्यक सीक्योरिटी जमा कराने पर ही किया जाता है। सिक्योरिटी नियमानुसार ही जमा कराई जाती है।

हिन्डौन धमान धौलेटा सड़क निर्माण कार्य

७८२. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि हिन्डौन से धमान धौलेटा तक जाने वली सड़क अब भी नहीं बन पाई है?

(२) क्या यह सच है कि इस सड़क पर मिट्टी डले हुए करीब १० साल हो चुके हैं?

(३) क्या यह भी सच है कि इस सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में अब तक सरकार को बहुत नुकसान हो चुका है?

(४) क्या यह भी सच है कि इस सड़क में से ३ मील का टुकड़ा बनवाने के लिए आज्ञा हो चुकी है?

(५) यदि हां, तो सरकार इस सड़क के कार्य को कब तक आरम्भ करने का विचार रखती है?

उत्तर

(१) यह सच नहीं है।

(२) यह फेयरवेदर रोड़ बनाई गई है।

(३) जी नहीं।

(४) जी हां २ मील सड़क बनाने की योजना थी किन्तु प्लान कटौती के कारण यह कार्य प्लान में स्वीकृत नहीं हो सका।

(५) प्रश्न नहीं उठता।

नदी पर आवागमन की व्यवस्था

७८३. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि बून्दी से गेंडोली वाया झालीजी का बराणा देई खेड़ा, नौताड़ा होकर लाखेरी तक मोटरें चलती थीं ?

(२) क्या यह भी सही है कि करीब २ वर्ष से उक्त रोड़ पर बसें, ट्रक, बैलगाड़ियों का जाना बन्द है ?

(३) क्या यह सही है कि गेंडोली से झालीजी का बराणा के बीच मेज नदी बहती है जिसमें बरसात के बाद पानी कम हो जाने पर मोटरें, बैलगाड़ियां आसानी से पार हो जाया करती थी ?

(४) क्या यह सही है कि नहरों का पानी मेज नदी में डाल देने से अब यह नदी पानी से भरपूर रहती है और मोटरें, बैल-गाड़ियां पार नहीं होती और न इस नदी में नाव चल सकती है व इस कारण रास्तागीर व जनता को तैर कर निकलना पड़ता है ?

(५) यदि हां तो, क्या सरकार नदी पर आवागमन व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) इस विभाग को ऐसी जानकारी नहीं है।

(२) इस विभाग को ऐसी जानकारी नहीं है।

(३) यह कच्चा मार्ग है और इस विभाग की मरम्मत सूची पर नहीं है।

(४) नहरों का पानी सिंचाई बिभाग द्वारा मेज नदी में डाल देने से नदी में पानी अधिक रहता है अन्य विषय की जानकारी इस विभाग को नहीं है।

(५) यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है।

खारा नला पर पुलिया

७८४. श्री श्रवणलाल (हिन्डोन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि देहली–जयपुर सड़क पर २६ मील के पास खारा नला पर पुल बनाने का ठेका पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा श्री भंवरलाल ठेकेदार को दिया गया था। ? यदि हां तो कब और कितने रुपयों में ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त ठेकेदार का काम पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा बन्द करवा दिया गया ? यदि हां तो क्यों और उस समय उक्त ठेकेदार ने कितना काम पूरा कर लिया था ?

(३) क्या यह सही है कि यह काम बन्द करवाने की कार्यवाही में नियमानुकूल कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां तो, क्यों ?

(४) क्या यह सही है कि ठेकेदार का काम बन्द करवाकर उस पुल का काम विभाग द्वारा करवाया गया ? यदि हां, तो इस काम में कुल कितना खर्च हुआ और क्या यह खर्चा उक्त ठेकेदार से वसूल किये जाने की कार्यवाही करली गई ? यदि हां तो, क्या ?

(५) क्या यह सही है कि यह पुलिया विभाग द्वारा पूर्ण किये जाने के पश्चात् यातायात के लिए खोल दी गई थी, परन्तु । कुछ समय पश्चात् यह पुलिया टूट गई और इसको फिर दुबारा बनवाना पड़ा ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(१) जी हां दिनाङ्क २७–११–५६ ई० को ८४१३०) रुपये में।

(२) जी नहीं लेकिन ठेकेदार द्वारा कार्य कि प्रगति ठीक न होने के कारण बाकी का कार्य विभाग द्वारा कराया गया था। ठेकेदार ने ३६२१) रुपये का कार्य किया था।

(३) यह सही नहीं है।

(४) जी हां ६६,३५०.३६ नया पैसा जिसमें ठेकेदार के द्वारा किये कार्य की कीमत भी शामिल है। ठेकेदार से वसूली की कार्यवाही की जारही है।

(५) जी हां इसमें केवल कुछ दरारे आ गई थी जिसकी मरम्मत करवा दी गई है। डिजाइन के अनुसार कार्य न होने तथा त्रुटि पूर्ण कार्य के कारण।

*शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक ३१ मार्च, १६६४)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
३	शीर्ष,१०,२२ व २७	बैद	वैद
५	प्रथम	,,	,,
८	,,	,,	,,
११	शीर्षक	१३ मार्च	३१ मार्च
१३	१०	लद्मगोगढ़ बस	लछमणगढ़ बस
१६	शीर्षक	१३ मार्च	३१ मार्च
२१	१	श्री कृष्धकुमार	श्री कृष्णकुमार
३२	१८ व २६	बैद	वैद
३३	६,१४ व २०	,,	,,
४२	१	श्री मानचन्द	श्री मानिकचन्द
५६,७१, ७५,	शीर्षक	१३ मार्च	३१ मार्च
६४	शीर्षक	अतारांकित	तारांकित
६८	,,	फू० ला० ....प्रस्ताव	अतारांकित प्रश्नोत्तर
८२	,,	स्थमन	स्थगन
८३	,,	लाइसेंसि ।	लाइसेंसिंग
६१	,,	राजस्थान........१६६१	माध्यमिक शिक्षा विधेयक-३१ मार्च, ६४- टीनेन्सी (संशोधन) विधेयक
१३६	,,	-३ र्च	-३१ मार्च
१८०	१३	श्री रामप्रसाद	श्री रामप्रसाद
१६३	२०	चणडावत	चूणडावत
२१४	५	टेनेन्सी संशोधन	टीनेन्सी (संशोधन)

*नोटः—विस्तृत शुद्धि-पत्र बाद में पृथक से मुद्रित होगा ।